Tuesday, 22 December, 1959

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३७, १९५९/१८८१ (शक)

[१४ से २२ दिसम्बर १९५९/२३ अग्रहायण से १ पौष १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३७ में अंक २१ से २७ तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड ३७—अंक २१ से २७—१४ से २२ दिसम्बर, १९५९/२३ अग्रहायण से १ पौष १८८१ (शक)]

अंक २१—सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५९/२३ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ से ८३४, ८३६ से ८३९, ८७३ और ८४० . . . २३२१—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३५, ८४१ से ८७२ और ८७४ . . . २३४२—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४८ से १४०४ . . . २३५७—८८

स्थगन प्रस्ताव—

हैदराबाद में विस्फोट . . . २३८२—८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २३८६—८८

राज्य-सभा से सन्देश . . . २३८८

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २३८९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

सत्रहवां प्रतिवेदन . . . २३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दो पुलिस सिपाहियों का अपहरण . . . २३८९—९०

विनियोग (संख्या ८) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २३९०

भारतीय सांख्यिकीय संस्था विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . २३९०—२४०५

खंड २ से १२ और १ . . . २४०९—१८

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २४०५—१८

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव . . . २४१८—२२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २४२२

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २४२२

दैनिक संक्षेपिका . . . २४२६

विषय	पृष्ठ
अंक २२—मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५९/२४ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८७, ८८९, ८९१ और ८९२	२४१३—५६
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ७	२४५६—६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८८८, ८९० और ८९३ से ९१९	२४६०—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४९१	२४७२—२५०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०७—०९
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय	२५०९—११
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	२५११
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक—पुरस्थापित	२५११
विनियोग (संख्या ८) विधेयक—पारित	२५१२
त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५१२—१८
नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	२५१८—१९
मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५१९—३१
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५३५—५०
दैनिक संक्षेपिका	२५५१—५७
अंक २३—बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५९/२५ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२० से ९३०, ९३२ और ९३३	२५५९—८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३४ से ९६७	२५८०—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९२ से १५८३	२५९७—२६४०

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२६४०–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२६४१–४२
सभा में व्यवस्था के बारे में	२६४२–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—चौवनवां प्रतिवेदन	२६४४–४५
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	२६४५
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२६४५-४८
राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	२६४८
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६४८
सभा का कार्य	२६९२–९३
दैनिक संक्षेपिका . .	२६९४
अंक २४—गुरुवार, १७ दिसम्बर, १९५९/२६ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७९ और ९८२ से ९८४	२७०१–२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८०, ९८१, ९८५ से १०१४ .	२७२३–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १६५२ .	२७३६–६८
डा० बी० पट्टाभि सीतारमय्या का निधन	२७६८
विशेषाधिकार का प्रश्न	२७६८–६३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२७६३–६५
राज्य सभा से सन्देश	२७६५–६६
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— .	
युवक समारोह, मैसूर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	२७६६–६७
समिति के लिए निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	२७६७–६८

विषय	पृष्ठ
चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	
खण्ड १ से ५	२७७६
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७७६
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७७७–७८
खण्ड १ और २	२७८०
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७८०–८१
सभा का कार्य	२७८१–८२
गन्ने तथा चीनी के मूल्य के बारे में प्रस्ताव	२७८२–२८०७
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	२८१९–२६
अंक २५—शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५९/२७ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१५, १०१७ से १०२७, १०२९, १०३२ और १०३४	२८२७–५०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२८५०–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१६, १०२८, १०३०, १०३१, १०३३, १०३५ से १०५२, १०५२-क, १०५२-ख, १०५३ से १०६८, १०६८-क और १०६९ से १०७५	२८५१–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५३ से १७७०, १७७०-क, १७७०-ख, १७७०-ग, १७७०-घ, १७७०-ङ और १७७०-च	२८७४–२९२८
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२९२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२९२८–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बैठकों की कार्यवाही-सारांश	२९३१

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति--	
बैठकों के कार्यवाही सारांश	२९३१
सदस्य की गिरफ्तारी तथा निरोध	२९३१
आठवां प्रतिवेदन	२९३१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
आकाश सीमा का अतिक्रमण	२९३१-३३
भारत-पाक वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	२९३३
सभा का कार्य	२९३३-३४
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२९३४-४१
खण्ड १ से ४ .	२९४१
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२९४१-४२
मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि . .	२९४२
विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक--	२९४१
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव	२९४२
खण्ड १ से ५ . .	२९४४
पारित करने के लिये प्रस्ताव .	२९४४
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	२९४४-४९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौवनवां प्रतिवेदन . . .	२९५०
औषधि उद्योग के सरकारी उपक्रम के रूप में विकास के बारे में संकल्प	२९४९-६२
शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के बारे में संकल्प	२९६२-६८
दैनिक संक्षेपिका	२९६९-७८
अंक २६--सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५९/३० अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७६, १०७७, १०७९ से १०८१, १०८३ से १०८७, ११२०-क, १०८८, १०९० और १०९२ से १०९५	२९७९-३००१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७८, १०८२, १०८९, १०९१, १०९६ से ११०४, ११०४-क, ११०५ से ११०८, ११०८-क, ११०९ से १११७, १११७-क, १११८ से ११२०, ११२०-ख, ११२१ से ११२४, ११२४-क, ११२४-ख	३००१-१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १७७१ से १७८५, १७८७ से १८९८, १८९८-क, १८९८-ख, १८९८-ग और १८९८-घ	३०१८-७९

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
निजामुद्दीन के नाले की दुर्घटना	३०७६—८१
विशेषाधिकार का प्रश्न	३०८१—८२
भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य	३०८२—८६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०८६—८६
राज्य सभा से सन्देश	३०८६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	३०८६
लोक लेखा समिति—	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	३०८६
प्राक्कलन समिति—	
पैंसठवां, सड़सठवां और इकहत्तरवां प्रतिवेदन	३०८६—६०
बचाव स्टेशन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	३०६०
सदस्य की गिरफ्तारी	३०६०—६१
अनुपस्थिति की अनुमति	३०६१
समवाय (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	३०६१
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	३०६२—३१२६
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	३१२६—३३
दैनिक संक्षेपिका	३१३४—४४
अंक २७—मंगलवार, २२ दिसम्बर, १६५६/१ पौष १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११३७	३१४५—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८ से ११६०, ११६२ से ११६४, ११६४-क, ११६४-ख, ११६५ से ११६८, ११६८-क, ११६८-ख, ११६६ से ११७५ और ११७५-क	३१६५—८३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से २०१७	३१८३—३२२६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२२६—३१

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
सोलहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश	३२२९—३१
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश	३२३१
राज्य सभा से सन्देश	३२३१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	३२३१
प्राक्कलन समिति—	
अड़सठवां, उनहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन	३२३२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर की शुद्धि	३२३२—३४
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—पारित	३२३४—३६
कोयला खान बचाव नियमों के बारे में प्रस्ताव	३२३६—४४
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमों के बारे में प्रस्ताव	३२४४—४९
उड़ीसा खनन निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	३२४९—५५
भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में प्रस्ताव	३२५५—८१
दैनिक संक्षेपिका	३२८१—९१
नवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप	३२९१—९४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५९

१ पौष, १८८१ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

युद्ध सामग्री कारखाना, खमरिया

+

†*११२५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने के स्टोर में माल की क्षति सम्बन्धी मामले के विभिन्न पहलुओं का सरकार ने परीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९२**]

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण से पता चलता है कि इन विनियमों के बारे में एक समय-अनुसूची निर्धारित की गई है। यह समय-अनुसूची क्या है और यह क्षति कितने समय में विनियमित कर ली जायगी ?

†**श्री रघुरामैया :** यह तो एक हिसाब लगाने का एक तरीका है। यह तो कार्य पर निर्भर करता है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** विवरण से पता चलता है कि दो मामलों में यह क्षति कुछ पदाधिकारियों के दुराचार के कारण हुई थी। इस बात को देखते हुए क्या उन पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई थी?

†**श्री रघुरामैया :** कुछ मामलों में चार्जशीट किया गया है और कुछ अन्य मामलों में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से परामर्श किया जा रहा है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या अब भी वे नौकरी में हैं जबकि उन के खिलाफ बुरे आचरण का आरोप लगाया गया है ?

†**श्री रघुरामैया :** जहां तक मुझे मालूम है एक ने त्याग-पत्र दे दिया है और बाकी नौकरी कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में बताया गया है कि खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने में माल के नुकसान के पांच मामलों की जांच विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने कर ली है। अपने प्रतिवेदन में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने क्या कहा है। इन अफसरों के खिलाफ क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ? क्या अन्तिम रूप से कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री रघुरामैया :** कुछ मामलों में विभागीय कार्यवाही आरम्भ हो गई है। अन्य मामलों पर विचार किया जा रहा है। जांच पूरी होने से पूर्व विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का प्रतिवेदन बताना ठीक नहीं होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति ने इस मामले को देखा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** यदि आज्ञा हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत समय से चला आ रहा है। यह मामला संसद् और जनता के सामने इस प्रकार रखा गया है जैसे माल चोरी हुआ हो परन्तु जांच करने पर पता चला कि नुक्सान इस प्रकार का नहीं है। कोई माल चोरी नहीं हुआ है। बात यह है कि वस्तुओं का मूल्य उतना नहीं रहा जितना पहले था या अब वे वस्तुयें प्रयोग में नहीं आतीं। युद्ध के पश्चात यह स्टाक जमा हो गया था। उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि चार्ज लेने वाले व्यक्ति ठीक से हिसाब नहीं रख सकते थे। जांच करते समय पता चला की तीन या चार मामले पदाधिकारियों के दुराचरण के थे। वह सामान छोटा मोटा था। अब हमें २५ लाख रुपये के माल की जांच करनी है। जांच करने पर पता चलता है कि ५४ लाख रुपये का सामान फालतू है जिसका लेखा नहीं किया गया है। इसका यह अर्थ है कि हमारा तरीका गलत था। यदि एक करोड़ रुपये की हानि हुई होती तो यह बहुत बड़ी बात थी परन्तु जांच करने पर यह स्थिति मालूम हुई जो मैं ने सभा को बताना ठीक समझा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति ने विशेष रूप से इस हानि की जांच की थी।

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री को इस में कोई आपत्ति है कि मैं यह मामला लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति को सौंप दूं और वह इसकी जांच करे क्यों कि यह मामला बार-बार उठाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कृष्ण मेनन : जी नहीं, यही लोग जांच कर रहे हैं। इस का तरीका तो मुझे मालूम नहीं परन्तु हम किसी प्रकार की जांच में अड़चन पैदा नहीं करेंगे।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : इस मामले का मंत्रालय को १९५२ में पता चला। सात वर्ष तक इस मामले को क्यों लटकाये रखा गया। अब भी विवरण में यही कहा गया है कि अभी ६२.८१ लाख रुपये के नुकसान का पता लगाया जाना है। यह सही है कि २००० वस्तुओं की जांच करना है परन्तु सात वर्ष में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं यह बात नहीं मानता कि जांच सात वर्ष से चल रही है। मंत्री अपने पूर्वगामी मंत्रियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता और सरकार सामूहिक रूप में कार्य करती है। फिर भी यह बात मानने को तैयार नहीं। हजारों वस्तुओं के बारे में जांच करना है और यह जांच १९५७ से चल रही है। इस मामले में लोग भावुकता से काम ले रहे हैं और कई अनजान लोग भी इसकी लपेट में आ गये हैं। ये सब बातें देखनी पड़ती हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : समय-अनुसूची का क्या अर्थ है और यह कार्य किस तिथि तक पूरा हो जायेगा ?

†श्री रघुरामैया : मैंने बताया कि यह लेखा करने का तरीका है और यह कब पूरा होगा यह कार्य पर निर्भर करता है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विवरण का हवाला देकर पूछ रहे हैं कि क्या कोई समय-अनुसूची निश्चित की गई है ?

†श्री कृष्ण मेनन : समय-अनुसूची का अर्थ लक्ष्य तिथि से नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले की जांच करने के लिये एक सदस्य की समिति नियुक्त की गई थी और वह एक सदस्य डा० कस्बेकर थे। क्या उस समिति के प्रतिवेदन पर भी सरकार ने विचार किया है। यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†श्री कृष्ण मेनन : जी हां, यह कोई मूल समिति नहीं है। एक पदाधिकारी द्वारा यह विभागीय जांच की गई थी और पदाधिकारी जो नोट लिखता हैं वह संसद् के लिये नहीं होता। उन्होंने जो नुकसान बताया उसका यह अर्थ नहीं था कि माल मौजूद नहीं है बल्कि उन्हें अपने दृष्टिकोण से इसे नुकसान बताया है और इसी से यह समस्या उत्पन्न हुई है।

†श्री हेम बरुआ : पहले एक बार प्रतिरक्षा उपमंत्री ने बताया था कि १९४९ से १९५२ तक हिसाब-किताब की व्यवस्था के खराब हो जाने के कारण यह नुकसान हुआ था। इसके लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री रघुरामैया : मैं बता चुका हूं कि कुछ लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है और कुछ एक के बारे में विचार किया जा रहा है।

†श्री कृष्ण मेनन : मेरे खयाल से हमने यह नहीं कहा होगा कि हिसाब-किताब रखने की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी।

†श्री हेम बरुआः : पहले यही कहा गया था और मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या कारण है कि गत सात वर्ष में ८२ लाख रुपये के नुकसान का पता नहीं लगाया जा सका ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बता चुके हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

माननीय मंत्री द्वारा चार्ज लेने के पश्चात् यह प्रश्न ५ या ६ बार पूछा जा चुका है ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह प्रश्न ६० वर्ष बाद तक भी पूछा जायेगा जैसे कि हम १९४५ के कम्बलों के बारे में प्रश्नों के उत्तर अब तक दे रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय मंत्री मुझे मश्विरा दें तो मैं यह मामला लोक लेखा समिति को सौंप दूं ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की कार्यवाही हो जाने के बाद हम शीघ्र ही ऐसा करेंगे ।

दिल्ली में अध्यापक

+

†*११२६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली के अध्यापकों की उन मांगों पर विचार कर के उन्हें स्वीकार कर लिया गया है जिनके कारण अगस्त, १९५९ में एक आन्दोलन भी चला था और बिना किसी शर्त के समाप्त भी कर दिया गया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ की वे मांगें और उन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय दिखाने वाला विवरण , जो अगस्त, १९५९ की भूख हड़ताल समाप्त करने के पश्चात् सरकार के समक्ष रखी गई थीं, सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३**]

†**श्री श्रीनारायण दास :** ऐसा जान पड़ता है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई कुछ मांगें निगम द्वारा कार्यान्वित की जायेंगी । क्या सरकार ने निगम से पता लगाया है कि निगम निर्णय को कार्यान्विति करने में किस हद तक सफल हुई है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार ने निगम से कहा है कि उन्हें यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित करे ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मद १३ के बारे में कहा गया है कि यह गारण्टी नहीं दी जा सकती कि भविष्य में उन्हें सरकारी स्कूलों में रख लिया जायेगा । इसके क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कहा गया कि उन्हें पुनः नियुक्त करने की गारण्टी नहीं दी जा सकती यह तो नहीं कहा गया कि उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह है कि अभी ११ दिसम्बर को शिक्षा संचालक महोदय ने एक परिपत्र निकाल कर यहां के सरकारी स्कूलों के हैड-मास्टरों को कहा है कि वे अपनी एसोसिएशन के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन, जैसा कि उत्तर में नम्बर ११ में जो उत्तर दिया गया है, सरकारी स्कूलों के अध्यापक माध्यमिक शिक्षक संघ के, जो कि एक मान्यता-प्राप्त संघ है, सदस्य नहीं हो सकते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा अन्तर क्यों किया गया है।

डा० का० ला० श्रीमाली: मैं ने जो कुछ सदन में कहा है वह सही है।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ११ दिसम्बर को शिक्षा-संचालक ने एक परिपत्र निकालकर यहां के सरकारी स्कूलों के हैड-मास्टरों को तो छुट्टी दे रखी है कि वे अपनी एसोसिएशन के मेम्बर बन सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे दिल्ली शिक्षक संघ के सदस्य नहीं बन सकते हैं।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं सदन में पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का प्रश्न है, उनके लिये कुछ नियम--गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्ज़--बने हुये हैं, जिनके अनुसार वे एसोसियेसन के सदस्य नहीं बन सकते हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के नियम ४(क) और ४ (ख) अध्यापकों पर लागू किये गये थे। एक मांग यह भी की गई थी कि ये उन पर लागू न किये जायें। अध्यापकों को संघ का सदस्य बनने से किन परिस्थितियों में वंचित किया जा रहा है ? नियम ४ (क) और ४ (ख) को अध्यापकों पर लागू रखने के क्या कारण हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सभा को मालूम है कि अध्यापक संघ ने अध्यापकों से हड़ताल करने को कहा था और उन्होंने हड़ताल कर दी थी। सरकार यह मंजूर नहीं कर सकती कि उसके अध्यापक ऐसे संघ के सदस्य बनें जो उन्हें हड़ताल करने का मत देती है। सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम लागू होते हैं।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इसे मज़दूर संघ में परिवर्तित करना चाहते हैं ?

†श्री स० मो० बनर्जी : जी नहीं। यह संघ गत १७ या १८ वर्ष से चल रहा है। क्या सरकार ने इस से अपने संविधान बदलने के लिये कहा था ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या अध्यापकों की यह शिकायत है कि संघ को अपना संविधान बदलने का आदेश क्यों दिया गया था ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : प्रश्न सीधा सा है। यह सही है कि पहले सरकारी स्कूलों के अध्यापक भी संघ के सदस्य बन सकते थे। सरकार का कहना है कि संघ की गतिविधियां अध्यापकों के लिये लाभप्रद नहीं। अध्यापक सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों का पालन नहीं कर रहे थे इसलिये सरकार ने उन्हें उनकी जिम्मेदारी महसूस कराते हुये कहा कि वे संघ के सदस्य न बनें। स्पष्ट है कि सरकार अध्यापकों को हड़ताल करने की मंजूरी नहीं दे सकती।

श्री रघुनाथ सिंह : यह जो टीचर्ज एसोसियेशन है, यह कोई इल्लीगल संस्था नहीं है--जहां तक मैं समझता हूं, यह इल्लीगल संस्था नहीं है, तो फिर क्या यह हिन्दुस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है कि सरकार किसी आदमी को किसी संस्था में जाने से रोके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : रोकने का सवाल नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, उन के लिये नियम बने हुए हैं और वे ऐसी एसोसियेशन के मेम्बर नहीं हो सकते हैं, जो इस तरह की कार्रवाई में भाग लें। इस लिये गवर्नमेंट-स्कूल्ज के टीचर्ज को याद दिलाया गया कि वे नियमों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।

जनौड़ी और बथुला में तेल की खोज,

+

†*१२२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चूनी लाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला होशियारपुर में जनौड़ी और बथुला में तेल की खोज में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या वाणिज्यिक दृष्टि से वहां तेल का विदोहन करना संभव है; और

(ग) यदि हां, तो विस्तृत प्रस्थापना क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) **जनौड़ी :** भूतत्वीय सर्वेक्षण से एकत्र किये गये आंकड़ों का अध्ययन किया गया है और शीघ्र ही एक गहरा छिद्र करने के लिये स्थान चुना जायेगा।

बथुला : छिद्र का परीक्षण किया जा रहा है और इस के पश्चात् जनौड़ी को प्रस्थान किया जायेगा।

(ख) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इन दोनों क्षेत्रों में अब तक कितने कुएं खोदे गये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** बथला में केवल एक क्षेत्र है जहां ११,००० फुट से अधिक गहरा एक कुंआ खोदा गया है, इस के पश्चात् जनौड़ी को प्रस्थान किया जायेगा जहां दूसरा कुआं खोदा जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या होशियारपुर जिले में बथुला स्थान पर अब भी तेल की खोज की जा रही है या बिल्कुल आशा छोड़ दी गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** होशियारपुर के आसपास का दक्षिण पूर्वी पंजाब का क्षेत्र भूतत्वीय दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है इसलिये हम वहां प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे चाहे हमें एक दो असफलतायें हों फिर भी इस क्षेत्र में तेल की खोज जारी रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० च० शर्मा:** होशियारपुर में जनौड़ी, बथुला और दसूहा तीन स्थानों पर तेल की खोज की जा रही थी। तीसरे स्थान का क्या हुआ ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** तीन स्थानों पर अलग-अलग कार्य नहीं हो रहा है बल्कि इन सब के लिये एकीकृत कार्यक्रम चल रहा है और कुछ अन्य छिद्र करने के बाद ही हम कुछ कह सकेंगे।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या होशियारपुर से ले कर कांगड़ा घाटी के समस्त तेल क्षेत्र के नक्शे तैयार कर लिये गये हैं और क्या सरकार इस क्षेत्र में भूमि अनुसंधान करना चाहती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** तेल की खोज का कार्य हो रहा है।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या इस के नक्शे तैयार कर लिये गये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** नक्शे तैयार किये जा रहे हैं और आगे का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। यह कार्य बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया जायेगा।

श्री दलजीत सिंह: माननीय मंत्री जी ने हाउस में बताया था कि सड़क अच्छी न होने की वजह से भारी मशीनरी जनौड़ी जैल में नहीं ले जाई जा सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि कब वह सड़क मुकम्मल हो जायेगी और कब भारी मशीनरी वहां चली जायेगी।

†**श्री के० दे० मालवीय:** मैंने तो यह कहा था कि जनौड़ी में जहां पर कि कुंए खोदने का स्थान नियत किया गया है, वहां सड़क नहीं बन सकी है, इसलिये देर हो रही है। लेकिन उस के बाद और काम जारी रहा और अब हम जनौड़ी में सड़क करीब-करीब बना चुके हैं और बहुत जल्द वह जगह भी तय हो जायेगी जहां पर कि हम कुएं खोदेंगे। इसलिये सड़क की कोई मुश्किलात हमारे सामने नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या यह सच है कि जनौड़ी में उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं जितने कि कैम्बे में और यदि हां, तो क्या यह अच्छा न होगा कि कैम्बे की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाये ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** यह तो नहीं कहा जा सकता कि जनौड़ी में तेल मिलेगा। यहां तेल की खोज की जानी चाहिये। फिर यह भी ठीक न होगा कि तेल की खोज केवल एक ही स्थान पर की जाये अधिक स्थानों पर प्रयत्न किये जाने चाहियें ताकि कहीं तो सफलता मिले।

सैनिक गाड़ियों का निर्माण

+

†*११२८. { **श्री स० चं० सामन्त:**
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रा० च० माझी: }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन कैरेज फैक्टरी जबलपुर में तैयार की गयी गाड़ियां डीजल अथवा पेट्रोल इंजनों द्वारा चलाने वाली पुराने किस्म की गाड़ियों से बेहतर हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे किस दृष्टि से बेहतर हैं ;

(ग) इस प्रकार की गाड़ियों के निर्माण पर कितनी लागत आती है; और

(घ) यह कीमत पुराने किस्म की गाड़ियों की लागत की तुलना में कैसी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) यदि पुराने किस्म की गाड़ियों' से माननीय सदस्य का तात्पर्य डीजल या पैट्रोल से चलाये जाने वाले अन्य ट्रकों से है, तो इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है ।

(ख) गन कैरेज फैक्टरी में तैयार किये जा रहे शक्तिमान ट्रकों के निम्नलिखित लाभ हैं :—

(१) इस का इंजन ऐसा है कि वह डीजल आयल, पैट्रोल, मिट्टी के तेल, अशोधित तेल अथवा अन्य किसी भी द्रव्य ईंधन से चलाया जा सकता है ;

(२) ये इतने मजबूत होते हैं कि बड़ी आसानी से ऊबड़ खाबड़ भूमि में भी चल सकते हैं ।

(३) इस से अधिक रास्ता तय किया जा सकता है ;

(४) इस के इंजन की हार्स पावर अधिक है;

(५) इनमें लगभग ३० प्रतिशत अधिक सामान ले जाया जा सकता है ।

(ग) इस में इस समय लगभग ३० प्रतिशत स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक-एक ट्रक पर कुल लगभग ३६,००० रुपयों की लागत आती है ।

(घ) शक्तिमान ट्रकों में अन्य पुराने किस्म के ट्रकों की तुलना में होने वाले उक्त कार्य सम्बन्धी लाभों के अतिरिक्त प्रति ट्रक की लागत में ७५०० रुपयों की बचत भी होती है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : शेष ७० प्रतिशत पुर्जों को भी देश में ही तैयार करने के सम्बन्ध में क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : इस सम्बन्ध में स्थिति कई बार सभा में समझाई जा चुकी है । हम इस सम्बन्ध में क्रमशः प्रगति कर रहे हैं और जहां भी आवश्यकता होती है, नयी मशीनें लगायी जा रही हैं और हम इस कार्य को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और संभवतः उस से भी पहले कार्य पूरा कर लेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या हम अभी तक पुराने किस्म के ट्रक खरीद रहे हैं और यदि हां तो हम इस दृष्टि से स्वयं कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इस प्रकार के ट्रक हम किसी विदेश से या भारत की किसी फर्म से नहीं खरीद रहे हैं ।

†**श्री न० ना० पटल** : इन ट्रकों की धारण-क्षमता कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : वैसे तो हमारे साधारण नियमित कार्यों के लिये वे ट्रक तीन टन की क्षमता के लिये है, परन्तु वास्तव म अहमद नगर में किये गये टेस्टों के अनुसार वे ४.५ टन तक का सामान उठा लेने की क्षमता रखते हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : विवरण में बताया गया है कि एक शक्तिमान ट्रक पर लगभग ३६,००० रुपयों की लागत आयेगी । क्या बाद में ऊपर से आने वाले खर्च भी इस में सम्मिलित हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, हां । इस में वे खर्च भी सम्मिलित हैं ।

†**सेठ गोविन्द दास** : हमें इन ट्रकों की कुल कितनी आवश्यकता है और क्या वे सभी ट्रक जबलपुर की फैक्टरी से उपलब्ध हो सकेंगे ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, नहीं । सरकार की यह इच्छा नहीं है कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियों पर अत्यधिक राशि न खर्च की जाय । इसलिये जबलपुर में केवल विभिन्न पुर्जों को जोड़ा जाता है, निर्माण नहीं किया जाता । विभिन्न पुर्जों का निर्माण विभिन्न स्थानों पर किया जाता है । उदाहरणार्थ कुछ एक पुर्जे अम्बरनाथ में तैयार किये जात ह और कुछ कलकत्ते में ।

श्री राम सिंह भाई बर्मा : श्रीमान मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस कारखाने के अन्दर गाड़ियों के कुछ पार्टस और बाडी बनाये जाते हैं लेकिन उसके असैम्बलिंग के लिए मिलिटरी के ऊंचे पदाधिकारी अतिरिक्त रखे गए हैं और इसलिए कास्ट आफ-प्रोडक्शन ज्यादा आता है ।

†**श्री रघुरामैया** : यह पहले भी बताया जा चुका है कि उन ट्रकों के ३० प्रतिशत पुर्जे स्वदेशी हैं ।

नये विश्व विद्यालय

†*११२६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई बिचार है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कन्द्रीय सरकार से परामर्श लिया गया है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ; इस सम्बन्ध में सामान्यतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सलाह ली जाती ह ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ये नय विश्वविद्यालय किस-किस स्थान पर स्थापित करन के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं और क्या केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में कोई पथ प्रदर्शन किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक आयोग का संबंध है, उसके पास कानपुर, मेरठ और पश्चिमी बंगाल के तीन स्थानों—कल्याणी, दारजीलिंग और वरद्वान–दुर्गापुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में सुझाव आये हैं । आयोग न पश्चिमी बंगाल के विश्वविद्यालयों के संबंध में तो मंजूरी दे दी है । परन्तु उसने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ और जानकारी भी मांगी ह जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : केवल उत्तर प्रदेश में ही इतने अधिक विश्वविद्यालय क्यों खोले जा रहे हैं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो केवल स्नातकोत्तर स्तर के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखता है, शेष सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत अधिक है और भारतीय संस्कृति का विकास उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, इसलिए क्या इस बात का खयाल रखा जाएगा कि वहां पर जितने भी विश्वविद्यालय बनाये जा सकें, बनाये जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यही सुझाव देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक विश्वविद्यालय खोल जायें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : गत सत्र में बोलते हुए माननीय मंत्री ने यह स्पष्टतया बताया था कि वे नये विश्वविद्यालय खोले जाने के विरुद्ध हैं। क्या वे उस नीति के अनुसरण में कोई कार्यवाही कर रहे हैं अथवा व इस कार्य को पूर्णरूपेण राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ना चाहते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: जैसा कि मैं ने पहले बताया है, इस सम्बन्ध में अन्तिम जिम्मेवारी राज्य सरकारों की ही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये सुझाव आये थे, अनुदान आयोग ने उन्हें बता दिया था कि उन्हें इन के लिये स्वयं अपनी ओर से धन लगाना होगा। आयोग का सम्बन्ध तो केवल स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के विकास से है। यह सच है कि आयोग की सामान्य नीति यही है कि नये विश्वविद्यालयों के लिये प्रोत्साहन न दिया जाये। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं बनाये जा सकते क्योंकि विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुसार ही नये विश्वविद्यालय स्थापित करने पड़ते हैं।

†**श्री त्यागी** : विश्वविद्यालयों के लिये वित्तीय सहायता किस की ओर से दी जाती है ? क्या यह जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की है या कि राज्य सरकार की ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उनकी जिम्मेवारी तो केन्द्रीय सरकार पर ही है। और जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया हुआ है और वही इन विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर को निर्धारित करता है और इस संबंध में देख रेख करता है और इस स्तर को शिक्षा पर आने वाले खर्च में कुछ योग भी देता है।

इंगलैन्ड में भारतीय क्रिकिट टीम

†*११३०. { +**श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री पाणिग्रही :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल टेस्ट मैचों में इंगलैंड में भारतीय क्रिकिट टीम के असफल रहने के कारणों का निश्चित रूप से पता लगा लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय क्रिकिट नियन्त्रण बोर्ड ने भारतीय क्रिकिट टीम इंगलैंड भेजी थी। उसने सरकार को बताया है कि यात्रा असफल नहीं रही। पिछले दिनों में बोर्ड टीम में नवयुवकों को रखने पर विचार कर रहा है ताकि भारत में क्रिकिट का भविष्य उज्जवल हो जाये। इस दृष्टि से इंगलैंड गई टीम में युवकों को सम्मिलित किया गया था और उनका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता क्रिकिट में अनुभव प्राप्त करना था। उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि से बोर्ड का मत है कि टीम सर्वथा सफल रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में कहा गया है कि बोर्ड पिछले दिनों में टीम में युवकों को सम्मिलित करने पर विचार करता रहा है ताकि भारत में क्रिकिट का भविष्य सुनिश्चित हो जाय। इस दृष्टि से इंगलैंड जाने वाली टीम में युवक सम्मिलित थे और उनका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता क्रिकिट में अनुभव प्राप्त करना था। क्या हमने देश नाम व गौरव के मूल्य पर यह अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न किया था ? श्रीमान् हमारा प्रश्न यह है कि क्या भारत में फास्ट बाउलरों का अभाव है और क्या भारत में क्रिकिट के स्तर में सुधार करने के लिए ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : टीम का संवरण करना पूर्णतया नियन्त्रण बोर्ड का काम है। भारत सरकार ने क्रिकिट सहित खेल कूदों में सुधार करने के लिए अनेकों कार्यवाही की हैं। हमने खेल कूद परिषद का पुनर्गठन किया है। हमारा विचार निकट भविष्य में शिक्षा संस्था खोलने का है। राजकुमारी शिक्षा योजना के अन्तर्गत अनेकों शिक्षक युवक खिलाड़ियों को शिक्षा देने के लिए रखे गये हैं। यह सच है कि क्रिकिट के टेस्ट मैचों में और अन्य मैचों में हमारा खेल अच्छा नहीं रहा है। इस मामले में हमारे स्तर ऊंचे नहीं हैं और अपने स्तरों में सुधार करने के लिए हमें निरन्तर प्रयत्न करने होंगे। इस बारे में जहां तक भारत सरकार का संबंध है, आशा है कि हम जो कार्यवाही कर रहे हैं वे यथासमय फलीभूत होंगी ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार टीम के विदेश जाते समय, युवक खिलाड़ियों के साथ कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को भी सम्मिलित करने का विचार करेगी ? इसके अतिरिक्त क्या सरकार 'फास्ट बाउलरों' के अभाव और 'फास्ट बाउलरों' का मुकाबला करने के अनुभव के अभाव को दूर करने की भी कार्यवाही करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : खिलाड़ियों के संवरण में सरकार का विचार नियंत्रण बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप न करने का है। यह पूर्णतया उनकी राय है। सरकार उन्हें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने, खिलाड़ियों को शिक्षा देने में सहायता देगी और वित्तीय सहायता भी देगी। सरकार इस संघ के दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या क्रिकिट नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन का सरकार का कोई विचार है ताकि इस में भी युवकों को सम्मिलित किया जा सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक स्वायत शासी संघ है और इसके कार्य में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान स्टील लि० में लेखा प्रणाली

†*११३१. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० के लेखापरीक्षकों ने गत वर्ष डाईरेक्टरों को उनके असन्तोषजनक लेखों के बारे में चेतावनी दी थी और आग्रह किया था कि वे लेखाओं की समवाय प्रणाली बनायें ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) समवाय लेखा प्रणाली कब तक अपनाई जायगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) गत वर्ष लेखापरीक्षकों ने समवाय की लेखा प्रणाली की अपर्याप्तता की ओर ध्यान आकर्षित किया था और वाणिज्यिक आधार पर लेखा रखने का अनुरोध किया था ।

(ख) समवाय ने वाणिज्यिक खाता प्रणाली लागू करने की कार्यवाही की है ।

(ग) आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में समवाय लेखा प्रणाली हो जायेगी ।

†**श्री मुरारका** : क्या इस समवाय ने अन्य लेखापरीक्षक नियुक्त किये हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं जानता कि उन्होंने अन्य लेखापरीक्षक रखे हैं ।

†**श्री नरसिंहन्** : आजकल लेखापरीक्षक कौन हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे नहीं मालूम कि आजकल लेखापरीक्षक कौन हैं और नहीं यह विदित है कि नये लेखापरीक्षक रखने हैं या नहीं ।

†**श्री मुरारका** : इस समवाय में वाणिज्यिक लेखा-प्रणाली का प्रभारी व्यक्ति कौन है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह निश्चित करना हिन्दुस्तान स्टील लि० के डाईरेक्टरों का उत्तरदायित्व है कि लेखे लेखापरीक्षकों के परामर्शानुसार बनाये जायें ।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं वर्तमान लेखापरीक्षकों के नाम जानना चाहता था और माननीय मंत्री कहते हैं कि नाम वह नहीं जानते । श्रीमान्, क्या यह उचित है नाम भी न बताये जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : लेखापरीक्षण का ढंग, उसके लिये उचित प्रबन्ध आदि लेखापरीक्षकों के नामों पर निर्भर नहीं है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्रीमान्, इसमें कोई रहस्य नहीं है । यदि माननीय सदस्य तने उत्सुक हैं तो मैं उन्हें प्रश्नकाल के पश्चात् जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री अ० च० गुह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें विदित नहीं है कि पुराने लेखापरीक्षकों को बदल कर नये नियुक्त कर दिये गये हैं । परन्तु, प्रथा क्या है ? क्या सरकारी क्षेत्र के निगम सरकार की अ ुमति से लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं करते या वे स्वयं ही ऐसा कर सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य और वित्त मं ालय का अनुभव है और जानते हैं कि लेखापरीक्षक कैसे नियुक्त कि े जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल शिक्षा अधिनियम

*†११३२. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वारियर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री कोडियान :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वें० प० नायर : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के राज्यपाल ने केरल शिक्षा अधिनियम तथा नियमों के उपभेदों पर विचार करने के लिये कोई कान्फ्रेंस बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निश्चय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) हां ।

(ख) और (ग). कान्फ्रेंस में निश्चय किया गया कि प्रश्न के सारे पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिये एक छोटी समिति बनाई जाये । बताया गया है कि अक्तूबर और नवम्बर, १९५९ में इस समिति की दो बैठकें हुईं । इसने कुछ सिफारिशें की हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या यह सच है कि विचार-विमर्श का विषय अधिनियम की धारा ११ थी जिसमें उपबन्ध है कि अध्यापकों की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा होगी ? जब कि अध्यापकों का वेतन राज्यकोष से दिया जाता है तो अधिनियम के लागू होने पर इस विषय पर विचार-विमर्श क्यों कराया गया ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मेरा विचार है कि भूतपूर्व सरकार की इच्छा स्कूल प्रबन्धकों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस बुलाने और उसके समक्ष इन विषयों को रखने की थी। राज्यपाल ने शासन संभालने के बाद उसी का अनुसरण किया ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या कान्फ्रेंस में अध्यापकों के सारे संघों ने अध्यापकों की और भर्ती का विरोध किया; और यदि हां, तो क्या कान्फ्रेंस ने उस आपत्ति पर विचार किया था ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** कान्फ्रेंस के विस्तृत कार्यों की जानकारी मुझे नहीं है परन्तु कान्फ्रेंस से अधिनियम तथा नियमों सम्बन्धी मामलों पर विचार करने को कहा गया था ।

†**श्री कोडियान :** इस कान्फ्रेंस द्वारा नियुक्त इस समिति ने केरल सरकार से क्या विशेष सिफ़ारिशें की हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मेरा विचार है कि केरल सरकार द्वारा नियुक्त निकाय की उन सिफारिशों को विस्तारपूर्वक बताना जो निकाय ने राज्य सरकार से की हैं, मेरे लिये उचित न होगा। उन पर वह सरकार विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मणियंगाडन :** क्या यह सच है कि भूतपूर्व सरकार ने एक कान्फ्रेंस के लिये राज्य में शिक्षा सम्बन्धी मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेकों व्यक्तियों को आमन्त्रित किया था ताकि कान्फ्रेंस में अधिनियम की इस धारा ११ पर रूपभेद के उद्देश्य से विचार-विमर्श हो जाता ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं कह चुका हूं कि भूतपूर्व सरकार की इच्छा एक कान्फ्रेंस बुलाने की थी। उन्होंने कान्फ्रेंस की परन्तु अनेकों प्रबन्धक सम्मिलित न हुये और इसी कारण यह कान्फ्रेंस करनी पड़ी ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या इस कान्फ्रेंस के अनिश्चित विचार-विमर्श और समिति की सिफ़ारिशों पर विचार करने की दृष्टि से अधिनियम का कोई उपबन्ध और नियमों को लागू करना स्थगित कर दिया गया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस सरकार ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

†**श्री त्यागी :** क्या राज्य में ऐसे कुछ स्कूल हैं जिनके वित्त की व्यवस्था पूर्णतया सरकार करती है और यदि हां, तो उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक लेने के लिये बाध्य करने में क्या आपत्ति है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** किसी बात में हमारे आपत्ति करने का कोई प्रश्न नहीं है। विधान मंडल ने अधिनियम पारित किया है और उसके अन्तर्गत नियम बनाये गये हैं। उन पर कुछ मतभेद था जिसे समाप्त करने के लिये प्रबन्धकों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों से परस्पर मिलने को कहा गया ।

†**श्री त्यागी :** जिन स्कूलों का पूर्ण व्यय सरकार उठाती है वहां. . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात भिन्न है। इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस सब पर विचार किया जायेगा कि हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं ।

भारत में संग्रहालयों की डाइरेक्टरी

†*११३३. { + **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री आचार : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** १३ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "भारत में संग्रहालयों की डाइरेक्टरी" के प्रकाशन में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** डाइरेक्टरी छपाई की अन्तिम अवस्था में है और इस मास में प्रकाशित हो जायेगी । इसकी प्रथम प्रति मैं संसद् पुस्तकालय में रख दूंगा ।

†**श्री दी० च० शर्मा :** यह डाइरेक्टरी अंग्रेजी में होगी या अन्य भारतीय भाषाओं में भी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हुमायून् कबिर : इसका उत्तर मैंने पहिले भी दिया था । अभी डाइरैक्टरी अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो रही है परन्तु हम इसे सारी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह पुस्तकालय को ी जा सकती है ।

†श्री हुमायून् कबिर : हां, श्रीमान् ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि देशी भाषाओं में काम न होने की वजह से जैसे कि अभी कृषि मेले में भी हो रहा है, वहां पर हर जगह पर अंग्रेजी का साम्राज्य है जिसके कि कारण लोगों को बड़ा असन्तोष होता है और जब कि अंग्रेजी में डाइरैक्टरी निकली तो उसके साथ हिन्दी या अन्य देशी भाषाओं में न निकलने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश अवस्थी : अंग्रेजी में ही यह काम सबसे पहले क्यों होता है ? अन्य देशी भाषाओं में यह क्यों नहीं होता है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे ही होता है ।

केरल में भूमिहीन मजदूर

*†११३४. श्री कोडियान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में भूमिहीन मजदूरों में सरकारी जमीन वितरण करने का कार्य और तेजी से करने के लिये केरल सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) अब तक कुल कितने एकड़ भूमि बांटी जा चुकी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) भूमि नियतन-कार्य तेज़ी से करने के लिये ज़िलों में सरकार ने विशेष कर्मचारी नियुक्त किये हैं । आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की भी अनुमति दे दी गई है । जिला कलक्टरों को कहा गया है कि वे भूमि नियतन योजना की ओर ध्यान दें और इसे शीघ्र पूरा करने की कार्यवाही करें। सरकारी भूमि के नियतन की प्रक्रिया सरल बनाने और योजना को और अधिक कार्यान्वित करने के प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) लगभग ५६४६ एकड़ ।

† श्री कोडियान : क्या राज्य के लगभग सभी ताल्लुकों में बनी भूमि नियतन समितियों की बैठक पिछले पांच मासों से नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : ताल्लुकों में समितियां बन गई हैं और यदि उनकी बैठक नहीं हुई है तो इसका कोई कारण होगा जो मुझे ज्ञात नहीं है ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : केरल राज्य का शासन राष्ट्रपति के संभालने के बाद कितने व्यक्तियों को सरकारी भूमि दी गई है और वे कुल कितने एकड़ है ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं ठीक तो नहीं बता सकता परन्तु देखता हूं कि यह योजना सितम्बर, १९५७ में लागू की गई थी और राष्ट्रपति को केवल पिछले कुछ मासों या सप्ताहों में इस मामले

†मूल अंग्रेजी में

पर कार्यवाही करनी पड़ी है । यह योजना राष्ट्रपति द्वारा शासन संभालने से दो वर्ष पहले से लागू है । अतः कुछ सप्ताहों में वह अद्भुत कार्य नहीं कर सके हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मैं जानना चाहता हूं कि ३१ जुलाई, १६५६ से कितनी भूमि दी गई है और कितने व्यक्तियों को दी गई है क्योंकि यह एक निरन्तर कार्य है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : यह प्रश्न इस रूप में पूछा जाता तो मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेता ।

†**श्री वे० ईयाचरण** : क्या यह सच है कि ये समितियां प्रत्येक ताल्लुक में उपलब्ध सरकारी भूमि का वितरण करने के लिये ही बनाई गई थी न कि हरिजनों को भूमि नियत करने के लिये ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : कुछ ताल्लुक समितियां बनाई गई हैं और उन्हें सरकारी भूमि के वितरण के प्रस्ताव देने या उन पर विचार करने का काम भी सौंपा गया है परन्तु इसके अतिरिक्त हमें और क्या करना है मैं ठीक से नहीं कह सकता ।

†**श्री मणियंगाडन** : भूतपूर्व सरकार ने कट्टमपल्ली और कुछ अन्य स्थानों में कुछ हरिजनों को सरकारी जमीनों से हटा दिया था । क्या उन्हें पुनः जमीनें दे दी गई हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु यदि उन्हें पुनः जमीनें दे दी गई हैं तो बहुत ही अच्छा किया गया है ।

†**श्री ग० नि० पटेल** : क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में भूमिहीन मजदूरों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : कदाचित इस कारण कि अधिकतर भूमिहीन मजदूर उस वर्ग के हैं, परन्तु फिर वही बात कि मेरे पास निश्चित जानकारी नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : केरल में भूमिहीन मजदूर कितने हैं और प्रत्येक परिवार को कितनी जमीन दी जा रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : न तो मैं भूमिहीन मज़दूरों की निश्चित संख्या बता सकता हूं और न ही यह बता सकता हूं कि कितनी भूमि दी जा रही है । कुछ भी हो, इस मामले का सम्बन्ध राज्य से है जिससे हमारा सम्पर्क हाल में हुआ है और इन सब छोटी छोटी बातों पर हमारे पास समूची जानकारी नहीं है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि अमुक मात्रा में भूमि दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा शासन संभालने के उपरान्त कुल कितने एकड़ भूमि दी गई है, या, यह कार्य विशेष रूप से नहीं किया गया है, तो यह कार्य बन्द क्यों कर दिया गया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैंने कहा था कि मैं दी गई भूमि का निश्चित क्षेत्रफल नहीं बता सकता परन्तु मैंने साधारण उत्तर दिया था । इससे विदित होता है कि वितरण में शीघ्रता करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इसे समाप्त करने या इसमें विलम्ब करने की किसी भी रूप में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । प्रयास किया जा रहा है और भाग (क) के उत्तर से विदित होता है कि वितरण में शीघ्रता करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में यमुना को मोड़ना

*†११३५. { श्री दी० चं० शर्मा :
　　　　　श्री राधा रमण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पुरानी दिल्ली के नगर बैंक की ओर निगमबोध और कुदसियाघाट के पास यमुना का बहाव मोड़ने में सफल हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मोड़ स्थायी रहेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसे स्थायी बनाने के किसी यत्न पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां तो वह किस प्रकार का है, उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी और उसे किसके द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १९५९ के ग्रीष्म काल में दिल्ली नगर निगम यमुना नदी का बहाव घाटों की ओर मोड़ने में अस्थायी रूप से सफल हुआ था ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

(घ) घाटों के समीप नदी को दाहिने किनारे को छूती हुई रखने के लिये स्थायी निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी । केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पूना द्वारा नदी पर निर्माण के नमूनों के विस्तृत प्रयोग किये जा रहे हैं । इन प्रयोगों का परिणाम विदित होने पर कार्य आरम्भ किया जायेगा । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इसकी क्या लागत होगी अथवा इसे क्रियान्वित करने के लिये किसे नियोजित किया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पूना द्वारा जो प्रयोग किये जा रहे हैं उनका परिणाम कब तक ज्ञात होगा और तत्पश्चात् क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा उस पर कार्यवाही की जायेगी या किसी और द्वारा ?

†**श्री गो० ब० पन्त**: जैसा मैंने अभी कहा है, अनुसंधान केन्द्र, पूना, में प्रयोग किये जा रहे हैं । कहा नहीं जा सकता कि उनमें कितना समय लगेगा किन्तु हमसे कहा गया है कि उनके परिणाम यथाशीघ्र प्राधिकारियों को सूचित कर दिये जायें । तत्पश्चात् या तो निगम द्वारा या यहां के किसी मंत्रालय द्वारा यह काम किया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस परियोजना का सारा खर्च भारत सरकार देगी या उसे निगम और भारत सरकार के बीच बांटा जायेगा ?

श्री गो० ब० पन्त : यह तो रिपोर्ट मिलने पर और प्राक्कलन तैयार होने पर तय किया जा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या नदी का बहाव दाहिने किनारे की ओर मोड़ने से बायें किनारे के स्थानों के हित की हानि नहीं होगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : मेरे विचार से अनुसन्धान केन्द्र इन सब बातों पर ध्यान देगा ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

+

†*११३६. **डा० राम सुभग सिंह :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामम् :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को इस वर्ष कोई आर्थिक सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और कितने बच्चों को दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). किसी संघ क्षेत्र में अब तक कोई सीधी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है ; फिर भी दिल्ली में ४०८ बच्चों के साथ हायर सेकण्डरी स्तर तक फीस में रियायत की गई है । वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व लगभग उतने ही बच्चों को पुस्तकों और कागज़ वगैरह के लिये वार्षिक नकद अनुदान दिये जायेंगे । मैं यह और बता दूं कि हिमाचल प्रदेश ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना लागू करने का निश्चय कर लिया है । इसकी विस्तृत बातों पर विचार किया जा रहा है और उन्हीं की प्रतीक्षा है । मणिपुर प्रशासन ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना चालू वित्तीय वर्ष से आरम्भ करने का निश्चय किया है । अंदमान और निकोबार द्वीपों में कोई राजनैतिक पीड़ित नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि संघ क्षेत्रों में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को कोई सीधा अनुदान नहीं दिया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह अप्रत्यक्ष दान किस रूप में दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अभी बताया है कि ४०० बच्चों को अनुदान दिये गये हैं ? क्या सरकार ने समस्त शिक्षा संस्थाओं से कहा है कि वे ऐसे बच्चों के नाम भेजें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सब से पहले प्रशासन राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों से आवेदन पत्र मांगता है । संस्थायें फीस लेती हैं लेकिन प्रशासन उन सब छात्रों की फीस की पूर्ति कर देती है । जहां तक सीधे अनुदानों का सम्बन्ध है पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पुस्तकों के लिये १२ रुपये वार्षिक दिये जायेंगे, छठी से आठवीं कक्षा तक २५ रुपये वार्षिक और नवीं से बारहवीं तक ४० रुपये वार्षिक दिये जायेंगे । प्रशासन नकद अनुदान का लाभ विश्वविद्यालय के छात्रों को पहुंचाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह परिभाषा निश्चित कर ली है कि किन किन को पोलीटिकल सफरर कहा जाएगा, और अगर सरकार ने ऐसी परिभाषा निश्चित कर ली है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार उनका सारा खर्चा देने की सोचती है या नहीं ?

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : जो हां, इसका उत्तर तो मैं कई बार इस सदन में दे चुका हूं, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो कोई स्कीम भेजेंगी उसका आधा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी यह भी मैं उत्तर दे चुका हूं ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी: अभी मंत्री महोदय ने कहा कि स्टेट्स की स्कीम्स में जो खर्चा होगा उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन यूनियन टैरीटरीज़ में तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई सवाल नहीं है। क्या यूनियन टैरिटरीज़ के पोलीटिकल सफरर्स का कुल खर्चा एजूकेशन डिपार्टमेंट से या यूनियन सरकार से मिलेगा या नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यहां तो पूरा खर्चा केन्द्रीय सरकार देगी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस विषय में भिन्न-भिन्न राज्यों की कुछ भिन्न-भिन्न अवस्था है। कुछ राज्य, जो हमारे इस प्रकार के स्वतंत्रता के संग्राम के सैनिक हैं, उनके वारिसों को देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। ऐसे मामलों में प्रायः केन्द्रीय सरकार कोई न कोई नीति निर्धारित करती है। क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करके भिन्न-भिन्न राज्यों को कोई निदेश देने का विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : केन्द्रीय सरकार ने नीति निर्धारित कर ली है और राज्य सरकारों को निर्देश भी दे दिया गया है और अधिकतर राज्यों ने जो योजना केन्द्रीय सरकार ने बनायी थी उस से सहमति प्रकट की है और उसके मुताबिक वह परिवर्तन कर रहे हैं। यह प्रश्न तो केवल यूनियन टैरीटरीज़ के ही सम्बन्ध में था। यदि माननीय सदस्य इस विषय में दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हमारे बहुत से राजनीतिक पीड़ितों ने इन १२ वर्षों में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया है । क्या ऐसे राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को भी, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली है, सरकार छात्रवृत्तियां दे रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो बहुत सीमित है। केवल यूनियन टैरीटरीज़ से ही सम्बन्ध रखता है ।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं भी यही पूछ रहा हूं कि यूनियन टैरिटरीज़ में जिन राजनैतिक पीड़ितों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गयी है क्या उनके बच्चों को भी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है उनको तो यह सहायता लेनी भी नहीं चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब काल्पनिक है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि इन राजनैतिक पीड़ितों ने किसी प्रान्त के लिये नहीं बल्कि समस्त भारत के लिये काम किया। अतः राजनैतिक पीड़ितों और उन के पीड़ितों को केन्द्रीय प्रश्न के रूप में लिया जाना चाहिये। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** एक प्रश्न तो उन्हें सहायता देने के बारे में था जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि रियायत उसी समय की जाती है जब आमदनी ३०० रुपये मासिक से अधिक न हो। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, यह सच है कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने किसी विशेष क्षेत्र अथवा प्रांत के लिये नहीं, बल्कि सारे देश के लिये काम किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिस में भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल कर काम करेंगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या मैं जान सकता हूं कि राजनैतिक पीड़ित कितने हैं और क्या सरकार ने उनकी कोई अलग सूची रखी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमारे पास कोई सूची नहीं है। वह राज्य सरकारों के पास हो सकती है क्योंकि वास्तव में वे ही इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

बिहार-पश्चिमी बंगाल सीमा-विवाद

+

†*११३७. { **श्री साधन गुप्त :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल और बिहार की सरकारों में इस प्रश्न पर विवाद है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले और बिहार के पूर्णिया जिले की सीमा पर स्थित गोविन्दपुर गांव बंगाब में है या बिहार में;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई जिक्र किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद को निबटाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) हां।

(ख) हां।

(ग) पूर्व क्षेत्रीय परिषद की हाल ही में भुवनेश्वर में हुई बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था और यह निश्चय किया गया था कि वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये दोनों सरकारों के मुख्य सचिवों को उसी स्थल पर जांच करनी चाहिये और तब स्थिति यथावत् रहनी चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों राज्यों में पहले पहल कब विवाद आरम्भ हुआ ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** हमें पश्चिमी बंगाल से नवम्बर १६५८ में सूचना मिली।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार सन् १८४७ से उन स्थानों से कर वसूली करती है।

†**श्री गो० ब० पन्त :** मुझे स्मरण नहीं है। दोनों सरकारें अपना अपना दावा पेश कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** उस समय दो सरकारें नहीं थीं। १८४७ में तो सारा बिहार बंगाल में था।

†**श्री साधन गुप्त :** माननीय मंत्री ने बताया है कि यथावत् स्थिति बनी हुई है। यह यथावत् स्थिति क्या है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जो आज तक स्थिति है, वही यथावत् स्थिति है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार को पता है कि पुलिस के कुछ आदमी उस जिले में घुस गये और वहां के लोगों के साथ हिंसा और गालीगलौज का प्रयोग किया ? बिहार के पुलिस के लोगों को वहां जाने का क्या अधिकार है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यदि ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता

†*११३८. { **श्री ना० रा० मुनिस्वामी :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासन हीनता और दायित्वहीनता की प्रवृति रोकने के लिये कोई योजना या कार्यक्रम है ; और

(ख) क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये स्कूलों और विद्यालयों के प्रबन्धकों को कुछ अंतरिम सुझाव दिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कूस्लों और विद्यालयों में शिक्षा स्थिति में सर्वांगीण सुधार और अध्यापकों तथा विद्यार्थियो का उन्नत कल्याण करने के लिये उठाये गये विभिन्न कदमों के अतिरिक्त विद्यार्थियों में अनुशासन बढ़ाने के लिये सोचे गये विशेष तरीके निम्नलिखित हैं :—

(१) राष्ट्रीय अनुशासन योजना ;

(२) सहायक छात्र सेना ;

(३) राष्ट्रीय छात्र सेना; और

(४) श्रम तथा समाज सेवा योजनाएं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना और राष्ट्रीय छात्र सेना के उत्तरोत्तर विस्तार करने का विचार है ताकि स्कूल और विद्यालय के छात्र अधिक संख्या में उन के अन्तर्गत आ सकें। विद्यार्थियों

---

†[मूल अंग्रेजी में]

द्वारा राष्ट्रीय सेवा भी आरम्भ कराने का विचार है ताकि उन में अनुशासन की भावना, समाज सेवा की लगन और शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा के प्रति जागरूकता पैदा हो। सरकार ने इसके उपयुक्त कार्य क्रम के लिये एक समिति नियुक्त की है। इस के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों की अनुशासन हीनता की समस्या का अध्ययन करने और उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। साथ ही साथ शिक्षा पद्धति में सुधार के सम्पूर्ण प्रश्न से अनुशासन के सुधार पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

(ख) कुछ नहीं, श्रीमान्। स्कूल और विद्यालयों के प्राधिकारी अनुशासनिक एवं अन्य यथेचित कार्यवाही करने के योग्य हैं।

चोरी छिपे माल लाना व लेजाना

†*११३६. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की थल-सीमा के इधर उधर चोरी छिपे माल लाना व ले जान के तरीकों में काफी परिवर्तन है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है; और

(ग) पिछले बारह महीनों में चोरी छिपे माल लाने व ले जाने से सोने के देशीय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). देश की थल-सीमा के इधर उधर चोरी छिपे माल लाने व ले जाने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार तस्कर व्यापारी अपने तरीके और अपना माल बदल देते हैं।

(ग) ऐसा माना जाता है कि देश में चोरी छिपे सोना लाने के व्यापार में कमी भी अक्तूबर १६५८ से देश में सोने का भाव बढ़ने का एक कारण है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त

†*११४०. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री रामम् :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वें० प० नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने केरल राज्य का हाल ही में दौरा किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार को कुछ ऐसे वक्तव्यों का पता चला है जो जब वह आयुक्त केरल में था तब उसने केरल की भूतपूर्व सरकार की आलोचना करते हुये दिये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या आयुक्त ने अपनी केरल यात्रा के बारे में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) आयुक्त ने पिछली बार १६ से २३ अक्तूबर, १९५९ तक केरल राज्य का दौरा किया ।

(ख) भारत सरकार ने केरल में पिछड़ी जातियों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रशासन के बारे में प्रेस समाचार देखे हैं किन्तु आयुक्त द्वारा जारी किया गया कोई वक्तव्य नहीं देखा है । वास्तव में आयुक्त ने कहा है कि उन ने ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं किया ।

(ग) उन ने केरल सहित कई राज्यों की यात्रा के सामान्य टिप्पण लिखे हैं ।

स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम का लागू होना

†*११४१. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के १ मई, १९५८ से लागू होने से अब तक उस के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उस के कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों से कोई सुझाव आये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे सुझाव संक्षेप में क्या हैं ; और

(घ) उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) एक्ट के उद्देश्य पूरे करने के लिये ११ राज्य सरकारों तथा समस्त संघ क्षेत्रों द्वारा नियम बनाये गये हैं । अब तक ७२ रक्षालय आरम्भ किये बताये जाते हैं । इस ऐक्ट से सम्बन्धित अपराधों की देख भाल के लिये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सरकारों तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनों द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) और (ग). निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये गये हैं :—

(१) एक्ट के अधीन पुलिस इंस्पेक्टर को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये जाने की अनुमति होनी चाहिये ।

(२) धारा १५ की उपधारा (१) के अन्तर्गत क्षेत्र की एक स्त्री गवाह होने पर बिना वारंट के तलासी लेने का अधिदेशात्मक उपबन्ध हटा दिया जाये ।

(ख) सुझाव विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रिहांड बांध परियोजना

†*११४२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहांड परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बांटने के प्रश्न पर केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् द्वारा किये गये विचार का क्या परिणाम निकला, और

(ख) यह प्रश्न कब तक हल हो जाने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). यह विषय केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक के कार्यक्रम में रख लिया गया है जो निकट भविष्य में होने वाली है ।

त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के लेखे

†*११४३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के लेखे की लेखा-परीक्षा की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)** : त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् एक निगमित निकाय है और उसके लेखे की लेखा-परीक्षा आसाम के महा-लेखापाल द्वारा की जाती है । परिषद् से यह पता लगा लिया गया है कि उसके १८ सितम्बर, १९५७ से ३१ मई, १९५८ तक की अवधि के लेखे की लेखा-परीक्षा पिछले वर्ष की जा चुकी है और १ जून, १९५८ से ३० नवम्बर, १९५९ तक की अवधि के लेखे की लेखा-परीक्षा की जा रही है ।

(ख) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किये जायें या नहीं इस बात का निर्णय परिषद् ही कर सकती है ।

विदेशी मुद्रा

†*११४४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय पर्यटकों को पर्यटन के लिये बढ़ावा देने के हेतु विदेशी मुद्रा के निबन्धों को शिथिल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान में धान के खेतों में रोग

†*११४५. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पिछले वर्ष तथा इस वर्ष अन्दमान में पोट ब्लायर क्षेत्र के सर्वाधिक धान पैदा करने वाले क्षेत्र के काफी हिस्से पर, "स्टेम बोअरर" नामक रोग का आक्रमण हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो धान की फसल की अनुमानतः कितनी क्षति हुई; और

(ग) इस रोग के नियंत्रण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) गत वर्ष और इस वर्ष क्रमशः ६३ एकड़ और १०८ एकड़ भूमि पर "स्टेम बोअरर" का आक्रमण हुआ था।

(ख) इस समय धान की फसल पैदा हो रही है अतः हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) खाद्यान्न की फसलों पर रोगों के आक्रमण को रोकने के लिये दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत एक संरक्षण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को आधे मूल्य पर कीटनाशक दिये जाते हैं। और स्प्रेयर तथा डस्ट जैसे उपकरण ऋण पर दिये जाते हैं। किसानों को मुफ्त प्रविधिक सलाह भी दी जाती है। पेड़ पौधे संरक्षण योजना के कर्मचारियों द्वारा किसानों को कीटनाशकों का छिड़काव करने में निःशुल्क सहायता भी दी जाती है।

पिंटो और रोटरी तेल मिल

†*११४६. **श्री तंगामणि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिंटो और रोटरी मिलों पर चक्रवर्ती दर से शुल्क वसूली में परिवर्तन करने पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या तेल की मिलों के मालिकों के संगठनों से चक्रवर्ती शुल्क योजना में परिवर्त्तन करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क), (ख) और (घ). जी, हां। तेल मिलों के मालिकों के संगठनों से चक्रवर्ती शुल्क योजना में परिवर्तन करने के लिये कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इसलिये इस पूरे प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते ही संशोधित योजना की विधिवत् सूचना दे दी जायगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शुद्ध माप-यंत्रों का निर्माण[1]

†*११४७. **श्री न० म० देव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुद्ध माप-यंत्रों के मामले में प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिे स्वावलम्बी होे के हेतु सरकार की ऐसे यंत्रों को बनाने की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Manufacture of precision instruments.

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : आयुद्ध कारखाने कई शुद्ध माप-यंत्रों का, जो प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये महत्व रखते हैं, निर्माण कर रहे हैं या उनका विकास कर रहे हैं। इन कारखानों की ऐसे यंत्रों की निर्माण क्षमता को बढ़ाने की भावी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में खनिजों की खोज

†*११४८. **श्री संगण्णा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में खनिज प्राप्ति की संभावनाओं की खोज करने के लिये भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने कोई योजना बनाकर भेजी है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नेहीं होते।

रद्दी लोहे का निर्यात

†*११४९. **श्री नागी रेड्डी** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रद्दी लोहेके निर्यात पर वस्तु विनिमय निर्यात नीति का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या सरकार वस्तु विनिमय आधार पर रद्दी लो के निर्यात को नियमित करेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) रद्दी लोहे का निर्यात काफी बढ़ गया है।

(ख) रद्दी लोहेको केवल वस्तु विनिमय आधार पर निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिन्दी असिस्टेंट

†*११५०. **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री गोविन्द दास :
श्रीमती शकुन्तला देवी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग्यता-प्राप्त हिन्दी असिस्टैंट अब उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें काम दिलाऊ दफ्तरों और अधीनस्थ कार्यालयों से तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से भरे गये पदों पर नियुक्त कर दिया गया है;

(ग) क्या योग्यता-प्राप्त हिन्दी असिस्टैंटों को भी वही वेतन-क्रम दिया जायेगा जो १ फरवरी, १९५७ से पहले भर्ती किये गये हिन्दी असिस्टैंटों को दिया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):(क)जी हां। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जून, १९५९ में ली गई विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में ४६ उम्मीदवार सफल घोषित किये गये हैं।

(ख) परिणाम घोषित होने के बाद इन ४६ सफल उम्मीदवारों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और ३१ को रिक्त स्थानों पर या रेग्यूलर असिस्टैंट या तदर्थ आधार पर भर्ती किये गये उन हिन्दी असिस्टेन्टों के स्थान पर लगा दिया गया है जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की और जिनको १–९–५९ को इन पदों पर तीन साल पूरे नहीं हुए। दो और सफल उम्मीदवार परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले ही हिन्दी असिस्टेंट के पद पर काम कर रहे थे।

(ग) और (घ). हिन्दी असिस्टेंन्टों के पद ऐक्स-काडर माने गये हैं, चाहे उन पर सफल उम्मीदवार ही क्यों न काम कर रहे हों। इसलिये इन उम्मीदवारों को उनके अपर डिवीजन क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क के वेतन के अलावा ३० रुपये मासिक विशेष वेतन दिया जायेगा।

तीन-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम

†११५१. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **शिक्षा** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय देशमुख समिति की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चालू करने के बारे में राज्य सरकार के साथ जो विचार-विमर्ष चल रहा था उस के बारे में इस बीच क्या कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(ग) उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक अन्तिम निर्णय होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था कि वर्तमान माध्यमिक शिक्षा पद्धति में कोई फेर-बदल न करते हुए राज्य के चार विश्वविद्यालयों, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ में तीन वर्ष का वार्षिक पाठ्यक्रम चालू होना चाहिये, अर्थात् हाई स्कूल में दो वर्ष लगाने के बाद दो वर्ष इन्टरमीजिएट में लगने चाहिये और इस योजना को अमल में लाते हुए होने वाले अनावर्ती खर्च के लिये सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिये। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि वे इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिये आगे कार्रवाई करे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

खान्डसारी पर उत्पादन शुल्क

†*११५२. **श्री राम शरण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खान्डसारी चीनी पर मिलाजुला उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार कर रही है जैसा कि इस वर्ष के प्रारम्भ में घोषित किया गया था; और

(ख) १९५९ में खान्डसारी चीनी पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से कितना धन वसूल हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) खान्डसारी चीनी पर मिलाजुला उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) खान्डसारी चीनी पर १९५९ में नवम्बर, १९५९ तक उत्पादन शुल्क रूप में ७,३८,००० रुपये वसूल किये गये ।

अमरीका से ऋण

†*११५३. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीका से ५५ करोड़ डालर के चालू वर्ष के विनियोजन से १९ करोड़ रुपये का ऋण दिये जाने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रार्थना का क्या फल निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अमरीका की कांग्रेस द्वारा विकास निधि के लिये ५५ करोड़ डालर विनियोजित किये जाने से पहले ही कुछ कार्यक्रमों और योजनाओं पर, जिनका वित्त प्रबन्ध चालू वर्ष के विनियोजन से किया जायेगा, चर्चा की जा रही है । इन चर्चाओं के दौरान कार्यक्रमों और योजनाओं तथा उनके अनुमित व्यय में संशोधन किया जा रहा है और कितने धन के लिये प्रार्थना की गई थी यह बताना उचित नहीं होगा ।

(ख) पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के कार्यान्विय के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करना ।

(ग) बातचीत अभी जारी है ।

नागा विद्रोही

†*११५४. { **श्रीमती मफीदा अहमद** : **श्री पाणिग्रही** : **श्री प्र० चं० बरुआ** : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि तुएनसांग के निकट आर्मी एम्बुलैन्स यूनिट के १७ सदस्यों पर अभी हाल नागा विद्रोहियों ने धावा बोला था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ऐसी कोई वारदात नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिवसागर में तेल की खोज

†***११५५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में शिवसागर में लोंगसाई में तेल की खोज में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना व्यय हुआ और यह कार्य कब तक चलेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) शिवसागर के लोंगसाई क्षेत्र की भूकम्प सम्बन्धी खोज अप्रैल, १९५८ में पूरी हो गई थी । दसनमुध में ३८११ मीटर की गहराई तक एक परीक्षण कूप खोदा गया था जहां खुरदरे पत्थर मिले । इस कूप में बिजली की सहायता से कुछ चु ी हुई जगहों पर परीक्षण किये जायेंगे । यह कार्य निकट भविष्य में किया जायगा ।

(ख) चूंकि प्रत्येक परियोजना का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता इसलिये अनुमित आंकड़े ही दिये जा सकते हैं । आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायगे । खोज का कार्य संभवत: तृतीय पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान चलेगा ।

विदेशी राष्ट्रजनों के निवास के लिये परमिट

†***११५६.** { **श्रीमती मंजुला देवी** :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि राष्ट्रमंडलीय देशों के राष्ट्रजन, राजदूत और राजदूतावास के कर्मचारियों को छोड़ भारत में रहने वाले सभी विदेशी राष्ट्रजनों को अपना पजीयन कराना और निवास के लिये परटि लेना होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस नये निर्णय के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) जी हां, यदि उनके पास ये कागजात न हों तो।

(ख) ऐसा पता लगा था कि कई विदेशियों के पास वैध पारपत्र या यात्रा के अन्य कागजात नहीं थे ।

बम्बई राज्य का विभाजन

***११५७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई राज्य को विभाजित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय करेगी;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या महाविदर्भ के बारे में भी कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार उस पर भी विचार करेगी; और

(घ) क्या बम्बई राज्य को विभाजित करने से केन्द्र को और अधिक आर्थिक भार वहन करना पड़ेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) से (घ). सरकार को हाल ही में इस बारे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा पास किये गये प्रस्ताव की प्रति मिली है । इस मामले पर गौर किया जा जा रहा है ।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

†*११५८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के बाद से अब तक बम्बई और मैसूर राज्यों में यह पृथक्करण पूर्ण रूप से हो चुका है । पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में इस योजना को लागू करने के लिये कार्यपालिका द्वारा आदेश दे दिया गया है । आसाम राज्य की सरकार ने इस काम के लिये एक समिति नियुक्त की है जिसकी सिफारशों की प्रतीक्षा की जा रही है । उत्तर प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना को और १४ जिलों में लागू करने का विचार कर रही है ।

निवेली में उर्वरक, कारखाना

†*११५९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री आचर : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३१ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न सख्या ९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा उर्वरक कारखाने के लिये विश्व के देशों से की गई पूछताछ के परिणामस्वरूप प्राप्त टेंडरों की जांच कर ली गई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम निर्णय किया गया; और

(ग) इस संयंत्र की स्थापना के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) उर्वरक योजना के लिये संयंत्र मशीनें और अन्य उपकरण देने और संयंत्र की स्थापना के लिये मेसर्स पिन्टश् बेमग-लिन्ड (पश्चिम जर्मनी) और मेसर्स एनसेल्डो (इटली) के प्रस्ताव स्वीकार किये जा चुके हैं और कारपोरेशन ने उन्हें आवश्यक आदेश दे दिये हैं।

(ग) इस योजना के लिये आवश्यक भूमि अर्जित कर ली गई है। इमारत आदि के डिजाइन के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही भी की गई है। संयंत्र की स्थापना के स्थान पर संयंत्र, मशीनें और अन्य उपकरण प्राप्त करने तथा संयंत्र की स्थापना के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

पुरातत्व विभाग

†*११६०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग का काम सम्भालने के लिये जिसका विस्तार किया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न योग्यता वाले जितने व्यक्ति अपेक्षित होंगे, क्या उनका कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) विभिन्न स्तरों पर इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्यमंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). यह अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की अगले दो वर्षों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रति वर्ष प्रविधिक योग्यता रखने वाले सोलह गजटेड और ग्यारह गैर गजटेड पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) पुरातत्व विद्या का प्रशिक्षण देने के लिये १५ अक्तूबर, १९५९ को एक पुरातत्व सम्बन्धी स्कूल खोला गया है।

संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि में भारत का अंशदान

†*११६२. **श्री ना० रा० मुनिस्वामी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राम गरीब :
काजी मतीन :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में जो संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि बनाई गई है उसमें भारत सरकार ने कितना अंशदान दिया है,

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : वर्ष १९५९ के लिये ५००,००० डालर के बराबर के रुपये दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेष प्रकार का इस्पात

†११६३. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ मार्च, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन की वर्तमान लागत क्या है; और

(ख) क्या १२ टन के विद्युत् आर्क भट्टी चालू हो गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) विशेष और मिश्रित इस्पात के उत्पादन की लागत मुकाबले में कम है । ११३ विभिन्न किस्मों का इस्पात बनाया जाता है । कुछ किस्में सैनिक हथियार बनाने के काम आती हैं ।

(ख) हां, श्रीमान् यह निश्चित तिथि से पूर्व, जो अक्तूबर थी, २३ सितम्बर, १६५६ से चालू कर दिया गया ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†*११६४. { **डा० राम सुभग सिंह** : / **श्री सुविमन घोष** :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ नवम्बर, १६५६ को दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विद्युत् संयंत्र में कुछ नई त्रुटियों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इसके लिये इण्डियन स्टील वर्क्स कम्पनी लिमिटेड पर कोई जुर्माना लगाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विद्युत् संयंत्र में २-११-१६५६ को कोई नई त्रुटियां नहीं पाई गईं ; २२-१०-१६५६ को पता लगा था कि विद्युत् संयंत्र के आर० सी० वाटर डक्ट (जल की नाली) में कुछ दरारें पैदा हो गई थीं । इस बात की जांच करने के पश्चात् ठेकेदारों ने तुरन्त आर० सी० नाली में वेल्ड किये हुये इस्पात के पाइप डाल कर और इस्पात के पाइपों तथा कंकरीट की नालियों के बीच की खाली जगह को भर कर और उस में गीला चूना डाल कर दरारें बन्द कर दी थीं ।

ठेके के अधीन संयंत्र में पैदा होने वाली सब त्रुटियों को इण्डियन स्टील वर्क्स कांस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को अपने खर्च पर ठीक करना पड़ता है ।

सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति

†११६४-क : **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डिया गेट के सामने सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गोबिन्द बल्लभ पन्त) : (क) और (ख): यह सुझाव नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को मिला था जिन्होंने इसे दिल्ली के उचित स्थान पर मूर्तियां लगाने से सम्बन्धित सलाहकार समिति के सामने रख दिया। इस काम के लिये सबसे अच्छी जगह के सवाल और दूसरी सम्बन्धित बातों पर गौर किया जा रहा है।

भारत को अमरीकी सहायता

†*११६४–ख. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान अमरीका सरकार की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत को दी गई सहायता में त्रुटियों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां श्रीमन्। इस विषय पर कुछ समाचार पत्रों में निकले हैं।

(ख) समाचार पत्रों में निकले समाचारों के अनुसार जुलाई १९५४ से जून १९५८ तक भारत में अमरीकी सहायता कार्यक्रम की लेखा परीक्षा के परिणाम हाल ही में अमरीका में प्रकाशित हुए हैं। यह पता लगा है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, भारत सरकार द्वारा अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय सहकार प्रकाशन को अधूरे प्रतिवेदन भेजने, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सहकार प्रशासन में कम कर्मचारी होने, सहायता की कुछ वस्तुओं के कम प्रभावी प्रयोग के उदाहरणों और अमरीका के लेखे में स्थानीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ समस्यायें पैदा होने के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। यह भी सुना है कि रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि भारत के विभिन्न सहायता सम्बन्धी कार्यक्रमों में परियोजनों के उद्देश्यों को पूरा किया गया है और कि भारत में प्रशासन तथा लेखे के प्रबन्ध में काफी सुधार हुआ है।

बिना पार पत्र के विदेशी राष्ट्र जन

†*११६५. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री सें० अ० मेहदी :
श्रीमती मंजुला देवी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर, आसनसोल, बर्नपुर और अन्य स्थानों पर बहुत सी संख्या में ऐसे विदेशी राष्ट्रजन पाये गये हैं जिनके पास यात्रा सम्बन्धी मान्यता प्राप्त पत्र और पारपत्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो वे लोग किस देश के राष्ट्र जन हैं;

(ग) वे पारपत्रों के बिना किस प्रकार इस देश में आ गये; और

(घ) उनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर तुरन्त सभा की टेबल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-पाक वित्त वार्ता

†*११६६. { श्री प्र० गं० देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ दिसम्बर, १९५९ को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के कर्मचारियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)**: (क) से (ग). १८ दिसम्बर, १९५९ को मैंने सभा में जो वक्तव्य दिया था उसकी ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

दिल्ली में पकड़े गये चाकू

†११६७. { श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर मास १९५९ में दिल्ली पुलिस ने दो हजार से ऊपर चाकू पकड़े थे; और

(ख) क्या पुलिस अधिकारी यह पता लगा सके हैं कि ये चाकू इतनी बड़ी संख्या में किस प्रयोजन के लिये एकत्रित किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर चाकू बेचने के लिये रखे गये थे ।

नवयुवकों के लिये सैनिक शिक्षण

†११६८. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में १५ और १९ वर्ष के बीच की आयु वाले दो लाख से अधिक नवयुवकों को शस्त्रों का प्रयोग सिखाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब लागू किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (ग). राष्ट्रीय छात्र सेना दल में अधिक वृद्धि करने की योजना के ब्यौरे पर विचार किया गया है और उसे तैयार किया गया है। शीघ्र ही इसके लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करने की योजना बनाई गई है। इस समय १६ से १६ वर्ष के बीच की आयु पर हम विचार कर रहे हैं।

सोन का तस्कर व्यापार

†*११६८–क. **श्रीमती मफीदा अहमद**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में पता लगाया कि सोना चूर्ण रूप में डाक के लिफाफों द्वारा चोरी छिपे लाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) तथा (ख). जानकारी का एक विवरण सभा की टेबल पर रखा जाता है।

विवरण

पूर्ण सूचना के अनुसार कि श्री वीरजी लाल वासनजी लालजी बम्बई को डाक द्वारा सदन से सोना चूर्ण रूप में आ रहा है २ दिसम्बर, १६५६ को बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसके मकान की तलाशी ली और उसे तीन लिफाफे मिले जो उसी समय आये थे और जिनमें से प्रत्येक में एक एक तोला सोने का चूर्ण था। सोने के इन लिफाफों के मिलने पर तुरन्त विदेशी चौकी की जांच की गई और २१ और लिफाफे मिले जिनमें से प्रत्येक में लगभग एक एक तोला सोने का चूर्ण था।

नेशनल एटलस आर्गेनाइजशन आफ इंडिया का मुख्य कार्यालय

*११६८–ख. **श्री भक्त दर्शन**: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेशनल एटलस आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया का मुख्य कार्यालय देहरादून से हटा कर कलकत्ता ले जाने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). नेशनल एटलस आर्गेनाइजेशन का मुख्य दफ्तर शुरू से ही कलकत्ता में है और इसलिये उसे हटाने का सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोकारो में इस्पात कारखाना

†*११६९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो में चौथा इस्पात कारखाना स्थापित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : भूमि के बारे में प्रारम्भिक जांच और कटूर सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा किया जा चुका है । सख्त चट्टान में सौ से अधिक सूराख निकाले जा चुके हैं और मिट्टी के नीचे जल की सतह के बारे में निश्चय करने के लिये और मिट्टी तथा जल की किस्म जानने के लिये १५० से अधिक गड्ढे खोदे जा चुके हैं ।

अस्थायी दफ्तर और अविवाहितों क मकान शिवर के स्थान पर लगभग बन कर तैयार हो गये हैं । प्रारम्भिक परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करने के लिये जो भारतीय परामर्शदाता फर्म नियुक्त की गई थी उसने बाजार सर्वेक्षण सम्बन्धी एक अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है ।

सोने का तस्कर व्यापार

†*११७०. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक द्वारा पश्चिम एशिया में विशेष प्रकार के रुपये के नोट चलाने के बारे में सोचे गये लक्ष्य और उद्देश्य अर्थात् परम्परागत साधनों से सोने के तस्कर व्यापार को रोकने का उद्देश्य पूरा हो गया है; और

(ख) क्या मुद्रा विनियमन और मुद्रा सम्बन्धी नियन्त्रण से बचने के लिये तस्कर व्यापारियों ने और इन प्रतिबन्धात्मक साधनों के कारण जो उनका व्यापारिक क्रम टूट गया था उसे पुनः जोड़ कर तस्कर व्यापार के ढंग में परिवर्तन कर लिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत में सोने को चोरी छुपे लाने की वित्त व्यवस्था उन क्षेत्रों को जिन में भारतीय विशेष मुद्रा जारी की गई है, भारतीय नोट भेजने की अपेक्षा अन्य साधनों से की जाती है । किन्तु ऐसा तस्कर व्यापार बहुत कठिन होता है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसमें कोई अधिक वृद्धि हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में हरिजन कल्याण विभाग

†*११७१. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री वी० ईयाचरण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य में सहकारी समितियों और हरिजन कल्याण विभाग के कार्य की जांच करने के लिये निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) राज्य सरकार ने केरल में नारियल की जटा सम्बंधी सहकारी समितियों के कार्य की जांच की थी । जहां तक हरिजन कल्याण विभाग का सम्बन्ध है यह जानने के लिये विभाग द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन किया गया था कि विभाग ने जो साधन अपनाये थे उनसे उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता मिली है ।

(ख) यह कार्यवाही इस लिये की गई थी कि कुछ साधनों का पता लगे और यह पता लगे कि समितियों तथा हरिजन कल्याण विभाग के कार्य में सुधार के लिये क्या परिवर्तन आवश्यक हैं ।

आय-कर जांच आयोग के भूत-पूर्व सदस्य

†*११७२. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **वित्त** मंत्री ७ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२७० के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें निम्नलिखित बताया गया हो;

(क) आय-कर जांच आयोग के भूतपूर्व दो सदस्य किन तिथियों को सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हुए थे;

(ख) किन तिथियों को वे पहली बार सम्बन्धित दल की ओर से आय-कर (विशेष जांच) के निदेशकों के समक्ष उपस्थित हुए थे;

(ग) क्या उन द्वारा साक्ष्य देने के बारे पूर्व अनुमति के लि प्रार्थना पत्र मिला था और क्या अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) तारांकित प्रश्न संख्या २२७० के उत्तर में आय-कर जांच आयोग के जिन दो सदस्यों का उल्लेख किया गया था वे १९–४–५२ और १–५–५६ को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए थे ।

(ख) वे पहली बार क्रमश: १७–१२–१९५६ और १०–१०–१९५७ को आय-कर वकीलों के रूप में निरीक्षण निदेशक (विशेष जांच) के समय उपस्थित हुये थे ।

(ग) तथा (घ). निरीक्षण निदेशक (विशेष जांच) के समक्ष उनके उपस्थित होने के लिय पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी । एक प्रथम श्रणी के सेवा निवृत्त पदाधिकारी को "वाणिज्यिक नौकरी" स्वीकार करने के लियें सेवा निवृत्ति के दो वर्ष के बीच सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है । आय-कर सम्बन्धी वकालत की वृत्ति को "वाणिज्यिक नौकरी" नहीं समझा जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल का उत्पादन

†*११७३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रतिशत मात्रा में; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) आसाम तेल कम्पनी के क्षेत्रों में लगभग २० प्रतिशत। भारतीय तेल क्षेत्रों में तेल का वाणिज्यिक उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन बढ़ाने के लिये अभी कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे जब तक अशुद्ध तेल की बढ़ी हुई मात्रा को साफ करने के लिये गौहाटी और फिर बरौनी में तेल शुद्ध करने की क्षमता नहीं बढ़ा दी जाती।

अपंगों के लिये निःशुल्क शिक्षा

†*११७४. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अपंगों को निःशुल्क शिक्षा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना बनाई जा चुकी है; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). अपंगों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई।

देशीयकरण के लिये चीनी राष्ट्रजनों के प्रार्थना-पत्र

†*११७५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी राष्ट्रजनों ने देशीयकरण प्रमाण पत्रों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, १९५९ से कितने लोगों ने इसके लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को उक्त प्रमाण-पत्र दे दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ख) भारत सरकार को केवल ३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण

*११७५-क. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सं० म० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ दिसम्बर, १९५९ की रात्रि को नागा विद्रोहियों ने जोरहाट से ३० मील की दूरी पर बजालकाटा, नंगीनीजरी और रायडंगथेगल गांव पर धावा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस का पूरा व्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क), (ख) तथा (ग). ६ दिसम्बर, १९५९ की रात को लगभग २० विद्रोही नागाओं ने, जिन्होंने हरे रंग के गणवेश पहने हुए थे और बन्दूकों और राइफलों से सुसज्जित थे, आसाम के जिला शिव सागर के टीटाहर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में बजालकाटा नागनोजुरीथंगल गांव और नागा वस्टेथंगल गांव पर आक्रमण किया और दो एस० बी० बो० एल० बन्दूकें, ४५ कारतूस, कपड़े, आभूषण और ६१३० रुपये नगद ले गये। गांवों में प्रतिरक्षा दल संगठित किये जा रहे हैं और पैरा सख्त कर दिया गया है।

भारत के राज्य बैंक की शाखायें

†१८९९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भारत के राज्य बैंक की कुल कितनी-कितनी शाखायें खोली गयी हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत के राज्य बैंक के खुलने की तारीख से अर्थात् १ जुलाई, १९५५ से नवम्बर, १९५९ के अन्त तक इसकी २२ शाखायें पंजाब में और दो-दो शाखायें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में खोली गयी हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का बम्बई का दौरा

†१९००. **श्री पांगरकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त ने कितनी बार बम्बई का दौरा किया है; और

(ख) राज्य में वह किन-किन स्थानों पर गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) आठ बार ।

(ख) दोहद, झालोड़, कुशलगढ़, बदवास लुहारिया, सज्जनगढ़, गोढ़रा, करोली, बजलपुर, रामेशरा, बड़ौदा, सूरत, बम्बई, नागपुर, दहानू रोड, मोखामा, बशाले, कोरताड़, जवाहर, तलवाड़ा, कैनाड, बोरदी, गोहलवाड़, बिल्लीवोरा, बोरखादी, बुल्सर, धरमपुर, बदखम्भा, नानापोड़ा, मोटा पुन्डा, अमेठी, ननीवाहोमाल कपराडा, मंडवा, नोरल, कारजाट, गौरकामर, चौक खालापुर, छिवे, वबलोली, पाली, रोंहा, खारगांव, कोलाड़, पेन, कल्याण, नासिक रोड़, भोलगांव, सतला, नासिक रोड, औरेल, (बसीन) कोस्बाद, देहानू रोड़, कासा, सरवोदय, केन्द्र तलासरी, कसा, तेलवाड़ा, मुरबाद, पावन. थेरोन्दा, आशागढ़ ।

पंजाब में पोलीटेक्निक

†१९०१. { **श्री हेम राज :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के **अतारांकित प्रश्न संख्या** २१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से केन्द्र द्वारा स्थापित किये जाने वाले तीन पौलीटेक्निक तथा एक राज्य द्वारा स्थापित किया जाने वाला अतिरिक्त पौलीटेक्निक के प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा स्थापित की जाने वाली तीन पोलीटैक्निक को सिरसा, हमीरपुर, तथा बटाला में स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं । राज्य द्वारा स्थापित की जाने वाली पोलीटैक्निक की स्थापना के प्रस्ताव अभी नहीं भेजे हैं ।

इलाहाबाद उच्चन्यायालय

†१९०२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्चन्यायालय में १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, तथा १९५८-५९ के कितने लेख्य ३० सितम्बर, १९५९ तक लम्बित थे; और

(ख) इन बकाया लेख्यों को निबटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही ह और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कैदियों की सजाओं में छूट

†१९०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई से नवम्बर, १९५९ तक केन्द्रीय सरकार अथवा राष्ट्रपति ने (१) हत्या के मामलों तथा (२) अन्य मामलों में कितने व्यक्तियों को क्षमादान तथा सज़ा में छूट दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : १ जुलाई से ३० नवम्बर, १९५९ तक की अवधि में २८ कैदियों की मृत्यु दण्ड की सजा को जीवन कारावास तथा एक व्यक्ति को सजा की छूट दी गई ।

दिल्ली में करों की वसूली

†१९०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में दिल्ली में केन्द्रीय करों की वसूली में कुछ कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

उड़ीसा में हाल तथा आडिटोरियम

†१९०५. **श्री पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिज परियोजनाओं के अधीन उड़ीसा की शिक्षा संस्थाओं से हाल व आडिटोरियम बनाने के अनुदानों के बारे में आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) इस प्रकार के अनुदानों के लिये किन-किन संस्थाओं ने आवेदनपत्र भेजे हैं; और

(घ) उनको यह अनुदान कब तक मिल जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्य के लिये राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है ।

(ग) १. भद्रक कालिज, भद्रक

२. यूनिवर्सिटी कालिज आफ इंजीनियरिंग, बुरला

३. पी० एम० एकेडेमी, कटक

४. सालीपुर हाई स्कूल, सालीपुर, कटक

५. अल्नाहार हाई स्कूल, कटक

६. सुन्दरग्राम हाई स्कूल, सुन्दरग्राम

७. खालीकोटे, कालिजिएट हाई स्कूल, बरहामपुर

८. बी० एम० बगाराय हाई स्कूल, भद्रक ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का पंजाब का दौरा

†१९०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने पंजाब राज्य का कितनी बार दौरा किया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य में वह किन-किन स्थानों पर गये ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती ग्राल्वा)** : (क) पांच बार।

(ख) पठानकोट, चकरपुर, गुड़गांव, रिवाड़ी, रोहतक, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, नंगल, असरों, अम्बाला, आलोह, दोराहा, लुधियाना, बारोवाल, भौरे, फगवाड़ा, जालंधर, जालोवाल, मल्सियां, अमृतसर, पोखा, जौरा, चण्डीगढ़ और दीनानगर।

पंजाब में बालिकाओं की शिक्षा

†**१९०७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में बालिकाओं की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कितनी धनराशि दी है; और

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस काम के लिये कुछ धन मांगा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) प्रारम्भिक स्तर पर महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार की केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अधीन ३·०० लाख रुपये का आवंटन किया गया ह।

(ख) जी हां, ३·०० लाख रुपये की मांग की ह जिसके लिये प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।

पंजाब में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†**१९०८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में केन्द्रीय सहायता से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने पंजाब में किस प्रकार की कल्याण विस्तार परियोजनायें स्थापित की गईं हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को किन स्थानों पर स्थापित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) समन्वित प्रकार की कल्याण विस्तार परियोजनायें।

(ख) १. अकोवाड़ा, जिला लुधियाना
२. समाना, जिला पटियाला
३. दसुआ, जिला होशियारपुर
४. पुंडरो, जिला करनाल
५. सोहाना, जिला गुड़गांव
६ फतेहाबाद, जिला हिसार
७ फुलवेस्ट, जिला भटिंडा।

पंजाब में आदिम जाति विकास

†**१९०९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों में (वर्षवार) कुल कितना धन आदिम जाति विकास के लिये व्यय किया गया ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवंटित समस्त राशि का उपयोग कर लिया जायेगा; और

(ग) १९५९ में अब तक आदिम जाति कल्याण परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राज्य क्षेत्र	केन्द्र क्षेत्र	जोड़
१९५६-५७	१.८०	१.८८	३.६८
१९५७-५८	२.४७	४.३१	६.७८
१९५८-५९	२.९८	५.८५	८.८३
जोड़	७.२५	१२.०४	१९.२९

(ख) जी नहीं ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में ३० सितम्बर, १९५९ तक राज्य क्षेत्र में १·९८५ लाख रुपये तथा केन्द्र क्षेत्र में ७·०३६ लाख रुपये आदिम जाति कल्याण पर व्यय किये गये हैं ।

पंजाब में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

†**१९१०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये (अलग-अलग) १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया; और

(ख) पंजाब में विशेष बहुप्रयोजन खण्डों को बनाने के लिये १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९५९-६० में पंजाब में अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये किया गया आवंटन नीचे दिया जाता है :

(रुपये लाखों में)

पिछड़े वर्गों की श्रेणियां	राज्य क्षेत्र	केन्द्र क्षेत्र	जोड़
(१) अनुसूचित आदिम जाति	६·९५	१२·०४	१८·९९
(२) अनुसूचित जाति तथा (३) अन्य पिछड़े वर्ग [(२) तथा (३) के अलग अलग आंकड़ों का पता लगाया जा रहा है]	३४·९८	७·५६	४२·५४
	४१·९३	१९·६०	६१·५३

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-क्षेत्र योजनाओं पर किये गए व्यय का ५० प्रतिशत तथा केन्द्र क्षेत्र योजनाओं पर किया गया समस्त व्यय केन्द्र सरकार का अंश होगा।

(ख) कोई नहीं; क्योंकि इस समय पंजाब में कोई विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड नहीं है।

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

†१९११. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में (३० नवम्बर, १९५९ तक) दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण किया गया;

(ख) कितने बच्चे मिल गये; और

(ग) इस अपराध के लिये कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) ११६।

(ख) ९१।

(ग) ६/९५ व्यक्तियों के विरुद्ध मामले न्यायालय में लम्बित हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का उत्तर-प्रदेश का दौरा

†१९१२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने कितनी बार उत्तर-प्रदेश का दौरा किया है; और

(ख) राज्य में वह किन-किन स्थानों पर गए ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) दो बार।

(ख) इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद।

दिल्ली की सामान्य शिक्षा योजनायें

†१९१३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य शिक्षा योजनाओं के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिये १९५९–६० में केन्द्र ने दिल्ली को कितना अनुदान दिया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** विभिन्न शिक्षा योजनाओं की क्रियान्विति के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा अपेक्षित निधियां उनके प्रशासन के आय-व्ययक में दी गई हैं तथा प्रशासन को केन्द्र ने कोई अलग अनुदान नहीं दिया है। चालू वर्ष के आय-व्ययक प्राक्कलनों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन दिल्ली प्रशासन की विभिन्न शिक्षा योजनाओं के लिये ११३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में अनाधिकृत प्रवेश

†१९१४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में अब तक पंजाब या पश्चिमी राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जो कि बिना पासपोर्ट लिये पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पार करके पाकिस्तान गये और भारत वापस लौटे ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन मामले

†१९१५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में अब तक दिल्ली में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अधीन कितने व्यक्तियों पर अभियोग लगाये गये तथा छोड़ दिये गये ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : चार व्यक्तियों पर अभियोग लगाया गया तथा सभी को छोड़ दिया गया।

पंजाब में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१९१६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है; और

(ख) इस आवंटित धनराशि में से कितनी राशि अब तक व्यय की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी जाती है :—

			(लाख रुपयों में)
	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	जोड़
स्वीकृत धनराशि	६१.१९	१२७.७२	१८८.९१@
३०–९–५९ तक स्वीकृत धनराशि	२८.३१	१०१.७२*	१३०.०३

*इसमें राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि में से व्यय किया गया धन शामिल है।

@१९५९–६० वर्ष के लिये व्यवस्था है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

†१९१७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को योजनाओं के बारे में कितना अनुदान अथवा ऋण दिया गया है; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिये कितना तथा किस प्रकार का अनुदान तथा ऋण दिया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में प्रतिबन्धित पाकिस्तानी पुस्तकें

†१९१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारत सरकार ने पाकिस्तानी लेखकों की कितनी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) क्या इसी अवधि में पाकिस्तान ने भारत सरकार से इस प्रश्न पर कभी बातचीत की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पाकिस्तान में मुद्रित तथा प्रकाशित निम्नलिखित तीन पुस्तकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया है :

(१) 'भूपत सिंह' पाकिस्तान में मुद्रित तथा प्रकाशित कालू वांक रावत वांक द्वारा लिखित ।

(२) 'एमेरिकन मिलिटरी ऐड टू पाकिस्तान' (ईट्स फुल इम्पलीकेशन्स), सलाहुद्दीन अहमद द्वारा लिखित, अब्दुस्सलाम द्वारा प्रकाशित तथा जी० ए० चौधरी द्वारा पैरामाउण्ट प्रेस लिमिटेड, ढाका में मुद्रित ।

(३) "कैप्टिव काश्मीर" अज़ीज बेग द्वारा लिखित, एलाइड बिजनैस कारपोरेशन, लाहौर द्वारा प्रकाशित तथा पाकिस्तान हेराल्ड प्रेस, कराची द्वारा मुद्रित ।

(ख) जी नहीं ।

नलीदार लोहे की चादरों का आयात

†१९१९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि १९५९-६० में विदेशों से अब तक किस मात्रा में नालीदार लोहे की चादरों का आयात हुआ; और

(ख) प्रति बण्डल की आयात कीमत क्या थी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १९५९-६० में अब तक चादरों का कोई आयात नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वित्त मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

†१९२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५८-५९ में दिल्ली और नई-दिल्ली के वित्त मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के विरुद्ध सतर्कता कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कुल कितने मामले पकड़े गये; और

(ख) उन मामलों के विषय मे क्या किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पैंतीस ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक मामले में जहां नौकरी के लिये गलत जानकारी दी गई थी, उस व्यक्ति की सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

२० मामले जांच के बाद वापस ले लिये गये । १४ मामले में जांच जारी है ।

[**टिप्पणी** :—इस जानकारी में भारतीय लेखा विभाग से सम्बन्धित जानकारी शामिल नहीं है]

भारत में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

†१९२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिये १ सितम्बर, से कुल कितने पाकिस्तानी पकड़े गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि-बस्तियां

†१९२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की हुई योजनाओं के अन्तर्गत १९५८–५९ में पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की कृषक बस्तियां कहां-कहां बनाई गईं ?

(ख) १९५९–६० में इन बस्तियों को कहां-कहां प्रारम्भ किया जायेगा ?

(ग) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५८–५९ और १९५९–६० में कितना अनुदान दिया; और

(घ) १९५८–५९ में यथार्थ में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जिन स्थानों में अनुसूचित जातियों को बसाने के लिये जमीन खरीदी जायेगी उनका अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हुआ है।

(ग) १९५८–५९—६·४० लाख रु० (लाभ प्राप्तकर्ताओं को अनुदानों के रूप में)। १९५९–६० के लिये ७·६४ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया ।

(घ) ६.४० लाख रुपये ।

विदेशों में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†१९२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ के दौरान (३० नवम्बर, १९५९ तक) थल, जल तथा वायु सेवा के कुल कितने अधिकारी विदेशों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे गये; और

(ख) ब्रिटेन के अलावा उन देशों के नाम जहां वे भेजे गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ३० नवम्बर, १९५९ तक, १९५९ के दौरान विदेशों में, उपकरण संवारण पाठ्यक्रमों के अलावा उच्चतर प्रशिक्षण के लिये विदेशों में ३८ अधिकारी भेजे गये ।

(ख) आस्ट्रेलिया, कनाडा, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में गांधी भवन

†१९२४. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या शिक्षा मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३९ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि. किन-किन विश्वविद्यालयों में गांधी भवन स्थापित हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : गांधी भवन की स्थापना किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुई है। १७ दिसम्बर, १९५९ को प्रधान मंत्री द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन की नींव डाली गई थी। आशा है निर्माण-कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा।

अंदमान द्वीप समूह में विकास कार्य

†१९२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंदमान द्वीप समूह में १९५९-६० के दौरान विभिन्न मदों के अन्दर विकास कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : १९५९-६० के दौरान अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास की विभिन्न मदों पर निम्नलिखित राशि व्यय की जायेगी :

	राशि लाख रुपयों में
(१) कृषि और सामुदायिक विकास	४२.२३७
(२) सिंचाई और विद्युत्	३५०
(३) उद्योग और खनन	१.८९२
(४) परिवहन और संचार	२१.०३४
(५) समाज सेवायें	१९.७८१
(६) विविध	०.२३४
(७) छोटे पत्तनों का विकास	५.०००
योग	९०.४९८

संगीत नाटक अकादमी

†१९२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी से १९५८-५९ में पंजाब की किन-किन संस्थाओं ने कितना-कितना अनुदान प्राप्त किया;

(ख) क्या १९५९-६० के दौरान संगीत नाटक अकादमी ने संगीत की उन्नति के लिये अनुदान देने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस की राशि क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) संगीत नाटक अकादमी ने १९५८-५९ वर्ष के दौरान हरिबल्लभ संगीत महासभा, जलंधर को २००० रु० का अनुदान दिया जायेगा ।

(ख) १९५९-६० के दौरान सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान मंजूर करने का प्रश्न अकादमी के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में तम्बुओं में सरकारी स्कूल

†१९२७. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के कितने सरकारी स्कूल तम्बुओं में चल रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (१) जो स्कूल पूरी तरह तम्बुओं में चल रहे हैं ३६

(२) जो स्कूल अंशतः मकानों और अंशतः तम्बुओं में हैं　　३७

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी

†१९२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पद्म देव :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग का कार्यक्रम बनाने वाली समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निश्चय हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). समिति का प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

सामुदायिक विकास मंत्रालय और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में समन्वय

१९२९. **श्री मा० ला० द्विवेदी :**
पण्डित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास मंत्रालय और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्षेत्रों में समन्वय लाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पंचवर्षीय योजना के तत्वाधान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों का अध्ययन करने वाले दल के निम्नलिखित अभिकथन पर क्या कार्यवाही की गई है :

"वर्तमान एकांगी व्यवहार के फलस्वरूप स्त्रियों और बच्चों को परिवार से अलग समझ लेने की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवार को एक ईकाई मान कर अधिक बड़े समुदायों की धारणा पर कार्य करना आवश्यक है" ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रैल, १६५७ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने समन्वित ढ़ंग की समाज कल्याण विस्तार प्रायोजनाओं की एक योजना चालू की थी। इस योजना के अधीन बोर्ड बच्चों, स्त्रियों और शारीरिक दृष्टि से अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिये कार्यक्रम बनाता और इसे सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय के सामुदायिक विकास खंडों में चालू करता है।

(ग) सिफारिश भारत सरकार के विचाराधीन है।

कर्मचमरियों की सेवा की अवधि में वृद्धि

†१६३०. **श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्धक्य वय के उपरांत ई० एम० ई० और ए० ओ० सी० संस्थापनों के केवल टेक्निकल कर्मचारियों के मामले में ही उन की सेवा की अवधि में वृद्धि की जाती है; और

(ख) १६५६ में अब तक ई० एम० ई० और ए० ओ० सी० संस्थापनों के कितने असैनिक क्लर्कों की वार्धक्य वय के उपरांत सेवाओं में वृद्धि की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) वार्धक्य वय के उपरांत अप्रविधिक कर्मचारियों की सेवाओं में तभी वृद्धि की जाती है जिस की सेवायें या तो लोक हित के लिये आवश्यक हों, और या वे नियुक्ति की शर्तों के अन्तर्गत ६० वर्ष तक सेवा करने के अधिकारी हों। दोनों ही मामलों में शारीरिक स्वास्थ्य तथा उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यकुशलता के मापदंड पर भी विचार किया जाता है।

(ख) ३५ व्यक्तियों की सेवावधि में वृद्धि की गई है जिन में २२ ए० ओ० सी० और १३ ई० एम० ई० में काम करते हैं।

राज्य संग्रहालय

†१६३१. { **श्री पाणिग्रही** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य अजायबघरों ने १६५६-६० के दौरान सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) उन्होंने कुल कितनी सहायता मांगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभिन्न राज्य अजायबघरों को मंजूरशुदा ६ लाख रुपये की राशि किस प्रकार दी गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ६४]

अखिल भारत सर्व सेवा संघ को अनुदान

†१६३२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५८-५६ और १६५६-६० में आज तक अखिल भारतीय सेवा संघ को उड़िसा में ग्रामदान गांवों के विकास के लिये सरकार ने अग्रेतर अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की राशि क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात संयत्रों पर व्यय

†१६३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ सितम्बर, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन इस्पात संयंत्रों से संबंधित व्यय की विभिन्न मदों के प्राक्कलन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली में भूमि की कीमतों में वृद्धि

†१६३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ अगस्त, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मकान बनाने की भूमि की बढ़ती हुई कीमतों संबंधी प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). यह प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

पन्ना में हीरे की खान

†१६३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० अगस्त, १६५६ अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्ना की हीरे की खानों के संबंध में स्वायतशासी संविहित निगम या कम्पनी स्थापित करने का प्रश्न किस स्थिति में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: वाणिज्यिक रूप से तेल निकालने के पूर्व बड़े पैमाने पर खुदाई करनी होगी खुदाई राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा की जायेगी ।

सफेद सीमेंट

†१९३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफेद सीमेंट के निर्माण के लिये विकास की गई प्रक्रिया की उपयुक्तता को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से देख लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्यिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, अभी तक नहीं देखा गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

इंजीनियरिंग संस्थाओं में वेतन ढांचा

†१९३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री पाणिग्रही :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग संस्थाओं के कर्मचारियों और वेतन ढ़ांचे के वैज्ञानिकन और सुधार की योजना लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : आसाम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकारों ने इस योजना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है। योजना की क्रियान्विति से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया बना ली गई है और उन्हें बता दी गई है ।

फिल्म वित्त निगम

†१९३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री पद्म देव:
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **वित्त** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४६ के उत्तर के **संबंध में** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम का ज्ञापन और अन्तर्नियम प्रकाशित हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह निगम कब स्थापित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) निगम को पंजीयित करने के लिये आवश्यक औपचारिक कार्यवाही की जा रही है ।

निकोबार द्वीप समूहों में व्यापार के लिये लाइसेंस

†१६३६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोबार द्वीप समूह और पोर्ट ब्लेयर से व्यापार करने के लिये लाइसेंस प्रणाली काम में लाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू की गई थी;

(ग) क्या लाइसेंस देने के पूर्व कोई शर्त आरोपित की जाती है;

(घ) क्या लाइसेंस बदले जा सकते हैं; और

(ङ) १६५२ के पश्चात् प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिया गया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जी हां ।

(ख) १ जुलाई, १६५६

(ग) जी हां । लाइसेंस लेने वालों को जो शर्तें पूरी करनी होती हैं वे लाइसेंस फार्म पर लिखी रहती हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) लाइसेंस वर्ष १६५७ से अंदमान और निकोबार द्वीप समूह जाति (आदिम जातियों का संरक्षण विनियमन, १६५६) के अधीन जारी किये जाते हैं ।

दिये गये लाइसेंसों की संख्या प्रति वर्ष इस प्रकार है :—

	लाइसेंसों की संख्या
१६५७	४
१६५८	४
१६५६	३

†मूल अंग्रेजी में

मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियां

†१९४०. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियों का भुगतान करने के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** अब तक, अर्थात् १९५९–६० में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियों के रूप में २६,८२,००० रुपये दिये गये हैं। राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों का कोई व्यक्ति नहीं है।

युद्ध–सामग्री कारखानों में निर्मित सामान के लिये प्रदर्शन–कक्ष

†**१९४१. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या युद्ध सामग्री कारखानों में निर्मित उन वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये, जिन्हें 'भारत १९५८' प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था, प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन कक्षों की व्यवस्था कर ली गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** जी, नहीं।

भ्रष्टाचार

१९४२. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या प्रशासनिक निगरानी विभाग का कोई नये कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या उन की रूपरेखा तैयार हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री दातार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते।

संस्थाओं को शिक्षा अनुदान

†१९४३. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री १०, अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ७५ संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हों ने अनावर्ती अनुदान के लिये आवेदन किया है; और

(ख) अनुदान देने में कौन सा सिद्धान्त अपनाया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय वनस्पति उद्यान शिबपुर, (हावड़ा)

†१९४४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिबपुर में भारतीय वनस्पति उद्यान से सम्बद्ध जड़ी बूटी संग्रहालयों को राष्ट्रीय जडी बूटी संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उस को किन शर्तों पर लिया है;

(ख) क्या इस के लिये जाने के बाद से इस के विस्तार और इस के विकास की कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ६६]**

कसौली में मकान

†१९४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कसौली में खाली पड़े मकानों का इस्तेमाल करने के लिये एक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है; और

(ग) उन सब मकानों पर कब कब्जा किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (ग). कसौली में इस समय प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये कोई स्थान खाली नहीं है। यथावश्यक, असैनिक आवास-स्थान को किराये पर दिया जाता है। खाली होने पर असैनिक-आवास-स्थान के इस्तेमाल के लिये कोई विशिष्ट योजना विचाराधीन नहीं है।

उच्चतर शिक्षा पर व्यय

†१९४६. { **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) खनन-विद्या, (२) कृषि-विज्ञान, (३) चिकित्सा-शास्त्र, (४) इंजीनियरिंग और (५) तीन वर्षों के डिग्री पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को औसतन कितना व्यय करना पड़ता है; और

(ख) ऐसी शिक्षा को सस्ती और औसतन भार िय विद्यार्थी के साधनों के अन्दर प्राप्त करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जानकारी इकट्ठी की जावेगी और सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों और अन्य गरीब विद्यार्थियों के लिये ऋण छात्र-वृत्तियों की योजनायें लागू कर चुकी हैं। उन योजनाओं को यथासम्भव तृतीय चवर्षीय योजना काल में बढ़ाया जायेगा।

नागपुर में सुरमा अयस्क

†१९४७. **श्री विद्याचरण शुक्ल:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य के नागपुर जिले के कोलारी नामक स्थान में सुरमा अयस्क के निक्षेपों के वाणिज्यिक स्तर पर विदोहन करने की सम्भावना को साबित करने के लिये और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिये भारत के भूतत्वीय परिमाप से सम्बन्धित प्रशुल्क अयोग की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार बम्बई के नागपुर जिले के कोलारी नाम स्थान के पास १९५५ में भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा, वहां पर खनिजायन की संभावना का पता लगने पर, नक्शे बनाये जाने को जारी रखने के साथ साथ सुरमे के लिये १९५८-५९ में भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा बड़े पैमाने पर नक्शे बनाये ग हैं। तथापि, १९५८-५९ में ब्यौरेवार नक्शे बनाये जाने से कोई अधिक अच्छा परिणाम नहीं निकला है। कोलारी के उत्तर-पश्चिम और सैगांव के पश्चिम में कई स्थानों पर निशान लगाये गये। न में से किसी में भी खनिजायन का पता नहीं चला।

केरल का सरकारी रबड़ कारखाना

†१९४८. **श्री बारियर:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी रबड़ कारखाने, त्रिवेन्द्रम, केरल राज्य के भूतपूर्व मैनेजर को पुराने पद पर फिर नियुक्त कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस कारण से किया गया; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि उन को पहले केरल विधान-मण्डल की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप हटाया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) से (ग). १९५१ में त्रावनकोर रबड़ कारखाना, त्रिवेन्द्रम के रबड़ विशेषज्ञ को भी कारखाने के प्रशासन के लिये उत्तरदायी हराया गया था और उन को जनरल-मैनेजर का पद-नाम दिया गया। मार्च, १९५८ में सरकार को दि गये अपने तिवेदन में सरकारी वाणिज्यिक समवायों के सम्बन्धी प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि प्रशासनीय कार्यों के लिये एक पूर्ण-कालिक जनरल मैनेजर नियुक्त किया जाना चाहिये। इन सिफारिशों के अनुसरण में जनवरी, १९५९ में सरकार ने टैक्नीकल विशेषज्ञ और जनरल-मैनेजर के लिये पृथक-पृथक पद बनाये तथापि, अनुभव से पता चला है कि पुनरीक्षित व्यवस्था से कारखाने का कार्य खराब हुआ और टैक्नीकल विशेषज्ञ और जनरल मैनेजर के लिये पृथक पदों के लिये कोई औचित्य नहीं है। अतः दोनों पदों को मिलाने और टैक्नीकल विशेषज्ञ को जनरल मैनेजर का भी कार्य करने के लि नियुक्त करने के आदेश जारी किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाल किला, दिल्ली

†१९४९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाल किले में कोई तहखाने हैं;

(ख) क्या लाल किले के उस भाग में, जो सेना के कब्जे में है, प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक अथवा स्थान हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तहखानों और ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों को दर्शकों को दिखाने के बारे में विचार करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी, हां। रंगमहल में एक तहखाना है ।

(ख) जिस जगह पर सेना रहती है, उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्मारक नहीं हैं और सरकार उन की रक्षा भी नहीं करती है ।

(ग) अपर्याप्त रोशनी और झरोखों के कारण तहखाने को जनता को दिखाना सुरक्षित नहीं समझा गया है। संघीय पुरातत्व विभाग के अधीन सुरक्षित स्मारक और स्थान दर्शकों के लिये खुले हैं ।

औद्योगिक परियोजनायें

†१९५०. **श्री मुरारका : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी क्षेत्रों में सब औद्योगिक परियोजनाओं में कुल कितना धन विनियोजित किया गया;

(ख) इस में से कितना ऋण के रूप में है और कितना पूंजी के रूप में;

(ग) ब्याज किस तारीख को दिया गया था और उस समय कितनी रकम बकाया थी; और

(घ) ऋण की रकम कब अदा की जावेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा ५२·२० करोड़ रुपये लगाये गये हैं । जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली नगर निगम द्वारा किराये का भुगतान

१९५१. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने उन सरकारी भवनों तथा मकानों का किराया नहीं दिया है, जो उन के कब्जे में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम के आयुक्त ने इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते ।

केरल में हड़ताल

†१९५२. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ, हिन्द मजदूर संघ और संयुक्त कार्मिक संघ ने १० मांगों पर केरल सरकार को हड़ताल का एक नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो मांगें क्या थीं;

(ग) क्या मांगें वापिस ले ली गयीं हैं; और

(घ) मांगों पर सरकार क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) हाल के महीनों में केरल सरकार को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई में खनिज तेल

†१९५३. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य, के रत्नागिरी जिले में खनिज तेल पाया गया है ;

(ख) क्या कोई परीक्षण किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चांदी

†१९५४. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान और बिहार में चांदी वाले किसी क्षेत्र अथवा खान का पता लगाया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : राजस्थान या बिहार में चांदी वाले किसी क्षेत्र अथवा खान का पता नहीं लगाया गया है ।

असिस्टेंटों की नियमित अस्थायी कर्मचारी सूची

†१९५५. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी सरकारी कर्मचारियों को तमाम अस्थायी सरकारी कर्मचारियों से वरिष्ठ समझा जाता है और क्या उच्च पदों के लिये चुनाव स्थायी व्यक्तियों में से किया जाता है;

(ख) क्या नियमों के अनुसार सरकार इस बारे में स्थायी सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है कि अस्थायी व्यक्ति स्थायी सरकारी कर्मचारियों से आगे नहीं निकलने पायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तृतीय नियमित अस्थायी कर्मचारी सूची में अस्थायी असिस्टेंटों और निम्न स्तरों में स्थायी हुए असिस्टेंटों को प्रथम श्रेणी की प्रारम्भिक **रचना** में स्थायी हुए असिस्टेंटों को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सामान्यतः स्थायी सरकारी कर्मचारियों को उसी श्रेणी के तमाम अस्थायी सरकारी कर्मचारियों से वरिष्ठ समझा जाता है परन्तु ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है कि उच्च पदों और श्रेणियों में पदोन्नतियां केवल स्थायी सरकारी कर्मचारियों ही की की जावें ।

(ग) असिस्टेंटों की तृतीय नियमित अस्थायी कर्मचारी सूची में २५ प्रतिशत रिक्त स्थान केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के स्थायी प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। बाकी ७५ प्रतिशत रिक्त स्थान उन अर्ध-स्थायी असिस्टेंटों, दूसरी परीक्षा में पास हुए असिस्टेंटों और अन्य अस्थायी असिस्टेंटों के लिये रखे गये हैं जो १ मई, १९५४ को केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के लागू होने से पहले नियुक्त किये गये थे । असिस्टेंटों की तृतीय नियमित अस्थायी कर्मचारियों की सूची में अस्थायी असिस्टेंटों को रखने के क्या कारण हैं ये ४ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के भाग (घ) के उत्तर में बता दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा

†**१९५६. श्री खीमजी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को यात्रा के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी :—

(१) केन्द्रीय और राज्य सरकारों एवं विधि संविहित निगमों के अफसर;

(२) व्यापारी;

(३) विद्यार्थी; और

(४) अन्य ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** पूछी गयी जानकारी बहुत लम्बी चौड़ी है और वह विभिन्न सूत्रों से एकत्रित की जा रही है। सरकारी शिष्टमंडलों को दी गई बहुत सी विदेशी मुद्रा मिशनों द्वारा दैनिक भत्ता और विदेशों में किये जाने वाले वेतन के रूप में दी जाती है। आंकड़ों वाला एक प्राक्कलन यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

१९५७, १९५८ और जनवरी से दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में व्यापारियों, विद्यार्थियों, और अन्य लोगों को विदेशी मुद्रा की निम्नलिखित राशियां दी गयीं :

(रुपये लाखों में)

	१९५७	१९५८	जनवरी से सितम्बर तक १९५९
व्यापारी वर्ग	८७	९१	९६·५५
विद्यार्थी	३१०	३४९	३११·८४
अन्य (सरकारी यात्रा, व्यापार और शिक्षा को छोड़ कर)	२६५	२७४	२९८·८२

निवेली में इस्पात संयंत्र

†**१९५७. श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में निवेली में एक छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) तृतीय चवर्षीय योजना में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास के बारे में किये जा रहे अध्ययन में निवेली के सलेम और लिग्ना-ईट के आधार पर एक लोहा तथा इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

अस्पताल

†१६५८. **श्री चुनी लाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पंजाब में अस्पतालों और मकानों के बाशिन्दों के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये केन्द्र चला रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मकान और अस्पताल में कितने निवासी हैं;

(ग) प्रत्येक मकान और अस्पताल में उन में से कितने प्रशिक्षण केन्द्र में जा रहे हैं;

(घ) उन्हें किस अवधि के लिये प्रशिक्षण मिल रहा है और प्रशिक्षण समाप्त होने से पहले वे कितनी योग्यता प्राप्त करते हैं;

(ङ) अब तक उनमें से कितने आत्म-निर्भर हो गये हैं; और

(च) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक मकान और अस्पताल में इस प्रशिक्षण पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (च): राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

केरल में अध्यापकों का तबादला

†१६५६. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री वें० प० नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में अगस्त और सितम्बर, १६५६ के महीनों में गैर-सरकारी स्कूलों से कितने अध्यापकों का तबादला किया गया और गत वर्ष इन्हीं दो महीनों में कितने अध्यापकों का तबादला किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: अगस्त और सितम्बर, १६५६ के महीनों में गैर-सरकारी स्कूलों के ६३४ अध्यापकों का तबादला किया गया जब कि गत वर्ष इन्हीं दो महीनों में १३३ अध्यापकों का तबादला किया गया था ।

केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन

†१६६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री उस्मान अली खां:
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन स्थापित करने की स्थापना किस स्तर पर है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधिशासी निकाय ने अपनी १७ अक्तूबर, १९५९ की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में एक केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन स्थापित किया जाये। इस संगठन के लिये एक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है।

भ्रष्टाचार के मामले

†१९६१. { **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
श्री कुम्भार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ में विभिन्न श्रेणियों के केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले लगाये गये;

(ख) कितने पदाधिकारियों को सजायें व दण्ड दिये गये और कितनों को छोड़ दिया गया (श्रेणीवार) ; और

(ग) कितने पदाधिकारियों को विभाग की ओर से (१) नौकरी से निकाला गया (२) पद में घटाया गया (३) जुर्माना किया गया और (४) चेतावनी दी गयी (श्रेणीवार) ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : १९५८–५९ में विशेष पुलिस संस्थान के सामने जो मामले आये उनका एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९७]** जो मामले विशेष पुलिस संस्थान के सामने लाये बिना निबटाये गये उन के बारे में जानकारी शीघ्र से शीघ्र दे दी जायेगी।

केरल राज्य परिवहन निकाय

†१९६२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वें० प० नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य परिवहन की नियंत्रण समिति के अपील बोर्ड का जो चुनाव ५ अक्तूबर, १९५९ को होना था, उसे सरकार ने रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उस के बाद चुनाव हो गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)**: (क) और (ख). अपील बोर्ड का चुनाव इसलिये रोक दिया गया था कि परिवहन बोर्ड की संरचना तथा उस के कार्य संचालन में कुछ परिवर्तन करने की बात विचाराधीन थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अपील बोर्ड का उन्मूलन कर दिया गया है और अब चुनाव करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तेल के विकास के लिये रूसी सहयोग

†१९९३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात और तेल उद्योग के विकास के लिये रूसी सहयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार के खान और तेल मंत्री की रूस की सर्वोच्च सोवियत के वैदेशिक कार्य आयोग के प्रधान के साथ कोई मुलाकात हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुए हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी, हां। तेल उद्योग और उस के सम्बन्ध में रूसी सहायता के बारे में राष्ट्रीयता परिषद् (कौंसिल आफ नेशनैलिटीज) के वैदेशिक कार्य आयोग के प्रधान के साथ भारत के खान तथा तेल मंत्री की सामान्य बात चीत हुई थी ।

(ख) बात चीत अनौपचारिक थी और उस का उद्देश्य केवल सूचना विनिमय था, इसलिये कोई पक्का निर्णय नहीं किया गया ।

पंजाब में खनिज सर्वेक्षण

†१९९४. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, १९५८-५९ में पंजाब में जो खनिज संबंधी सर्वेक्षण किया गया था, उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९५८-५९ में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंजाब में किये गये सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्टें तैयार हो रही हैं। रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के 'वार्षिक अभिलेखों' और 'अनुसंधान लेखों' में सम्मिलित किया जायेगा । ऐसे प्रकाशनों की प्रतियां सदा संसदीय पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

त्रिवेन्द्रम् में सरकारी वकील की नियुक्ति

†१९९५. { **श्री ईश्वर अय्यर :**
श्री कुमारन : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में, त्रिवेन्द्रम के जिला न्यायालय के सामने भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों की पैरवी करने के लिये सरकारी वकील नियुक्त करने के लिये एडवोकेटों से प्रार्थनापत्र निमंत्रित किये गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन नियुक्तियों के लिये नामों की पदालि भेजने ने लिये जिला न्यायाधीश से प्रार्थना की गई थी; और

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों की पैरवी करने के लिये जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उसने प्रार्थना पत्र भेजा था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) जी, हां ।

(ख) नियमों के अनुसार जिला अधिकारी त्रिवेन्द्रम ने जिला न्यायाधीश के परामर्श के साथ नामों की पदालि भेजी थी ।

(ग) जी हां ।

तेल समकारी निधि

१९६६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल समकारी निधि स्थापित करने से संबंधित प्रस्थापना की क्या स्थिति है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: इस प्रकार तेल समकारी निधि स्थापित करनेकी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है । पैट्रोल संबंधी उत्पादों के मूल्य के बारे में तेल समवायों से हाल में एक तदथ व्यवस्था की गई है, जिस के निबंधनों के अनुसार, समय समय पर पैट्रोलियम संबंधी मुख्य शोधित उत्पादों के मूल्यों में लागत और भाड़ा संबंधी उतार चढ़ाव करने के लिये १ नवम्बर, १९५९ से प्रत्येक उत्पाद के लिये पृथक "लागत और भाड़ा समायोजन लेखा" रखा जायेगा । इस लेखा के प्रारम्भिक शेष में, जो सरकार के पक्ष में है, १ अप्रैल, १९५९ से ३१ अक्तूबर, १९५९ के बीच का लागत और भाड़ा तत्वों का अन्तर सम्मिलित होगा ।

रॉयल इण्डियन नेवी के विद्रोही

†१९६७. **श्री विद्याचरण शुक्ल:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'रायल इंडियन नेवी' के १९४६ के उन विद्रोहियों की याचिकाओं के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है जो अभी तक बेरोजगार हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : याचिकायें भेजने वालों को सरकार का निणय सूचित कर दिया गया था कि सशस्त्र सैनाओं में तो उन को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वे सरकार के उन असैनिक विभागों में सेवा कर सकते हैं जिन में उन के इस प्रकार निकाले जाने की बात पर कोई आपत्ति न हो ।

नेपाली भाषा

†१९६८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार के अनुदेश जारी किये जा चुके हैं कि आगामी जन गणना में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नेपाली और उस की बोलियों के भाषा भाषियों को अलग से प्रमाणित किया जाये और जातियों के आधार पर उन की मातृभाषाओं का वर्गीकरण न किया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): १९६१ की जनगणना के संबंध में यह अनुदेश जारी किया जायेगा :—

"प्रगणित व्यक्ति द्वारा बताई गई मातृभाषा को उसी रूप में पूरा पूरा, बोलियों सहित, लिखा जाना चाहिये। मातृ भाषा का अर्थ है वह भाषा जो किसी व्यक्ति के बचपन में उसकी माता द्वारा, या उस के घर में मुख्यत: बोली जाती है।"

त्रिपुरा की झूमिया आदिम जाति

†१९६९. **श्री दशरथ देव:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में धर्मनगर के दामच्चेरा की झूमिया आदिम जाति के लोगों को पुनः बसाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिये झुमढ़ंग से खेती करने की अनुमति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). झूमिया आदिम जाति के जो लोग पुनर्वास के इच्छुक हैं उन्हें धर्मनगर सब डिवीजन के दामच्चेरा क्षेत्र की भूमि पर बसाने का कार्य चल रहा है और अभी तक उन के ६०० में से १०० परिवारों को बसाया जा चुका है।

(ग) जी हां, केवल रक्षित वन की भूमि और लोक निर्माण विभाग की सड़कों और नौकायें चलने योग्य नदियों के दोनों ओर आधे मील तक की भूमि में नहीं।

'मारकोनी वायरलैस टेलीग्राफ कम्पनी' के साथ करार

†१९७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय और 'मारकोनी वायरलैस टेलीग्राफ कम्पनी' के बीच, मारकोनी वी० एच० एफ० अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत, भारत में 'मल्टी चैनेल रेडियो टरमिनल्स' और 'रिपोटर्स', 'वाल्वस" और सहायक उपकरग के निर्माण के लिये करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की क्या मुख्य शर्तें हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार और इंग्लैंड की "मेसर्स मारकोनी वायरलैस टेलीग्राफ कम्पनी लिमिटेड" के बीच १५ अगस्त, १९५९ को भारत में "मल्टी चैनेल वी० एच० एफ०" उपकरण, आदि के निर्माण में प्रविधिक सहायता और सहयोग के लिये एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। उस का अधिक ब्यौरा बताना लोक हित में नहीं है।

बनिखेल में बढ़ईगीरी का केन्द्र

१९७१. **श्री पद्म देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनिखेल (जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश) के बढ़ईगीरी के केन्द्र के लिये दयार, शीशम और कैल की जो लकड़ी खरीदी जानी थी उस की कीमत का भुगतान उस के मिलने के पूर्व ही ३१ मार्च, १९५९ को कर दिया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इमारती लकड़ी नमूने के अनुसार नहीं थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). कुछ लकड़ी नमूने के अनुसार नहीं थी। इस बारे में जांच की जा रही है और उस के समाप्त हो जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

इस्पात की चादरों का आयात

†१९७२. **श्री क० ड० परमार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात आयात नीति के अन्तर्गत हमारे देश में तैयार होने वाली सब से अच्छी क़िस्म की हल्के इस्पात (माइल्ड स्टील) की चादरों के लिये उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तियां दी जा सकती हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या किसी ऐसे इंजीनियरिंग कारखाने को आयात के लिये निषिद्ध इस वस्तु के आयात की अनुज्ञप्ति दी गई है जो स्वयं इस्पात की किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं करता?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) आयात अनुज्ञप्तिकरण की चालू नीति (अक्तूबर, १९५९/मार्च, /१९६०) के अन्तर्गत हमारे देश में सामान्यतया तैयार होने वाली हल्के इस्पात की चादरों के लिये अनुज्ञप्तियां नहीं दी जा सकतीं।

(ख) सरकार को ऐसे किसी भी मामले के जानकारी नहीं।

अन्दमान में तकावी ऋण

†१९७३. **सरदार अ० सि० सहगल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान प्रशासन भू-राजस्व की बकाया राशि को तकावी ऋणों में से क्यों काट रहा है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** तकावी ऋण उन लोगों को मंजूर नहीं किये जाते जिन पर भूमि राजस्व की राशि बकाया हो। इसलिये भूमि राजस्व की बकाया राशि को तकावी ऋणों में से काटने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

अन्दमान से नारियल का निर्यात

†१९७४. **सरदार अ० सि० सहगल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान से भारत के लिये १९५१ से अब तक प्रति वर्ष कितने नारियल का निर्यात किया गया; और

(ख) निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) १९५१-५२ से १९५९-६० तक अन्दमान से भारत के लिये निर्यात किये जाने वाले नारियल का परिमाण इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	परिमाण (टनों में)
१९५१-५२	४५४
१९५२-५३	४८७
१९५३-५४	४५८
१९५४-५५	५१७
१९५५-५६	४१२
१९५६-५७	४३८
१९५७-५८	४३५
१९५८-५९	१८१
१९५९-६० (अप्रैल से सितम्बर, १९५९ तक)	६०

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरायकेला और खारस्वान

†१९७५. { **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री पाणिग्रही :** }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने कटक के दौरे के समय 'उत्कल सम्मेलनी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल उन से मिला था और उस ने सरायकेला तथा खारस्वान को उड़ीसा में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधान उन को दिया था; और

(ख) इस विषय में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) जी, हां ।

(ख) राज्य पुनर्गठन आयोग ने सरायकेला और खारस्वान के संबंध में उड़ीसा के दावे की जांच की थी और यह निर्णय किया था कि इन क्षेत्रो को बिहार में ही रहने दना चाहिये । सरकार ने इस सिफारिश के बारे में बड़ी सावधानी से विचार करने के बाद इसे स्वीकार किया और संसद् ने उस का अनुमोदन किया था । इसलिये भारत सरकार इस विषय में कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी ।

दिल्ली दरवाजा, अर्काट

†१९७६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के अर्काट में स्थिति 'दिल्ली दरवाजा' की हालत गिरती जा रही है और मरम्मत की बड़ी जरूरत है ;

(ख) क्या उस की जरूरी मरम्मत के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या उस स्थान पर पर्यटकों के लिये पथ-प्रदर्शकों का प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) आवश्यक होने पर सामान्यतया मरम्मत का काम होता रहता है ।

(ग) जी नहीं ।

केरल उच्चन्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

†१९७७. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल सरकार ने केरल उच्चन्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, ो उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की ग ी है; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य के उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश का तबादला वहां किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) दो-दो वर्षों के लिए श्री पी० गोबिन्द मेनन तथा श्री टी० सी० राघवन् दो एडवोकेटों को केरल उच्चन्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ।

(ग) जी हां, श्री न्यायमूर्ति एम० ए अन्सारी का आंध्र उच्चन्यायालय से केरल उच्च-न्यायालय में तबादला कर दिया गया है ।

पोर्ट ब्लेयर के नारियल बागान

†१९७८. **सरदार अमर सिंह सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १८ अक्तूबर, १९५९ को पोर्ट ब्लेयर में नारियल विकास अधिकारी ने मोहवाडेरा के ४०० एकड़ के जंगली क्षेत्र के नारियल बागान को साफ करने के लिए टेंडर मांगे थे, और वन विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस क्षेत्र का काम अधिक है और वहां व्यापारिक महत्व के वृक्ष नहीं हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां ३ से ५ टन प्रति एकड़ ऐसी लकड़ी के वृक्ष थे जो कि व्यापारिक महत्व के थे जो गिराये नहीं गये थे;

(ग) यदि हां, ो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस मामले में प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हरिजन कल्याण विभाग, केरल

†१९७९. **श्री वें० ईयाचरण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन कल्याण विभाग, केरल, ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए गत तीन वर्षों में कौन-कौन से प्रस्ताव अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये थे;

(ख) प्रत्येक योजना के लिए कितनी धन राशि प्रति वर्ष स्वीकृत की ग ी और सामान्य कार्यों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गयी;

(ग) क्या स्वीकृत राशियों को उन कार्यों में खर्च कर लिया गया जिसके लिए कि वे स्वीकृत की गयी थीं; और

(घ) क्या विभाग ने उन राशियों को किन्हीं और कामों में खर्च कर दिया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ९८]** अनुसूचित जातियों की कल्याण योजनाओं के अतिरिक्त सामान्य कल्याण कार्यों के लिये कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई।

(घ) जी, नहीं।

सीमा शुल्क

†१९८०. **श्री सोमजी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम नवम्बर, १९५९ को प्रातःकाल 'कच्छ मित्र' नाम के भुज (कच्छ) से प्रकाशित एक दैनिक समाचारपत्र के कार्यालय की इमारत और सम्पादक के निवास स्थान मांडवी में एक साथ सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने छापा मारा और इन स्थानों की ीन घंटे तलाशी लेते रहे; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई आपत्तिजनक सामग्री वहां से प्राप्त हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) जी हां।

(ख) भुज स्थित समाचारपत्र के कार्यालय में कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। कच्छ मांडवी में सम्पादक के निवासस्थान पर ९ दर्जन विदेशी दियासलाइयां निकली थीं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अध्ययन दल

†१९८१. **श्री संगण्णा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ीसरी पंच वर्षीय योजना में अनुसूचित जाति ों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किसी अध्ययन दल की नियुक्ति की गयी थी, और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार):** (क) अन्य विकास क्षेत्रों की तरह तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक कार्यकारी अध्ययन दल की स्थापना भी की गयी है।

(ख) जी नहीं, उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति सम्बन्धी केवल टिप्पण ही तैयार किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय संस्कृति पर पुस्तिकायें

†१९८२. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में परिचालित करने के लिए भारतीय संस्कृति सम्बन्धी कुछ पुस्तिकायें तैयार की गयी हैं;

(ख) जी हां, उस पर कितनी राशि खर्च की गयी है और किस-किस देश में उन्हें भेजा गया था; और

(ग) किन लोगों को यह काम सौंपा गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) से (ग). विदेशों में परिचालित करने के उद्देश्य से कोई पुस्तिका मुख्यतः तैयार नहीं की गयी। परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्रालय की भारत सूचना सेवा भारतीय संस्कृति सम्बन्धी पुस्तिकायें अवश्य विदेशों को भेजती हैं। ये पुस्तिकायें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग तथा परिवहन तथा सचार मंत्रालय के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाती हैं जो अन्य भारतीय साहित्य के साथ-साथ हमारे विदेश-स्थित मिशनों को भेजी जाती हैं। भारतीय संस्कृति सम्बन्धी पुस्तिकाओं को तैयार करने के व्यय के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा राज्य को अनुदान

†१९८३. **श्री संगण्णा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अवशिष्ट काल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने विशेष अनुदानों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के अनुदानों की मांग उन्होंने की है; और

(ग) इस दिशा में स्वीकृत राशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जी हां।

(ख) ३.२५ करोड़ रुपये अनुसूचित आदिम जातियों के लिए।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

बम्बई में खनिज पदार्थ

†१९८४. **श्री स० अ० मेहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बम्बई कलाडगी सेस्टम (पश्चिम भारत) में कुछ खनिज पदार्थों का पता चला है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी हां, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने जो सर्वेक्षण किया था उससे कलादगी में निम्नलिखित प्रमुख खनिजों के होने का पता लगा है :

अपघर्षी, इमारतों में काम आने वाला सामान (मारती पत्थर स्लेट तथा सड़कें बनाने के काम में आने वाले कंकड़-पत्थर, कंकरीट इत्यादि) कैलसाईट, चिकनी मिट्टी, कांच बनाने वाला रेत-चूना, डोलोमाइट, छपाई करने वाला पत्थर और गेरू, फिटकरी, तांबा, मैंगनीज़ अयस्क इत्यादि। यद्यपि इनका पता तो वहां चला है परन्तु ये व्यापारिक महत्व की नहीं हैं।

लौह कचरा

†१९८५. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्क्रैप ट्रेडर्स ऐण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन, बम्बई, और इण्डियन मर्चण्ट्स चेम्बर, बम्बई की ओर से लौह कचरा के सम्बन्ध में जिन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) से (ग). जी हां, ज्ञापन विचाराधीन है।

पेट्रोल की कीमत

†१९८६. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैट्रोल की कीमत ब्रिटेन से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). जी नहीं। लन्दन और बम्बई में (१-११-१९५९ को) पेट्रोल (अच्छे स्तर का) का तुलनात्मक क्रय मूल्य निम्नलिखित है :—

प्रति गैलन

	फुटकर बिक्री दर	शुल्क घटाकर	कर रहित बिक्री मूल्य
लन्दन .	२ रु० ८३ नपै० (४ शि० ३ पें०)	रु० १.८७ नपै० (२ शि० ६ पें०)	रु० १.१६ नपै० (१ शि० ९ पें०)
बम्बई . .	२ रु० ५८ नपै०	रु० १.४८ नपै०	रु० १.१० नपै०

†मूल अंग्रेजी में

पुलिस कर्मचारियों के लिये गृह-निर्माण

१९८७. श्रीमती इला-पालचौधरी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था करने के निमित्त काफी रुपया ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य वार प्रति वर्ष दिये गये ऋणों का विस्तृत विवरण क्या है ?

†**गृह मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उनकी पुलिस गृह-निर्माण योजनाओं में सहायता करने के निमित्त ऋण दिये हैं।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९९]**

घाना को भेजे गये भारतीय विमान बल के पदाधिकारी

१९८८. श्री सै० अ० मेंहदी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुबल का संगठन करने के लिये घाना की सरकार को भारतीय वायुबल के कुछ ज्येष्ठ अधिकारी भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम और उनकी शर्तें क्या क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) घाना को भारतीय वायुबल के दो अधिकारी भेजे गये हैं।

(ख) प्रतिनियुक्ति की शर्तें दोनों सरकारों द्वारा परस्पर तय हुई हैं। शिष्टाचार के नाते यह आवश्यक है कि यह जानकारी लेने के पूर्व घाना सरकार की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

देर तक काम करने के झूठे प्रमाणपत्र

†**१९८९.** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-मंत्रालय के कुछ कार्यालय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देर तक बैठने के लिए झूठे प्रमाणपत्र देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई है।

(ग) यदि हां, तो जांच से क्या ज्ञात हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क), (ख) और (ग). जनवरी १९५९ में बिना नाम से एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुई कि मंत्रालय में कुछ प्रशासी और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को अधिक समय काम करने के लिये झूठा भत्ता दिया गया है। विशेष पुलिस संस्थापन

†मूल अंग्रेजी में

ने इस शिकायत की और अधिक समय कार्य करने के भत्ते के सम्बन्ध में कुछ अनियमितायें ज्ञात हुईं। अनियमिताओं की जांच से जानबूझ कर बेईमानी सिद्ध नहीं हुई। अनियमित रूप से जो अदायगी की गई थी वह पुनः लौटा ली गई।

लोहे के कबाड़ का निर्यात

†**१९९०. श्री चांक : क्या इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य वस्तुओं के आयात के आधार पर लोहे के कबाड़ के निर्यात की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल १९५८ से मार्च १९५९ तक और अप्रैल से नवम्बर, १९५९ तक की अवधि के बीच किस किस्म का और कितने मूल्य का लोहा कहां-कहां भेजा गया और उसकी एवज में किन-किन देशों से क्या-क्या वस्तुयें आयात की जायेंगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जून १९५८ से लोहे के कबाड़ के निर्यात के एवज में इस्पात की वस्तुओं के आयात की अनुमति दे दी गई है। अदल-बदल के आधार पर २,१८,४०,००० रु० का १,२६,००० टन कबाड़ मुख्यतः जापान को निर्यात किया गया। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १००]**

ग्वालियर में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि

१९९१. श्री रा० च० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में ग्वालियर में प्रतिरक्षा विभाग के अधिकार में जो भूमि और वन हैं उनसे कितनी वार्षिक आय होती है और उन पर कितना व्यय होता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) १. मध्य प्रदेश के ग्वालियर भाग में, कृषि योग्य, उस भूमि और जंगलों का ब्यौरा जिन्हें भूतपूर्व ग्वालियर रियासत अपनी सेनाओं के प्रयोग में लाती थी, और अब रक्षा विभाग के अधीन हैं, इस प्रकार है :—

(१) कृषियोग्य भूमि क्षेत्र	
(२) जंगल क्षेत्र	७१,९७७ एकड़

२. राज्य सरकार ने जंगल क्षेत्र की वापसी की मांग की है। इस मांग पर विचार हो रहा है, और इस पर, रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जायगा।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	आय	व्यय
१९५६-५७	२४,२०२ रु० ४१ न०पै०	१७,७७७ रु० ७० न०पै०
१९५७-५८	४६,४६४ रु० ४३ न०पै०	२४,२२१ रु० १८ न०पै०
१९५८-५९	५३,०२९ रु० ३१ न०पै०	२६,४३५ रु० ३९ न०पै०

मनीपुर में भूमि का अधिग्रहण

†१९९२. **श्री ल० अचौ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीलांग, मनीपुर में लीलांग बाजार का विकास करने के लिये (भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन) भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या कीमत है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां। लीलांग बाजार की प्रबंधक समिति की प्रार्थना पर ११ बीघा भूमि के अधिग्रहण करने के लिये पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया गया है।

(ख) और (ग). जी नहीं। इस सम्बन्ध में सारा व्यय प्रबन्धक समिति द्वारा वहन किया जायेगा। समिति प्रशासन से उपयुक्त उपदान के लिये निवेदन कर सकती है।

मनीपुर में मछली मारने और बन-महालों के ठेके

१९९३. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जिन सदस्यों को मछली मारने या बन-महालों का ठेका दिया जाता है उन्हें उनकी सुरक्षा निधि का केवल ७५ प्रतिशत बचाने के रूप में जमा करना होता है; और

(ख) लोक निर्माण विभाग में पंजीयित कितने ठेकेदारों तथा कितने मछली मारने और बन-पट्टेदारों को यह रियायत मिली हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है।

त्रिपुरा के मुसलमानों को ऋण

१९९४. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्म-नगर के उन मुसलमानों को, जिन्होंने १९५० में त्रिपुरा छोड़ दिया था लेकिन १९५१ में भारत में स्थायी तौर पर बसने के लिये आ गये थे, किसी प्रकार का ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि क्या है; और

(ग) क्या ऐसे ऋण की वसूली के लिये कोई नोटिस भेजे गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी हां। कुल ११२ परिवारों को, उनके गुणावगुणों के आधार पर, १०० रु० से २५० रु० तक के कृषि ऋण दिये गये हैं।

(ग) १३ परिवारों ने ऋणों की पूरी राशि लौटा दी है। ऋण की राशि अदा न कर सकने वालों के लिये लोक ऋण वसूली अधिनियम के अधीन वसूली की कार्यवाही करने का विचार किया गया है। यह समझा जाता है कि सभी ऋणी व्यक्ति धन राशि को चुकाने की स्थिति में हैं।

त्रिपुरा में तकावी ऋण

†१९९५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा के एकीकरण से पूर्व के कोई तकावी ऋण बकाया रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) क्या उन ऋण राशियों की वसूली के सम्बन्ध में कोई सर्टीफिकेट नोटिस दे दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी हां। १९४६-४७ में कुछ एक आदिमजातीय क्षेत्रों में अनावृष्टि के कारण होने वाली स्थिति का सामना करने के लिये त्रिपुरा की भूतपूर्व राज्य सरकार ने लगभग १,११,११७ रुपये २ आने कुल तकावी ऋण दिये थे। उस में से १,०१,८७९ रुपये ५ आने ३ पाई की राशि अभी तक बकाया रहती है।

(ग) उक्त राशियों की वसूली के लिये ११८६ सर्टिफिकेट नोटिस जारी किये गये थे बाद में उन व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यह निर्णय किया गया है कि इस प्रश्न पर जब तक सारी बकाया राशि को माफ कर देने के बारे में फैसला नहीं कर लिया जाता, तब तक बकाया राशियां वसूल करने का कार्य रोक दिया जाये।

रियांग लोगों का प्रव्रजन

†१९९६. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की लुशाई हिल्स और कछार क्षेत्र के बहुत से रियांग लोग अपने स्थानों को छोड़कर त्रिपुरा के धर्मनगर सब डिवीजन के दमछारा नामक स्थान को चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रव्रजन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन लोगों को त्रिपुरा में बसने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). १९५२ में लुशाई हिल्स से १६९ रियांग परिवार त्रिपुरा में आ गये थे, क्योंकि उनका लुशाई आदिमजातीय लोगों से, जिनकी उस क्षेत्र में अधिकता है, झगड़ा हो गया था। चालू वर्ष में १५ और परिवार उस स्थान को छोड़ कर त्रिपुरा चले गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां, जो परिवार १९५२ में आये थे, उन्हें सहायता के रूप में ३००० रुपये दिये गये थे, और कृषि के लिये ऋण के रूप में ६००० रुपये दिये गये थे । इन सभी परिवारों को त्रिपुरा में बसा दिया गया है । नये १५ परिवारों ने प्रशासन से विशेष सहायता लिये बिना, स्वयं ही अपने आप को बसा लिया है ।

सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते

†१९९७. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्य पर यात्रा करने वाले सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को किस दर पर यात्रा भत्ते दिये जाते हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी के किराये के पुराने दर के अनुसार यात्रा भत्ता मिलता है, जो कि लगभग वायु अनुकूलित श्रेणी के किराये के समान ही बन जाता है, जबकि गैर-सरकारी व्यक्तियों को नये दर के अनुसार प्रथम श्रेणी के किराये के मुताबिक यात्रा भत्ता दिया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में बताया गया है कि सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को किस दर से यात्रा भत्ते दिये जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०१]**

(ख) जी नहीं ।

भूतपूर्व इण्डो—मरकेंटाइल बैंक, केरल के कर्मचारी

†१९९८. **श्री कोडियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व इण्डो मरकेंटाइल बैंक, केरल के त्रावनकोर बैंक में मिल जाने के परिणाम-स्वरूप छटनी में आये हुए इण्डो-मरकेंटाइल बैंक के कर्मचारियों को पुनः काम में लगा लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह ज्ञात हुआ है कि भूतपूर्व इण्डो-मरकेंटाइल बैंक के ८ भूतपूर्व कर्मचारियों को त्रावनकोर बैंक में ले लिया गया है ।

(ख) अन्य कर्मचारियों को काम देना उन लोगों की योग्यता और बैंक की मांग पर निर्भर करता है । शेष कर्मचारियों को काम देने के प्रश्न पर त्रावनकोर बैंक और भारत के राज्य बैंक द्वारा विचार किया जायेगा । परन्तु यह मामला उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में पत्रकार

†१९९९. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय विशेषतया प्रतिरक्षा मुख्यालय में काम करने वाले पत्रकारों की भर्ती और पदोन्नति सम्बन्धी नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करने वाले पत्रकारों के उक्त नियमों से कुछ भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). "सैनिक समाचार" के सम्पादकीय कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति सम्बन्धी नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केन्द्रीय सूचना सेवा के उसी प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले भर्ती और पदोन्नति सम्बन्धी नियमों से कुछ भिन्न हैं। शेष पत्रकारिता सम्बन्धी कर्मचारियों के नियम लगभग वैसे ही हैं जैसे कि केन्द्रीय सूचना सेवा के कर्मचारियों के हैं। वास्तव में प्रतिरक्षा मंत्रालय के इन स्थानों पर केन्द्रीय सूचना सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है।

सैनिक समाचार के लिये काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा जिन व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है, उन में ३० अनुवादकों के स्थान (जिनका वेतन क्रम है अवर स्नातकों के लिये ८०—२२० रुपये और स्नातकों के लिये २००—३०० रुपये है) और १० उप-सम्पादकों के स्थान हैं (जिनका वेतन-क्रम है २००—३०० रुपये)। बाद वाले सभी स्थान विभागीय पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। सह सम्पादक के दो पद (वेतन क्रम ५३०—७१० रुपये है) और सम्पादक का पद (वेतन क्रम ७२०—१००० रुपये) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरा जाता है। जहां तक केन्द्रीय सूचना सेवा का सम्बन्ध है, उस में उप-सम्पादक, अनुवादक, सहायक पत्रकार आदि (वेतन क्रम २००—४०० रुपये) के स्थान हैं और इन पर केवल ऐसे व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है जो कि स्नातक हों और जिन्हें एक वर्ष का पत्रकारिता सम्बन्धी अनुभव प्राप्त हो या जिन के पास पत्रकारिता का डिप्लोमा हो। जहां तक ऊंचे पदों अर्थात् सह-सम्पादक, सहायक सूचना पदाधिकारी (जिनका वेतन क्रम ३००—६२० तक होता है), सहायक समाचार सम्पादक, समाचार संवाददाता आदि (वेतन क्रम ३५०—८५० रुपये), तथा मुख्य समाचार रिपोर्टर, सूचना पदाधिकारी, सम्पादक आदि (वेतन क्रम ६००—११५० रुपये है) का सम्बन्ध है, ये स्थान कुछ तो विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और कुछ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं।

दोनों विभागों के नियमों में भेद के निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) "सैनिक समाचार" के सम्पादकीय कर्मचारी और विशेषकर अवर स्नातक उतने योग्य नहीं समझे जाते कि वे उच्च पदों पर काम कर सकें, इन उच्च पदों की संख्या केवल दो है।

(२) उन में से जो कर्मचारी योग्य होते हैं वे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उच्च पदों पर नियुक्त किये जाते हैं।

(३) छोटे पदों और बड़े पदों के वेतन क्रमों में पर्याप्त अन्तर है और इसलिये सीधे ही छोटे पदों से बड़े पदों में पदोन्नति करना उचित नहीं है।

(४) यद्यपि केन्द्रीय सूचना सेवा में उच्च पदों के लिये विभागीय पदोन्नति के लिये पर्याप्त गुंजाइश है, तथापि इन में से कुछ पद संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति के लिये निर्धारित कर दिये गये हैं। "सैनिक समाचार" में उच्च पद केवल तीन ही हैं।

वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज

२०००. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० अक्तूबर, १९५९ को प्रधान मंत्री द्वारा वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज का शिलान्यास करने के पश्चात् कालेज के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इमारत कब तैयार होगी; और

(ग) इमारत पर कितनी लागत आयेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) पुरातत्ववेत्ताओं ने स्थान का अनुसन्धान करके इमारत के नक्शे तैयार कर लिये हैं।

(ख) १९६२ की समाप्ति तक इमारतें तैयार हो जायेंगी।

(ग) प्रयोगात्मक प्राक्कलन के अनुसार कालेज की इमारत पर २०.४२ लाख रुपया खर्च होगा।

बाढ़ सहायता

†२००१. **श्री सं० अ० मेहदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये बंगाल, उड़ीसा और आसाम को कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पीड़ित लोगों को यह राशि किन शर्तों पर बांटी जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

(ख) साधारण प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार पीड़ित लोगों को सहायता देती हैं और दैवी प्रकोपों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से उसकी वसूली कर लेती हैं। ३ मार्च, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ७८७ के उत्तर मे राज्य सरकारों को भेजे गये इस पत्र की एक प्रति रखी गई थी जिसमें इस सहायता की रूपरेखा बताई गई थी। स रूपरेखा में यह व्यवस्था की गई है कि बाढ़ग्रस्त मकानों की मरम्मत पर होने वाले खर्च, जो ३०० पये से अधिक न हो, को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें मिल कर वहन करेंगी।

स्वयंसेवक दल

†२००२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 'होम गार्ड' के स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). होम गार्ड संस्थायें जहां कहीं स्थापित की गई हैं वे राज्य सरकारों के अधीन हैं और नकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने आदि मामलों पर राज्य सरकारें ही विचार करेंगी।

जम्मू और काश्मीर में प्राचीन स्मारक

†२००३. **श्री प्र० गं० देब** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर में संरक्षित प्राचीन स्मारकों की देखभाल का काम सरकार ने हाल ही में अपने हाथ में ले लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) उनकी देखभाल के लिये १९५९-६० के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १०२]**

(ग) ३९,००० पये।

मकान किराया और प्रतिकरात्मक भत्ते

†**२००४. श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग का प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् कुछ नगरों जैसे कि मदुरै और तूतीकोरिन आदि का ग्रेड मकान किराया और प्रतिकरात्मक भत्तों की दृष्टि से ऊंचा उ ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों की संख्या और नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूची अन्तिम रूप में कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आयोग ने सिफारिश की है कि जनसंख्या के आधार पर किया गया नगरों का वर्गीकरण जारी रहने दिया जाये और १९६१ में होने वाली दसवर्षीय जनगणना तक सामान्य पुनरावलोकन करना वांछनीय नहीं होगा। अतः आगामी पुनरावलोकन तभी किया जायेगा जब १९६१ की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश का खान सम्बन्धी सर्वेक्षण

२००५. श्री भक्त दर्शन : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के भूतत्वीय तथा खनन निदेशालय ने इस बीच वर्ष १९५७-५८ की विस्तृत रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) १९५७-५८ की विस्तृत रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

२००६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के भूतत्व शास्त्रियों ने उत्तर प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों यथा, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून और टिहरी-गढ़वाल का सवर्क्षेण किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण के बारे और उसके फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) अनुसन्धानों का एक सक्षिप्त सारांश, जोकि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के "रिकार्डज" (Records) के तौर पर छपते हैं, वार्षिक रिपोर्टों में शामिल किया जाता है। उन रिपोर्टों की प्रतिलिपियां संसद् के पुस्तकालय को हमेशा भेजी जाती हैं।

छावनी बोर्डों को अनुदान

२००७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में लैंसडोन, चकरौता, लंढौर, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून और क्लीमेण्ट टाउन के छावनी बोर्डों को उनके विकास कार्यों में मदद देने के लिये अनुदान देने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक छावनी बोर्ड में किस विकास कार्य के लिये कितना अनुदान स्वीकार किया गया है; और

(ग) उन विकास कार्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उप-रक्षा मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है।

कमलपुर में संग्रहालय

†२००८. **श्री अगाड़ी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेलारी (मैसूर राज्य) के कमलपुर गांव में हम्पी से प्राप्त हुई विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन वस्तुओं को रखने के लिये जो संग्रहालय बनाया जाने वाला था उसमें और क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से कहा गया है कि वह एक पुरातत्ववेत्ता को कमलपुर भेजे जो वहां जा कर चुने गये स्थान को देखे और इमारत का नक्शा तैयार करे।

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात कारखाना

†२००९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी नागरिक स्वयं पूंजी लगा कर भारत में एक इस्पात कारखाना लगाना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार का क्या मत है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†२०१०. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में उन केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के क्या नाम हैं जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं हैं;

(ख) क्या इन कार्यालयों से योजना में शामिल होने के लिये कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या योजना के बनाये जाने के बाद नये स्थापित किये गये कार्यालयों को भी इस योजना में शामिल होने के लिये कहा गया था;

(ङ) संसदीय-कार्य विभाग की क्या स्थिति है;

(च) क्या ऐसे कार्यालयों को भी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों और उनसे सम्बद्ध कार्यालयों के नाम बताये गये हैं जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर ऐण्ड आर) योजना में भाग ले रहे हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०४]** दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित अन्य कोई भी विभाग/कार्यालय इस योजना में भाग नहीं लेता है।

(ख) और (ग). योजना के बनने से पहले सब मंत्रालयों/विभागों से उनके और उनके अधीन कार्यालयों के योजना में शामिल होने पर परामर्श लिया गया था। जिन कार्यालयों में सचिवालय जैसा काम था और जिन्होंने योजना में भाग लेना चाहा, उन्हें इस योजना में शामिल कर लिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) संसदीय-कार्य विभाग केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर एण्ड आर) योजना में शामिल नहीं है।

(च) और (छ). जी, नहीं। ऐसे कार्यालयों में उनके अधीन पदों के लिये उनकी अपनी पदाली और भर्ती सम्बन्धी नियम हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना

†२०११. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को यह आदेश जारी किये हैं कि उस प्रत्येक साइकिल चलाने वाले से ५ रुपये जुर्माने के वसूल किये जायें जिसके पास बत्ती न हो और यदि उसके पास नक़द रुपया न हो तो उसकी साइकिल रख ली जावे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, जो व्यक्ति यातायात के नियमों को तोड़ते पाये जाते हैं, उन से, यदि आवश्यक हो, तो अदालत में पेश होने के लिये ५ रुपये जमानत के रूप में ले लिये जाते हैं। जो साइकिल चलाने वाले नक़द जमानत नहीं दे पाते, जमानत के रूप में उनकी साइकिल रख ली जाती है।

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना

२०१२. **श्रीमती शकुन्तला देवी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की हिन्दी पढ़ाने की योजना के अन्तर्गत अध्यापक, अधीक्षक और प्रशासक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के रूप में अब तक कितना व्यय किया जा चुका है; और

(ख) कितने कर्मचारियों के हिन्दी के ज्ञान को अपेक्षित स्तर तक लाया गया और उन पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ३१ मार्च १९५९ तक कर्मचारियों के वेतन आदि पर १६,३७,४३४ रुपये खर्च हुए हैं।

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या ५२,४९९ है, और प्रत्येक कोर्स में प्रति व्यक्ति ३१ रुपये खर्च होते हैं।

उत्तर प्रदेश में भूमि का अभिग्रहण

२०१३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बेलीपार गांव के जमींदारों से प्रतिरक्षा मंत्रालय ने छावनी के लिये लगभग ३४१/२ एकड़ भूमि ली थी ;

(ख) यदि हां, तो यह किन शर्तों पर ली गई थी;

(ग) क्या यह भूमि इस बीच जमींदारों को लौटा दी गई; और जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कृषकों को दे दी गई;

(घ) यदि नहीं, तो यह किसे लौटाई गई; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां, १८६५ में।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १७ एकड़ भूमि, उसके स्वामियों ने अपने आप प्रसन्नता से भेंट की थी; उन्हें मुआवज़ा लेने को कहा गया था, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। बाकी भूमि किन शर्तों पर ली गई थी, उनका ब्यौरा प्राप्त नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह भूमि १९५७ में उत्तर प्रदेश सरकार को बेची गई थी।

(ङ) यह भूमि उन्हें कृषि विभाग के लिए चाहिये थी।

हिन्दी असिस्टेंट

†२०१४. **श्री उ० ल० पाटिल :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने जून, १९५९ में हिन्दी असिस्टेंटों के लिये परीक्षा ली थी;

(ख) यदि हां, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए;

(ग) हिन्दी असिस्टेंटों के पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने कितने अभ्यर्थियों की सिफारिश की थी;

(घ) अब तक कितने नियुक्त किये गये हैं;

(ङ) क्या गृह मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को अपेक्षित हिन्दी असिस्टेंटों को बुला लिया है;

(च) यदि हां, तो कितने मंत्रालयों ने अपनी अपनी आवश्यकतायें भेज दी हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(छ) १९६०-६१ में विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी असिस्टेंटों की कितनी आवश्यकता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस परीक्षा में ४६ अभ्यर्थी सफल हुए हैं और संघ लोक सेवा आयोग ने उन सब की हिन्दी असिस्टेंटों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है।

(घ) से (च). विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी असिस्टेंटों के वर्तमान पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गयी और इस समय हिन्दी असिस्टेंटों के ४२ पद बताये गये। इस संख्या में से ७ स्थान खाली थे, ९ पर नियमित असिस्टेंट काम कर रहे थे और बाकी पद उपयुक्त अपर डिवीज़न क्लर्कों/लोअर डिवीज़न क्लर्कों की तदर्थ नियुक्ति द्वारा अथवा अन्य संसाधनों उदाहरणतः काम दिलाऊ दफ्तर/सहायक कार्यालयों आदि से व्यक्तियों की भर्ती करके भरे गये थे। नियमित असिस्टटों के स्थान पर और खाली स्थानों पर १६ सफल घोषित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्त कर दिया गया और हिन्दी असिस्टेंटों के रूप में १५ अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं। सफल घोषित अभ्यर्थियों में से दो पहले ही हिन्दी असिस्टेंटों के रूप में कार्य कर रहे थे और एक ने इस्तीफा दे दिया। बाकी बारह अभ्यर्थियों को यथासमय रिक्त स्थान होने पर नियुक्त किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

(छ) १९६०-६१ में हिन्दी असिस्टेंटों के पदों की संभाव्य आवश्यकता का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

जालसाजी विरोधी दस्ता

†२०१५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कटपीस के कपड़े के व्यापार पर नज़र रखने के लिये दिल्ली में एक जालसाज़ी विरोधी दस्ता स्थापित करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

लोधी रोड, नई दिल्ली में हायर सेकेन्डरी स्कूल

†२०१६. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में लोधी रोड, नई दिल्ली में कितने नये हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले गये;

(ख) कितने स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाया गया;

(ग) क्या भाषा, ड्राइंग, विज्ञान और अन्य विशेष विषय पढ़ाने के लिये इन सब स्कूलों में पर्याप्त अध्यापक हैं;

(घ) क्या स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिये सामान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, कोई नहीं ।

(ख) इस बस्ती में १९५९ में केवल एक ।

(ग) जी, हां । एक गृह-विज्ञान अध्यापक और एक ड्राइंग अध्यापक को छोड कर ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीताराम मिल, केरल में अग्निकांड

†२०१७. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मणियंगाडन :
श्री वे० ईयाचरण : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीताराम टेक्सटाईल्स, त्रिचूर, केरल का एक भाग अग्नि से नष्ट हो गया;

(ख) यदि हां, तो क्या समूची मिल का काम रुक गया है; और

(ग) बेरोज़गार मजदूरों की सहायता करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मजदूरों को काम दिलाने सम्बन्धी उपायों पर केरल सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकासी) नियमों में संशोधन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं केन्द्रीय, बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकासी) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८३५/५९]

विस्फोटों की जांच के बारे में प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) २९ नवम्बर, १९५९ को जमुरिया बाजार, आसनसोल में हुए विस्फोट की जांच का प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८३६/५९]

(२) १३ दिसम्बर, १९५९ को बेगम बाजार, हैदराबाद में एक तिमंजले मकान में हुए विस्फोट के बारे में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर का दिनांक १६ दिसम्बर, १९५९ का प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८३७/५९]

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्रों में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत (केन्द्रीय सरकार के) समवायों के सामान्य नियम तथा प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८३८/५९]

केरल साहूकार नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में निकाली गयी दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ की उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित केरल साहूकार अधिनियम, १९५८ की धारा २१ की उप-धारा (३) के अन्तगत केरल गजट में प्रकाशित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

दिनांक १३ अक्तूबर, १६५६ की अधिसूचना संख्या ८०४५ (५६) आई ए ४, जिस में केरल साहूकार नियम, १६५६ दिये हुए हैं की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८३६/५६]

केरल के मंत्रियों तथा अध्यक्ष के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते नियम

†**श्री दातार :** मैं राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में निकाली गयी दिनांक ३१ जुलाई, १६५६ की उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित वेतन तथा भत्तों का भुगतान अधिनियम १६५१ की धारा १० की उप-धारा (२) के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित दिनांक २ जून, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पी) ५५२, जिस में केरल के मंत्रियों तथा अध्यक्ष के यात्रा-भत्ते तथा दैनिक भत्ते सम्बन्धी नियम, १६५६ दिये हुए हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८४०/५६]

औषधि परियोजनाओं तथा मध्यवर्ती परियोजनाओं के स्थान

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** मैं औषधि परियोजनाओं तथा मध्यवर्ती परियोजना के स्थानों के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८४१/५६]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती वायलेट आल्वा) :** मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८ (२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १६५८-५६ के प्रतिवेदन (भाग १ और २) की प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८४२/५६]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १६५५ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिए संख्या एल टी—१८४३/५६]

†**अध्यक्ष महोदय :** आज सभा में श्री क० च० रेड्डी द्वारा रखे गये दो पत्रों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । आसनसोल तथा हैदराबाद में हुए इन विस्फोटों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गई थी, उस समय माननीय मंत्री पूरी जानकारी नहीं दे सके थे और लोग जानकारी मालूम करने के लिये बड़े उत्सुक थे । इसलिये इस प्रकार की सूचना जब सभा को

†मूल अंग्रेजी में

दी जाये, या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये तो उसके साथ सभा को कुछ सारांश भी बताया जाना चाहिये, कि दुर्घटना का कारण क्या था आदि । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को सभा में इन प्रतिवेदनों के बारे में थोड़ा सा विवरण भी पढ़ना चाहिये । भविष्य में इस प्रकार के प्रतिवेदनों के बारे में माननीय मंत्री को सभा में संक्षेप में कुछ बताना चाहिये । इस प्रक्रिया का भविष्य में अनुसरण किया जाना चाहिये ।

†**श्री क० च० रेड्डी** भविष्य में ऐसा ही किया जायेगा ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

सोलहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की नवें सत्र में हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

सत्रहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की नवें सत्र में हुई सत्रहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि निम्न विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

१. चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५९

२. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक, १९५९

३. भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५९

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

अड़सठवां, उन्हत्तरवां, तथा सत्तरवां, प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(एक) प्रतिरक्षा मंत्रालय—भारत इलेक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के उन्तालीसवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में अड़सठवां प्रतिवेदन ।

(दो) शिक्षा मंत्रालय—प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के चौथे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में उन्हत्तरवां प्रतिवेदन ।

(तीन) परिवहन मंत्रालय—अन्तर्देशीय जल परिवहन के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के इकसठवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में सत्तरवां प्रतिवेदन ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : श्रीमान, यह प्रतिवेदन, १९५७ के आरम्भ में सभा में रखे गये थे और इन में बताई गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन अब तीन वर्ष पश्चात सभा पटल पर रखे जा रहे हैं । प्राक्कलन समिति की उन सिफारिशों पर प्रश्न भी गृहीत नहीं किये जाते क्योंकि सरकार के निर्णय का पता नहीं होता । इसलिये मेरा आप से अनुरोध है कि आप प्राक्कलन समिति से इस सम्बन्ध में शीघ्रता करने को कहें या हमें उसकी सिफारिशों पर प्रश्न पूछने की अनुमति दें ।

†**श्री दासप्पा** : यह मूल प्रतिवेदन नहीं है । यह समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में है । समिति की कुछ शिफारिशें मान ली जाती हैं और कुछ के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता; इस में कुछ समय लगता ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने के तुरन्त बाद माननीय सदस्य उन को पढ़ सकते हैं । बहुत सी सिफारिशें तो उसी समय लागू की जा सकती हैं और कुछ के लिय समय जरूरी होता है । अतः इनको लागू करने में विलम्ब हो सकता है । परन्तु यदि सरकार उचित समय में भी सिफारिशों को लागू नहीं कर पाय तो मैं सभा में प्रश्नों को पूछने की अनुमति अवश्य दूंगा । यदि इन मामलों में भी देर हुई है तो मैं इन के बारे में प्रश्नों की अनुमति दे दूंगा ।

———

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर की शुद्धि

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: श्रीमन, मैं आप की अनुमति से, ४ दिसम्बर, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करना चाहती हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नों के पूछे जाते समय श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने पूछा था :

"क्या यह सच नहीं है कि मंत्रिमंडल के सचिव, वित्त सचिव तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के एक प्रतिनिधि की एक समिति, इस मामले पर विचार करने वाली थी और क्या उन्होंने इस मामले पर कुछ विचार किया है ?"

इसका उत्तर मैंने इस प्रकार दिया था :

"जी हां, मई १९५९ में प्रधान मंत्री ने तीन पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी, मंत्रिमंडल के सचिव जिसके सभापति थे। उन्होंने सम्पूर्ण मामले पर विचार किया और मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया कि गृह-कार्य मंत्रालय की एक छोटी उप-समिति नियुक्त की जाये, जिसके सभापति ओ एण्ड एम डिवीजन का डाइरेक्टर हों और जिसमें गृह-कार्य मंत्रालय के सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक प्रतिनिधि हो। उस समिति ने सारे मामले पर विचार करके कुछ सिफारिशें कीं। इसी बीच वेतन आयोग भी इन पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों के प्रश्न पर विचार कर रहा था। अतः दोनों को एक में ही मिला दिया गया।"

सही स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री ने इन पदाधिकारियों की एक समिति मई, १९५५ में नियुक्त की थी, न कि मई, १९५९ में।

मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। जब मैं अपने पैड से पढ़ कर जवाब दे रही थी, तो मैंने १९५५ कहा था। यह टाइप की गलती थी, जिसे मुझे कार्यवाही में ठीक कर लेना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से वह गलती रह गयी और १९५९ को काट कर १९५५ नहीं किया जा सका।

माननीय सदस्य श्री माथुर ने जिस बात का जिक्र किया था, वह यह भिन्न बात थी क्योंकि इस समिति का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कही गयी उन बातों से कोई मतलब नहीं था, जिन्हें माननीय सदस्य ने सभा के सामने रखा। यह समिति किस काम के लिये नियुक्त की गयी थी यह बात मेरे उत्तर में स्पष्ट कर दी गयी है। जब माननीय सदस्य ने प्रक्रिया तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के बारे में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कही गयी बातों के बारे में सवाल किया था, तो मैंने बताया था कि वित्त मंत्रालय ने नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को जवाब दे दिया है और अवश्य कार्यवाही की जा रही है। उस बात को इस बात के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या अभी भी कुछ गड़बड़ रहती है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : जी हां, यह समिति अगर १९५५ में नियुक्त की गयी थी, तो चार वर्ष तक क्या करती रही है ?

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : सवाल यह है कि १९५५ से अब तक यह समिति क्या करती रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** समिति १९५५ में नियुक्त की गयी थी। माननीय मन्त्री ने गलती से उसे १९५९ बताया।

अब माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि १९५५ से १९५९ तक समिति क्या करती रही है ? मैं माननीय सदस्य को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। एक यह कि महालेखा परीक्षक ने स्वयं प्रधान मंत्री को इन विलम्बों के बारे में एक कड़ा पत्र लिखा था, तो फिर चार साल तक क्या होता रहा ?

दूसरी बात यह है कि अभी गत दो-तीन महीनों के बीच महालेखा परीक्षक ने इस बात को फिर उठाया था। यह भी हमें बताया जाये कि यह समिति उस समिति से भिन्न कैसे है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस समिति ने विलम्ब, प्रक्रिया के सुधार आदि सभी प्रश्नों पर विचार किया। इसी बीच वेतन आयोग नियुक्त किया गया और उसके निर्देश पद में भी कहा गया था कि वह भी इस प्रश्न पर विचार करेगा। अतः जब इस समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया, तो उसका कोई प्रतिवेदन नहीं निकाला गया और उस सारी बात को वेतन आयोग के साथ मिला दिया गया। हम वेतन आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे थे यह देखने के लिये कि वेतन आयोग ने इस मामले पर किस दृष्टिकोण से विचार किया है। अतः हमने इस समिति की सिफारिशों को वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ मिला दिया ताकि यह एक पूर्ण बात एक ही दृष्टिकोण से बन जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अब वेतन आयोग का प्रतिवेदन आ गया है। क्या उपमंत्री महोदया बतायेंगी कि वेतन आयोग ने इस मामले में क्या कहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** वेतन आयोग ने प्रक्रिया तथा कार्य की दशा को सुधारने के प्रश्न पर विचार किया है, अतः अब सारा मामला सरकार के सामने विचाराधीन है।

†**श्री तंगामणि** उठे।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मन्त्री को जो कुछ कहना था, उन्होंने कह दिया। माननीय सदस्य वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते समय इन सभी बातों का उल्लेख कर सकते हैं।

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ इसके अध्याय ८ को छोड़ कर, उस समय भारत के सभी प्रांतों में १ जुलाई, १९३९ से लागू किया गया था। अध्याय ८ तीसरी पार्टी के दायित्व पर मोटरगाड़ियों का अनिवार्य बीमा लिये जाने के सम्बन्ध में था। उन्हीं इन प्रान्तों में अध्याय ८, १ जुलाई, १९४६ को लागू किया गया। इस अधिनियम को भाग ख राज्य (विधियां) अधिनियम, १९५१ के अधीन भाग ख राज्यों में १ अप्रैल, १९५१ को लागू किया गया। अध्याय ८ भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य को छोड़ कर, शेष सभी राज्यों में २९ अक्तूबर, १९५६ को लागू किया गया। इस अधिनियम को उस समय त्रावनकोर-कोचीन राज्य पर लागू करना इसलिये आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि वित्त मंत्रालय उस समय समस्त बीमा व्यवसाय को अपने हाथ में लेने के बारे में विचार कर रहा था। इसलिये यह उचित समझा गया कि जब तक इस मामले के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं कर लिया जाता

†मूल अंग्रेजी में

तब तक यह काम राज्य सरकारों को ही करने दिया जाये। यद्यपि कुछ समय के लिये मामले पर विचार करना स्थगित कर दिया गया था परन्तु फिर भी यह उचित समझा गया कि यथास्थिति बनाई रखी जाये।

इसी बीच राज्यों का पुनर्ग न किया जा रहा था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के अधीन केरल का नया राज्य बना जिसमें भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य का अधिकांश भाग और मद्रास राज्य का मलाबार क्षेत्र शामिल किया गया था कासरगोड ताल्लुके को मैसूर राज्य में मिला दिया गया था; **त्रावनकोर-कोचीन** के कुछ हिस्सों को मद्रास राज्य में मिलाया गया था।

राज्य पुनर्ग न अधिनियम की धारा ११९ के अधीन यह व्यवस्था थी कि पुनर्गठन होने से शीघ्र पहले राज्य में लागू विधि लागू रहेगी, जब तक उपयुक्त विधान मण्डल द्वारा अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसको हटाने की व्यवस्था न कर दी जाये। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के विभिन्न भागों में तीसरी पार्टी के दायित्व पर मोटर गाड़ियों के बीमे के बारे में एक राज्य में दो प्रकार की विधियां चल रही हैं। यह उचित समझा गया कि प्रत्येक राज्य में समान विधि लागू होनी चाहिये।

जाहिर है कि वर्तमान केरल राज्य के मलाबार भाग में मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ का अध्याय ८ लागू है। इसी प्रकार त्रावनकोर-कोचीन राज्य मोटरगाड़ी अधिनियम, ११२५ का अध्याय ७ केरल राज्य से अथवा भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य से मद्रास राज्य को हस्तान्तरित प्रदेश में लागू है।

इसलिये तीसरी पार्टी के दायित्व पर मोटरगाड़ी का बीमा कराने के प्रश्न से सम्बन्धित विधि को एक रूप बनाने के बारे में हमने निर्णय किया है कि आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जाय और इसीलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ का अध्याय ८ समस्त म ास राज्य में लागू हो जायेगा और त्रावनकोर-कोचीन मोटर गाड़ी अधिनियम, ११२५ का अध्याय ७ समस्त केरल राज्य में लागू हो जायेगा। इसमें यह व्यवस्था रखी गई है कि केरल राज्य में अध्याय ८ लागू करने का निर्णय करने पर इसको लागू करने की घोषणा सरकारी गजट में कर दी जायेगी।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सभी एक मत हैं कि इसको पारित किया जाये क्योंकि यह राज्य पुनर्ग न के कारण उत्पन्न स्थिति की वजह से प्रस्तुत किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कोयला खान बचाव नियमों के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा कोयला खान बचाव नियम, १९५९ में रूप भेद करने के लिये रखे गये प्रस्तावों पर विचार करेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सिफारिश करती है कि, ६ अगस्त, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३ के उप-नियम (१) के खण्ड (झ) में "सभापति" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रख दिया जाये ।"

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३ के उप-नियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात् :—

चेयरमैन का निर्वाचन और उसकी पदावधि

पदावधि : (१) बचाव केन्द्र समिति का एक सभापति होगा, जिसका निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जायेगा । चेयरमैन के पद की पदावधि दो वर्ष रहेगी ।

(२) नियम ३ के अन्तर्गत बचाव केन्द्र समिति के गठन के बाद ही यथा शीघ्र सचिव चेयरमैन के निर्वाचन के लिये समिति की एक बैठक बुलायेगा । ऐसी बैठक का सभापतित्व भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का सचिव करेगा ।

(३) चेयरमैन के पद के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिये सचिव समिति की एक बैठक बुलायेगा और निर्वाचन किया जायेगा । बैठक का सभापतित्व भारत सरकार के श्रम और रोजगार मन्त्रालय का सचिव करेगा ।"

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ४ के उपनियम (१) में "तीन" शब्द के स्थान पर "दो" शब्द रख दिया जाये ।"

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव, नियम, १९५९ के नियम ५ में जहां जहां 'सभापति' शब्द आया है उसके स्थान पर 'चेयरमैन' शब्द रख दिया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ५ में "मुख्य निरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का सचिव " शब्द रख दिया जाये ।

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये; अर्थात् :—

"८. **चेयरमैन की शक्तियां और कर्तव्य** : चेयरमैन बैठकों का सभापतित्व करेगा । उसकी अनुपस्थिति में, समिति अपने किसी एक सदस्य को केवल उस बैठक का सभापतित्व करने के लिये निर्वाचित कर सकती है ।

मैं कोयला खान बचाव नियम के पुनरीक्षण का स्वागत करता हूं । यह पुनरीक्षण बीस वर्ष बाद किया जा रहा है । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य कोयला क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है । आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में अभी तक भी कोई बचाव केन्द्र नहीं था । खनन उद्योग में इन बचाव केन्द्रों का बड़ा महत्व है । वहां विस्फोट, आग लग जाने और खानों में पानी भर जाने, इत्यादि की दुर्घटनायें आये दिन होती रहती हैं । ये बचाव केन्द्र कुछ खनिकों की जान तो बचा ही सकते हैं । वार्षिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि अभी इस समय पूरे देश में केवल दो बचाव केन्द्र हैं—धनबाद और रानीगंज के सीतारामपुर में । अभी तक इस बचाव कार्य के लिये कुल एक हजार या १,३०० श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि सभी कोयला क्षेत्रों में कुल मिला कर ३,७०,००० श्रमिक काम कर रहे हैं ।

मैंने पोलैण्ड में देखा है कि ये बचाव केन्द्र वहां कितनी तत्परता से काम करते हैं ।

यह बचाव दल आग बुझाने और किसी एक गैस की मात्रा को कम करके उसे खान से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं । पिछले प्रतिवेदन में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया गया था । पोर्बेलिया कोयला खान को बचाने का ।

इन पुनरीक्षित नियमों में पहली बार सिंगरैनी कोयला क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है । लेकिन न तो वहां और न मध्य प्रदेश में ही अभी तक बचाव केन्द्र स्थापित किये गये हैं । माननीय मन्त्री बतायें कि उनकी स्थापना कब होगी ?

इन केन्द्रों की आवश्यकता अविलम्बनीय है, इसलिये सरकार को उपकर वसूल हो जाने तक नहीं रुकना चाहिये । इनकी स्थापना पर अभी जितनी राशि व्यय होगी, वह बाद में उपकर की संचित राशि में से काटी जा सकती है ।

दूसरी चीज यह कि हम प्रति टन कोयले पर १·९ नये पैसे का जो उपकर वसूल कर रहे हैं, वह इसके लिये पर्याप्त नहीं होगा । पिछले साल इसके लिये कुल साढ़े आठ लाख रुपये ही इकट्ठे हो पाये थे, जबकि देश में ७० करोड़ रुपये के मूल्य का कोयला निकाला गया था । इतनी थोड़ी सी राशि से हम अधिक संख्या में बचाव केन्द्र स्थापित नहीं कर पायेंगे ।

मैंने सभा पटल पर रखे गये पुनरीक्षित नियमों में कुछ संशोधनों का सुझाव रखा है । उनमें से एक यह है कि खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा बचाव केन्द्र समिति के चेयरमैन की नहीं, बल्कि सचिव की नामजदगी की व्यवस्था रहे । चेयरमैन का निर्वाचन तो समिति के सदस्यों को ही करना चाहिये ।

[श्री त० ब० विट्ठल राव]

मैंने सुझाव रखा है कि इस समिति का चेयरमैन कोई गैर सरकारी व्यक्ति ही होना चाहिये। चेयरमैन कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिस इस विषय की काफी गहरी जानकारी हो।

एक और सुझाव यह भी है कि समिति के गठन के बाद ही यथाशीघ्र भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को चेयरमैन के निर्वाचन के लिये समिति को बैठक बुलानी चाहिये।

पदावधि को मैंने तीन से घटा कर दो वर्ष की कर दिया है। इससे श्रमिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो सकेगा। अन्य संशोधन प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं। आशा है कि मेरे इन संशोधनों को स्वीकार किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३ के उप नियम (१) के खण्ड (झ) में "जो सभापति होंगे" शब्द हटा दिये जायें।"

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३ के उप नियम (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जाये'; अर्थात् :--

"१ (क) सदस्यगण अपने में से किसी एक को सभापति के रूप में निर्वाचित करेंगे।

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३ के उप नियम (२) में "The President" ("सभापति") शब्दों के पश्चात् "in consultation with the members of the Committee" ("समिति के सदस्यों के परामर्श से") शब्द जोड़ दिये जाये।"

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम १८ के उप नियम (१) में "दो" के स्थान पर "तीन" रख दिया जाये।"

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३८ के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाये; अर्थात्:--

"३८ क. एक बार में केवल एक ही दल खान में नीचे उतारा जायेगा, लेकिन बचाव केन्द्र का अधीक्षक, या अधक्षिक की अनुपस्थिति में कोई भी अन्य उत्तरदायी अधिकारी यदि परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक और ठीक समझे तो एक और या इससे अधिक दल भी भेज सकता है।"

†मूल अंग्रेजी में

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३९ के उप नियम (५) के पश्चात् निम्न लिखित उप नियम जोड़ दिया जाये; अर्थात् :--

"(६) खान के अन्दर की वायु का नमूना लेने जाने वाले दल के नेता द्वारा धारण किये जाने वाले श्वसन यंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में वायु के नमूने इकट्ठे करने वाला यंत्र भी रहेगा ।"

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ की अनुसूची १ की मद संख्या (१५) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ दी जाये; अर्थात् :--

"१६. गैस विश्लेषण के लाने ले जाने योग्य दो 'होल्डेन' यंत्रों या इसी किस्म के अन्य दो यंत्रों को चालू हालत में रखा जाये ।"

सभी चाहते हैं कि कोयला खानो में दुर्घटनायें न हों पायें । और यदि दुर्घटनायें हों भी जायें तो उनसे कम से कम क्षति हो ।

हमारे देश में अभी तक दो बचाव केन्द्र थे, लेकिन अब उमसे हमारी कोयला खानो की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती । इसलिये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने अब और अधिक बचाव केन्द्र खोलने का निश्चय किया है । और उसके लिये बचाव नियमों का संशोधन करने का निर्णय किया ह ।

ये नियम खान अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं । इस संशोधन से पहले समिति स्वयं ही अपने चेयरमैन या सभापति का निर्वाचन करती थी । अब यह कहा जा रहा है कि खानों का मुख्य निरीक्षक ही निरीक्षकों में से किसी एक को बचाव समिति के चेयरमैन के रूप में नामजद कर देगा । यह नयी व्यवस्था उच्ति नहीं है ।

समिति में विभिन्न प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व होता है । इसलिये अन्य हितों पर यह बन्दिश क्यों लगाई जा रही है कि वे अपने प्रतिनिधियों को समिति का चेयरमैन न बना सकें । इसलिये पहले की व्यवस्था को ही रहने दिया जाये ।

दूसरी नयी व्यवस्था यह है कि सभापति ही किसी व्यक्ति को समिति के सचिव के रूप में काम करने के लिये नियुक्त करेगा । मेरा प्रस्ताव है कि नियुक्ति के पहले सभापति को समिति से परामर्श कर लेना चाहिये ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि प्रत्येक बचाव केन्द्र में श्रमिकों को बचाव का काम सिखाने के लिये अधीक्षक सहित कम से कम तीन सक्षम प्रशिक्षक रहें ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

प्रशिक्षकों की संख्या इससे कम होने पर प्रशिक्षण कार्य ठीक ढंग से नही हो पायेगा ।

नयी धारा ३८(क) जोड़ने का सुझाव मैंने इसलिये रखा है कि ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब दुर्घटना होने पर खान के अन्दर एक से अधिक दलों का भेजना भी आवश्यक हो जाये । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केवल एक बचाव-दल भेजा जा सकता है । चिनाकुरी दुर्घटना के समय हम देख चुके हैं कि एक से ज्यादा बचाव-दल भेजे जाना आवश्यक था, लेकिन नहीं भेजे जा सके । इसलिये प्रभारी अधिकारी को ऐसी शक्ति दी जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री० स० च० सामन्त]

संशोधन संख्या ६ में मैंने प्रस्ताव रखा है कि दुर्घटना के समय खान के अन्दर की वायु का नमूना लेने का यंत्र बचाव दल के नेता को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिये । इसलिये कि न्यायालयों में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बचाव दल ने वायु का नमूना क्यों नहीं लिया । इसीलिये अनुसूची १ में गैस विश्लेषण के यन्त्र को चालू हालत में रखने की मद जोड़ी जानी चाहिये ।

केन्द्रीय खान प्रतिष्ठान में इस बात की गवेषणा की जानी चाहिये कि इन दुर्घटना से किस प्रकार बचा जा सकता है । सरकार से मेरा अनुरोध है कि बंगाल और बिहार के कार्यकर्त्ताओं को बचाव कार्य के प्रशिक्षण के लिये ऐसे केन्द्रों में भेजा जाये जहां खानों की संख्या कम हो ।

अधिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित होने पर दुर्घटनाओं के समय काफी उपयोगी सहायता मिल सकती है । आशा है कि भविष्य में प्रत्येक खान में ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता सुलभ होंगे । आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : १९३९ के कोयला खान बचाव नियम बड़े ही पुराने और घिसे पिटे थे । उनके पुनरीक्षण के बाद ये नये नियम पहले से काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं । कोयला खानों की दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति तभी कम की जा सकती है जब ठीक समय पर बचाव कार्य का प्रबन्ध किया जाये ।

मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है नियम ३ के उप-नियम (१) की इस व्यवस्था पर कि खान निरीक्षक ही बचाव केन्द्र समिति का सभापति होगा । खान निरीक्षक तो हर खान का निरीक्षण तीन साल में एक बार भी नहीं कर सकता, उसके पास इतना अधिक काम रहता है । उसे और अधिक दायित्व नहीं सौंपना चाहिये । दूसरी चीज़ यह है कि बचाव-दल का एक यह भी काम है कि वह दुर्घटनाओं के कारणों का पता चलाये; और चूंकि खान निरीक्षक भी दुर्घटनाओं से सम्बन्धित एक पक्ष हो सकता है, इसलिये उसे सभापति नहीं बनाया जाना चाहिये ।

असल में होता यह है कि पुराने सुरक्षा नियमों को भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जाता । यदि किया जाये तो इतनी दुर्घटनायें न हों । कार्यान्वित न करन का कारण यह है कि उसके लिये पर्याप्त कार्यकर्त्ता नहीं हैं और श्रम मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में उचित सह-कार्य नहीं है ।

खान सुरक्षा सम्मेलन में इन सभी विभागों के प्रतिनिधि आपस में ही झगड़ रहे थे । इसलिये श्री स० चं० सामन्त का सुझाव स्वीकार किया जाना चाहिये ।

नियम ३८ में व्यवस्था है कि एक बार में एक ही बचाव-दल खान के अन्दर भेजा जा सकता है । हम चिनाकुरी दुर्घटना में इसकी अपर्याप्तता देख चुके हैं । इसलिये अधीक्षक को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि यदि वह जरूरी समझे तो एक से अधिक दलों को खान के अन्दर भेज सके ।

चिनाकुरी जांच समिति ने खान के अन्दर की वायु के नमूने इकट्ठे करने के बारे में कहा है कि अच्छा होता यदि बचाव-दल ने वायु के नमूने और ज्यादा इकट्ठे किये होते । इस सम्बन्ध में श्री स० चं० सामन्त का संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं सरकार द्वारा रखे गये संशोधनों का स्वागत करता हूं । दुर्घटनाओं के समय बचाव-दलों का उपस्थित रहना बहुत ही जरूरी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने की खानों में भी इसी तरह की दुर्घटनायें होती रहती हैं। रूही खान में एक बार विषैली गैस से ५–६ व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। कारण यह था कि सुरंग लगाने के लिये विस्फोटक के प्रयोग के बाद विषैली गैस को बाहर निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। लोगों को उसका ठीक-ठीक पता भी नहीं था। इसीलिये सरकार ने इन निकायों की स्थापना की व्यवस्था की है। निरीक्षकों का कर्त्तव्य है कि वे प्रबन्धकर्त्ताओं से सभी सुरक्षा नियमों का पालन करायें। यह भी जरूरी है कि बचाव-दलों का संगठन प्रबन्धकर्त्ताओं के प्रभाव से स्वतन्त्र रहे। तभी दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सकता है।

मैं इस विधान का स्वागत करता हूं और साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि बचाव-दलों की पर्याप्त संख्या देश ; रहे और ये नियम सोने की खानों पर भी लागू किये जायें।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कई माननीय सदस्यों ने कोयला क्षेत्रों के अपने अनुभवों के आधार पर हमें काफी उपयोगी बातें बताई हैं, खास तौर से पश्चिमी बंगाल के माननीय सदस्य श्री स० चं० सामन्त ने कई वर्ष तक समिति की बड़ी सहायता की है। मैं इसके लिये आभार प्रकट करता हूं। श्री स० चं० सामन्त ने जिस जांच समिति का उल्लेख किया है, उसमें वह हमारे अनुरोध पर ही शामिल हुए थे। उस सिलसिले में उन्होंने न्यायालय की बड़ी सहायता की थी। उसके बाद वह समय-समय पर हमें सुझाव देते रहे हैं कि दुर्घटनाओं से किस प्रकार बचा जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खानों की दुर्घटनाओं और बचाव-कार्यों को एक ही मान लिया है, उनमें अन्तर नहीं किया। ये दोनों दो अलग-अलग विभाग हैं, हालांकि वे एक दूसरे पर काफी निर्भर रहते हैं। जिन माननीय सदस्य ने दुर्घटना जांच समिति का उल्लेख किया था, उन्होंने कहा था कि निरीक्षकों को इस समिति के सभापति नहीं बनने देना चाहिये, क्योंकि वे स्वयं दुर्घटनाओं से सम्बन्धित होते हैं। ये दोनों ही दो अलग-अलग विभाग हैं, दोनों ने अलग-अलग कृत्य हैं और दुर्घटना का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुर्घटना के बाद हर व्यक्ति को सबसे बड़ी चिन्ता यही होती है कि जिन लोगों पर विपत्ति आई है उनको किस तरह बचाया जाये और आग किस तरह बुझाई जाये।

दुर्घटनाओं और इस विभाग के कार्य-संचालन का भी उल्लेख किया गया था, हालांकि इस चर्चा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि खान दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। इस वर्ष दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम रही है, इतनी कम कि इससे पहले कभी भी नहीं रही।

आप इसकी तुलना दूसरे देशों से कीजिये। सबसे अधिक संख्या कनाडा की है। कनाडा में दुर्घटनाओं के कारण प्रति हजार पर २.६५ व्यक्तियों की मृत्यु होती है। और, सबसे कम संख्या है इंगलैण्ड की, जहां प्रति हजार पर ०.६२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और भारत में इस वर्ष दुर्घटनाओं के कारण प्रति हजार पर ०.७२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस हिसाब से हमारा दूसरा नम्बर है। माननीय सदस्य आलोचना करने के उत्साह में आंकड़ो को देखते ही नहीं। उन्हें इन आंकड़ों से कुछ सबक लेना चाहिये। इस विभाग ने बड़ा अच्छा कार्य किया है।

चेयरमैन की नियुक्ति, इत्यादि के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं, उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि धारा १९३९ से लागू है। अभी तक निर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं और हर वर्ष निरीक्षक को ही चेयरमैन निर्वाचित किया जाता रहा है। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को चेयरमैन चुनने का सुझाव नहीं रखा गया था। इस अनुभव को देखते हुये और इस बात को देखते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

हुये कि इसमें सरकारी निधियों का व्यय भी शामिल है, आवश्यकता इसी बात की है कि इस समिति का चेयरमैन कोई सरकारी व्यक्ति ही रहे है। पिछले बीस वर्षों में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब कि किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को चेयरमैन चुनने की आवश्यकता महसूस की गई हो। समिति के सदस्य स्वयं यही महसूस करते हैं कि इसका चेयरमैन कोई सरकारी व्यक्ति ही रहे। हम तो उस तथ्य को स्वीकार भर कर रहे हैं।

एक सुझाव यह भी था कि पदावधि तीन के स्थान पर दो वर्ष की रखी जाये। क्योंकि कार्मिक संघों या अन्य संगठनों के प्रतिनिधि जो इसमें नियुक्त किये जायेंगे, वे शायद तीन वर्ष तक अपने-अपने निकायों के प्रतिनिधि न रहें। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

लेकिन यह बात भी है कि जिन लोगों को इसमें नियुक्त किया जाता है उन्हें इसका काम समझने में भी कुछ समय लग जाता है। उन्हें अनुभव-प्राप्त करने के लिये कुछ समय तो दिया जाना चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कोयला खान विनियमों और बचाव नियम, १६३६ के अनुसार निर्वाचन की व्यवस्था है। सदस्यगण अपने में से किसी को सभापति निर्वाचित करेंगे।

†**श्री आबिद अली** : इसीलिये तो मैं कहता हूं कि उसका निर्वाचन होता है और हमेशा सरकारी अधिकारी ही निर्वाचित होता आया है। और हम इस तथ्य को स्वीकार ही कर रहे हैं, कोई नयी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। समिति को निर्वाचन की शक्ति रहने पर भी, उसमें हमेशा सरकारी अधिकारी को ही निर्वाचित किया जाता रहा है। और, एक अतिरिक्त कारण यह है कि उसमें निधियों का भी प्रश्न है, और इसीलिये किसी और को नियुक्त नहीं किया जाता।

सहकार्य के सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों का उल्लेख किया गया था। उनका श्रम मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है, वे श्रम मंत्रालय के अधीन नहीं हैं। श्रम मंत्रालय के सभी विभागों में काफी सहकार्य है। लेकिन यदि फिर भी किसी माननीय सदस्य को उसमें कोई त्रुटि नजर आये तो वह कृपया हमें बता दें। हम अवश्य ही उसकी जांच करेंगे और उसे हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

एक सुझाव यह था कि श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाय। सुझाव बड़ा अच्छा है। हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे। खनिकों को स्वयं ही अपने आपको बचाने का तरीका मालूम होना चाहिये।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय सदस्यों ने इस विभाग के कार्य को सराहा है और उसके विस्तार की आवश्यकता महसूस की है। हम उपकर की वर्तमान दर को १.६ नये पैसे से बढ़ा कर २ नये पैसे करने की सोच रहे हैं, जिससे कि विभाग की आय बढ़ सके। माननीय सदस्यों ने इसका कार्य-क्षेत्र बढ़ाने, अर्थात् बचाव-केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाव भी रखा है। आशा है कि यह शीघ्र ही किया जा सकेगा।

चेयरमैन की नामजदगी के बारे में एक संशोधन है और कुछ संशोधन उसके अनुषंगिक हैं। मैं उनको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। कुछ अन्य संशोधनों को मैं स्वीकार कर रहा हूं। उनमें से एक संशोधन संख्या ३ है। जिसमें श्री सामन्त ने सुझाव रखा है कि नियम ३ के उप नियम (२) में 'सभापति' शब्द के बाद 'समिति के सदस्यों के परामर्श से' शब्द जोड़ दिये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या ६ की तरह का मैं एक दूसरा संशोधन रख रहा हूं। आशा है श्री सामन्त उसे पसंद करेंगे। वह इस प्रकार है :—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३९ के उप-नियम (५) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

"(6) Whenever the Superintendent or a person authorised by him or an Inspector specifically requires air sample (s) to be collected by a brigade, the leader of the brigade shall carry an air sampling apparatus."

["(६) जब भी कोई अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या कोई निरोक्षक किसी दल द्वारा वायु के नमूने इकट्ठे कराने की विशेष आवश्यकता महसूस करे, तब दल का नेता अपने साथ वायु के नमूने इकट्ठे करने वाला यंत्र भी रखेगा।"]"

संशोधन संख्या ७ में अनुसूची १ में एक और मद बढ़ाने का संशोधन है। श्री सामन्त का सुझाव है कि दो हाल्डेन गैस विश्लेषक यंत्र चालू हालत में रखे जायें। इसी तरह का संशोधन मैं रख रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ की अनुसूची १ की मद संख्या (१५) के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ दी जाये :—

"(16) Two portable Haldane Gas Analysis Apparatus or similar apparatus."

["(१६) लाने ले जाने योग्य दो हाल्डेन गैस विश्लेषक यंत्र या इसी प्रकार के यंत्र।"]"

आशा है माननीय सदस्य इनको पसन्द करेंगे। मैं अन्य संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

वर्तमान नियमों के अनुसार, बचाव कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक बचाव केन्द्र में तीन से कम सक्षम प्रशिक्षक नहीं रहने चाहियें। इन पुनरीक्षित नियमों के अनुसार, अब उनकी संख्या कम से कम दो कर दी गई है। इसलिये कि मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और बम्बई कोयला क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित बचाव केन्द्र आकार में छोटे रहेंगे और उनके लिये तीन प्रशिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। कम से कम संख्या दो है, और यदि आवश्यकता पड़े तो उससे ज्यादा रखे जा सकते हैं। झरिया और सीतारामपुर के वर्तमान बचाव केन्द्रों में उनकी मौजूदा संख्या ही रहेगी। आगे से जो केन्द्र खोले जायेंगे, वे इनसे कहीं छोटे होंगे और उन पर यह नियम लागू होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहले उन तीन संशोधनों को रखता हूं जिन्हें सरकार स्वीकार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है कि

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रख गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३ के उप-निमम (२) में "The President" ("सभापति") शब्दों के पश्चात् "in consultation with the members of the Committee" ("समिति के सदस्यों के परामर्श से") शब्द जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ के नियम ३९ के उप-नियम (५) के पश्चात् निम्न-लिखित उप-नियम जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"(6) Whenever the Superintendent or a person authorised by him or an Inspector specifically requires air sample (s) to be collected by a brigade, the leader of the brigade shall carry an air sampling apparatus."

["(६) जब भी कोई अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या कोई निरीक्षक किसी दल द्वारा वायु के नमूने इकट्ठे कराने की विशेष आवश्यकता महसूस करे, तब दल का नेता अपने साथ वायु के नमूने इकट्ठे करने वाला यंत्र भी रखेगा।"]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा सिफारिश करती है कि ६ अगस्त, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये कोयला खान बचाव नियम, १९५९ की अनुसूची १ की मद संख्या (१५) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ दी जाये :—

"(16) Two portable Haldane Gas Analysis Apparatus or similar apparatus."

["(१६) लाने ले जाने योग्य दो हाल्डेन गैस विश्लेषक यंत्र या इसी प्रकार के यंत्र।"]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं अन्य संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमों के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ में रूपभेद करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

यह सभा सिफारिश करती है कि २५ नवम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ के, नियम ८ में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये ।

"परन्तु इस शर्त पर कि केन्द्रिय सरकार ऐसा करार तभी सम्पन्न करेगी, जब ऐसे करार की शर्तों का संसद की दोनों सभाओं द्वारा अनुमोदन हो जायेगा ।"

इस रूपभेद का उद्देश्य यही है कि सरकार कोई भी करार करने से पहले संसद की अनुमति लेले । सरकार ने बहुत से करार किये हैं, जो चालू हैं पर वे देश के तेल उद्योग की सम्पूर्ण स्थिति व उसके ढांचे के अनुकूल नहीं हैं। कारण है कि तेल समवाय अनेक प्रकार की शर्तें हम पर लगाते हैं और मजबूर हो कर हमें उनको स्वीकार करना होता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ ऐसी बातें व कुछ ऐसे तत्व पैदा हो गये हैं जो हमारे हित के विरोधी हैं।

आश्चर्य की बात है कि हमारी सरकार अनेक विदेशी तेल समवायों को बुला रही है कि वे देश में आ कर तेल की खोज का काम करें। ऐसा करना औद्योगिक नीति संकल्प के विरुद्ध है। प्रश्न यह है कि देश के तेल उद्योग पर सरकार अपना अधिपत्य रखना चाहती है या वह चाहती है कि विदेशी संस्थायें आकर हमारे देश में तेल की खोज का काम करें और उन पर उन्हीं का अधिपत्य रहे। यूरोप के देशों की तेल कम्पनियों को हम इस काम के लिए अपने देश में बुला रहे हैं। यह काम बहुत खतरनाक सिद्ध होगा । यदि विदेशियों को ही आमन्त्रित करना है तो रोमानिया व रूस जसे देशों का सहयोग क्यों प्राप्त नहीं किया जाता । इन देशों का सहयोग व काम काफी संतोषजनक भी रहा है । हमारे प्राकृतिक गैस आयोग ने स्वयं भी तेल की खोज के मामले में काफी महत्व-पूर्ण काम किया है ।

जहां तक तेल शोधन कारखाने स्थापित करने का सवाल है यदि इस संबंध में हमारी कोई पूर्व व निश्चित योजना होती कि हमें कहां कहां इन कारखानों को स्थापित करना है, तो यह ज्यादा उपयोगी व लाभदायक होता । पर खेद है कि हमने यह काम विदेशी समवायों के हाथों में छोड़ दिया कि वे हमारे देश में अपने कारखाने स्थापित करें। विदेशी समवायों ने समुद्र तटीय भागों को पसन्द किया क्योंकि वहां से उन्हें तेल का आयात करने में सुविधा होगी और वे आयात करेंगे। जब कि हमारी सरकार की नीति है कि देश के ीतर अधिकाधिक तेल पैदा किया जाये। गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशियों ने जो तीन तेल शोधन कारखाने स्थापित किये हैं, उनका हमारे सरकार तेल शोधन कारखाने का हित-संघर्ष रहेगा ।

स्टैण्डर्ड वैकुम के साथ बंगाल के संबंध में हमने जो करार किया है, वह कुछ लाभदायक नहीं रहा है । इस संबंध में हम ४ करोड़ रु० व्यय कर चुके हैं; पर कहीं भी कोई तेल नहीं निकला है ।

यदि हम थोड़ा त्याग करें तो हम अपने तेल तथा प्राकृति गैस आयोग को अच्छी मदद कर सकते हैं और उस से बहुत अच्छा काम हो सकता है ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुझे खेद है कि श्री नारायणन कुट्टिमेनन का संशोधन स्वीकार करना संभव नहीं है। मेरे विचार में इस संशोधन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि सरकार की ओर से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

में व्यापारीय एवं वामित्व सम्बन्धी सभी तत्व विलीन हो जायेंगे। मेरे विचार से बातचीत सफलता पूर्वक नहीं हो सकती और न उस से कोई ठोस एवं लाभदायक परिणाम ही निकल सकते हैं और विशेष रूप से उस समय जब कि हम करार की स्थिति में पहुंचने ही वाले हैं तो ऐसी हालत में उन सब बातों को सभा के समक्ष रखना मैं उपयुक्त नहीं समझता। वस्तुतः यह बात न तो सरकारी क्षेत्र में और न ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में अथवा न पूर्व में और न पश्चिम में ही, बातचीत करने वाले दलों को स्वीकार्य होगी। मान लीजिये कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक है और सरकार कमज़ोर है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में जो शर्तें रखी हैं उन के अनुसार कोई भी दल विचार नहीं करेगा। अगर करार संबंधी सभी विस्तृत बातों के लिये सरकार प्रत्येक बार लोक सभा की स्वीकृति ले तो बात चीत के द्वारा जो लाभ सरकार ले रही है वे भी समाप्त हो जायेंगे।

†**श्री नारयणन् कुट्टि मेनन**: मेरा संशोधन तो यह है कि बातचीत पूरी हो जाने तथा करार हो जाने के पश्चात सभा द्वारा अनुमोदित होने पर इसे लागू किया जाये।

†**श्री के० दे० मालवीय**: मैं मानता हूं कि यह जटिलता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब कि करार नहीं होते और अनुसमर्थन उन्हें सभा में लाया जाता है तो करार करने की दिशा में जो कुछ किया गया है वह बेकार हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में बात पूरी न होने तक कोई भी पक्ष अपनी बात प्रकट नहीं करना चाहेगा। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति हमारे उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगी।

अगर भूतकाल में किये गये करारों को देखें तो यह स्पष्ट होगा—कि अगर वे हमारे मनोनुकूल नहीं थे तो इसका कारण यह नहीं था कि उनको अंतिम रूप देने अथवा स्वीकृति करने से पूर्व उन करारों को अनुसमर्थित नहीं कराया जा सका था। संसद हमारे यहां है, यदि हम चाहते हैं कि किसी करार विशेष पर संसद का अनुसमर्थन मिले तो हम संसद में बहुमत के आधार पर वह अनुसमर्थन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं है। बात कुछ दूसरी ही है। तेल उद्योग तथा तत्कालीन तद विषयक उद्देश्य इस में अन्तभूत हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब कि बातचीत चल रही हो, उन्हें अभी अंतिम रूप न दिया गया हो तो इस आधार पर कि उन्हें अनुसमथर्न नहीं मिला है उन सब को विस्तृत रूप से इस दृष्टि से बताना कि उन पर समर्थन लेना है उपयुक्त नहीं होगा। यह बात हमारे लिये तथा दूसरे देश के लिये भी हानिकारक हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में भी कि जब हमें इस बात की पूर्ण आशा हो कि सभा का अनुसमथर्न मिल सकता है और हम सब बातें स्पष्ट कर दें। तो हो सकता है कि दूसरे दल हमें वे बातें न बतायें जो कि वे बताना चाहते हैं। जब सब बातें निश्चित हो जायें और स्वीकृति मिल जाये तथा करार हो जाये तभी दूसरा पक्ष यह समझेगा कि करार हो गया है। निसंदेह करार अथवा करारों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी और आवश्यकता पड़ने पर कुछ चर्चा भी हो सके।

श्री मेनन ने कहा है कि यदि करार की शर्तों को सभा द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया जाता अथवा उनकी जाच नहीं की जाती तो कहीं ऐसा न हो कि इन्डो-स्टेनविक जैसा करार हो जाये। इन्डो-स्टेनविक करार होने के पश्चात से काफ़ी परिवर्तन हुआ है नीति में भी संशोधन हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

आज कल परिस्थितियां सन १९५२ की अपेक्षा जब कि यह करार हुआ था बिल्कुल बदल गयी है। परिस्थितियों के बदलने का एक कारण तो सभा द्वारा १९५६ में औद्योगिक नीति संकल्प को स्वीकार करना है। दूसरे इस संकल्प के सभा में अनुसमर्थन करने के बाद परिस्थितियां बदल गई ह जैसे कि हमें प्राविधिक जानकारी अधिक हो गई है तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के परिणामस्वरूप हम में इनका सामना करने की सामर्थ्य ी आ गई है। इसलिये बातचीत के दौरान में तेल की खोज के लिये हम किसी से ीचे नहीं रहेंगे। सरकार के पास काफी मात्रा में अपने ाविधिक ह जो अपने कार्य में दक्ष हैं। बातचीत किस प्रकार करनी चाहिये यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों को विश्वस्त रहना चाहिये कि सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो राष्ट्र के प्रतिकूल हो।

दरअसल बात यह है कि हम कुछ क्रूड तेल की खोज करना चाहते हैं और यथाशीघ्र इसका उत्पादन करना चाहते हैं। १९६८ अथवा १९७० के सम्बन्ध में मैंने जो आंकड़े दिये थे उन से मेरा अभिप्राय यह था कि सम्भवतः राष्ट्र का उपभोग इतना होगा। यह कोई नहीं बता सकता कि तने रुपये व्यय करके इतने समय में इतना तेल निकाला जा सकता है। अभी हमें भूतत्वीय सर्वेक्षण तथा प्राविधिक प्राक्कलन इस के लिये करना है कि क्या हम देश के लिये काफी मात्रा में तल पा सकते हैं अथवा नहीं। यह तभी संभव है जब कि हिमालय की तराई में काश्मीर से लेकर आसाम तक काफ़ी मात्रा में तेल पाया जाये। अभी तक जो जांच हुई है उन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे तलछट के मुहानों में काफ़ी मात्रा में तेल निक्षेप पाया जा सकता है।

असली स्थिति तो यही है। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम प्रति वर्ष १०० से २०० करोड़ पये तक विदेशी विनिमय में व्यय करें। हमें इस बात का संतुलन करना है कि हम कम से कम व्यय विदेशी विनियमों के रूप में करें तथा अपने यहां क्रूड तेल उत्पन्न करने के लिये अधिक से अधिक व्यय करें ताकि हम आत्म निर्भर हो सकें। और स लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमारे सामने औद्योगिक नीति संकल्प है। जो हमारा प्रदर्शन करता है। इस संकल्प ने स्पष्ट कर दिया है कि इस्पात तथा तेल जैसे मुख्य उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिये। सरकार की शासकीय तथा नीति नियंत्रण रहने के कारण विरोधी सदस्यों को इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है कोई भी ऐसा कार्य होगा जो देश में अनुकूल न हो अथवा देश में अधिक उत्पादन करने में सहायक न हो। बल्कि हम अधिक तेल का उत्पादन कर सकते हैं जो न केवल हमा लिये ही लाभदायक होगा अपितु खोज करने वाले दलों के लि भी लाभकारी होगा अगर खोज करने वाले दलों को कुछ लाभ हो जाये तो सरकार इस बात में बुरा नहीं मानती।

इस बारे में सरकार उदार नीति रखना चाहती है जो दल तेल की खोज करते हैं अथवा कर सकते हैं तो उन के लाभ के बारे में सरकार उदार नीति से काम लेना चाहती है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई पक्ष जो खोज करता है वह तेल के उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक होने वाले लाभ का भागी होगा। श्री मेनन ने कहा है कि कोई भी पक्ष इस बात के लिये तैयार नहीं होता कि वह तेल की खोज करे, उसका उत्पादन करे और उसके वितरण के समय अलग हट जाये। इस बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने आसाम तेल कम्पनी से करार किया और कहा कि क्रूड तेल का मूल्य जो वे रखेंगे वह बातचीत के लिये हमें मान्य है और सरकार उसका समर्थन करेगी। इस प्रकार क्रूड तेल के कुल उत्पादन को हमने ले लिया था। इस प्रकार हम पूर्णतः सचेत हैं कि कोई भी पक्ष हमारा यहां आकर शोषण नहीं कर सकता।

[श्री क० दे० मालवीय]

कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि हर एक व्यक्ति ज्ञानशील हो गया है। इसलिये आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इस संबंध में उपयुक्त रवैया ही अपनायेंगे ।

मेरा ऐसा विचार है कि हमारी सरकार तथा तेल की खोज करने वाले समवायों के उद्देश्यों में कोई अन्तर नहीं है। चाहे दृष्टिकोण में भले ही अन्तर हो । कोई भी समवाय जो यहां आकर तेल की खोज करना चाहता है वह अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता है लेकिन यह हमारा कार्य है कि हम यह देखें कि वह कितना हो और अधिक न हो। यही वह मकसद है जो बात चीत के लिये छोड़ना पड़ता है । अगर यह बात न छोड़े तो पता नहीं कि इस कार्य को करने के लिये फिर दूसरा विकल्प क्या निकले ।

इसलिये माननीय सदस्य जो तेल, तथा तेल संबंधी अन्य सभी बातों को अच्छी तरह जानते हैं; अवश्य ही इस वर्तमान परिस्थितियों को प्रशंसा करेंगे और इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तत्वाधान में तेल का विकास करते समय हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमने अपने प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही अधिक से अधिक तेल का उत्पादन करें। दूसरी ओर कम से कम मात्रा में वह तेल उपजाया जाये जिस में कि बाहरी लोगों की सहायता की आवश्यकता हो । लेकिन जो लोग अपना धन अथवा विधिक जानकारी लेकर आते हैं उनको भी काम करने के लिये उपयुक्त अवसर मिले। अनुकूल परिस्थिति वही परिस्थिति होती है जिस में दो दल मिल कर किसी एक ढांचे के बारे में सहमत हो जायें। और वह तभी संभव हो सकता है जब कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें।

आपने देखा होगा कि यह मामला आसान नहीं है। अतः हमें उन लोगों को भी अवसर देना होगा जो यहां आकर कार्य करते हैं।

यह कहा गया है कि खोज करने के लिये जो विदेशी सहायता मिलती है उसका हमें आदर करना चाहिये । मैं इसे स्वीकार करता । साथ ही मैं सभा को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि तेल का सम्पूर्ण व्यापार अपने हाथ में लेने का अभिप्राय यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपने कार्य में महत्वपूर्ण भाग लें। हम बाहरी लोगों की सहायता पर निर्भर रहते हैं। हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिये तथा आत्म-निर्भर बनने का प्रयत्न करना चाहिये । यही मूलभूत सिद्धान्त है और इसका अनुसरण हम इस प्रकार करना चाहते हैं कि हम रूस अथवा रूमानिया से जितनी भी सहायता मिलेगी वह लेंगे ।

विदेशी सहायता के बारे में कहा गया है कि वह संतोषजनक नहीं है । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो सहायता हमें मिल रही है वह हमारे लिये वांछनीय तथा लाभदायक है ।

अब परिस्थिति में सुधार हुआ है और सुधार हो रहा है। हमें दूसरों से सहायता मिलने के आश्वासन भी प्राप्त हो रहे हैं। और हमें इनका स्वागत करना चाहिये । इसके लिये हमें सोवियत रूस तथा रूमानिया सरकारों का आधार आभार प्रकट करना चाहिये ।

अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस ले लेंगे। और सरकार को इतना अवसर देंगे कि वह अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकें। तथा उस नीति का अनुसरण कर सके जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** क्या माननीय सदस्य इसे मतदान के लिये रखना चाहते हैं।

†**श्री नारयणन् कुट्टि मेनन :** जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** तो इस पर २.४५ बजे तक मतदान होगा ।

अब हम अगला विषय लेंगे ।

उड़ीसा खनन निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उड़ीसा खनन निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५७ और १९५७–५८ के प्रथम तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः १६ फरवरी और १६ नवम्बर, १९५६ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

प्रथम प्रतिवेदन में निगम के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। भारत सरकार की उद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में यह निगम बनाया गया है ।

इस आयोग ने लोहे की खनिज का काम बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किये हैं।

गत तीन वर्षों में निगम का काम अच्छा संतोषजनक नहीं रहा है । निगम ने लोहे, क्रोमियम और मेंगनीज की नई खानों को प्राप्त करने (ठेका लेने) के लिए आवेदन पत्र दिये थे, पर सरकार ने निगम को ठेके नहीं दिये बल्कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को ठेके दिये ।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है अपना उत्पादन हटाने के लिए निगम को काफी रेल डिब्बे भी नहीं दिये गये, जिसका बुरा असर पड़ा है ।

कई और पट्टे भी अन्य गैर-सरकारी समवायों को दिये गये और निगम को नहीं दिये गये । उदाहरण के लिए सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी व नन्दराम एण्ड हन्तराम को पट्टे दिये हैं पर निगम को नहीं । इसी प्रकार स्वतंत्र क्षेत्र में से १२४५ एकड़ का पट्टा भी एक गैर-सरकारी संस्था को दिया गया । निगम के कर्मचारियों के सामने कठिनाइयां हैं । प्रश्न यह है कि जब सरकार स्वयं इस सम्बन्ध में मदद नहीं कर रही है और निगम की अवहेलना की जाती है, तो निगम का लाभ ही क्या है ?

मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिए कि वह निगम को पूर्ण महत्व दे और उसे उपेक्षा की दृष्टि से न देखे ।

मेरा निवेदन है कि वित्तीय दृष्टि से भी निगम को पूरी सहायता दी जाये । राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध इस निगम से है । प्रदीप पत्तन के विकास का सम्बन्ध इस निगम द्वारा कोयले के निर्यात के साथ रखा गया था । पर खेद है कि इस पत्तन से अधिकांश निर्यात गैर-सरकारी संस्था ने किया निगम ने नहीं। १८,००० टन लोहे में से निगम ने केवल ३००० या ४००० टन का निर्यात किया । क्या यही हमारी नीति है । इस प्रकार की कठिनाई का पता शायद मंत्री महोदय को न हो ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

निगम के पास जिन क्षेत्रों का पट्टा है वहां रेलवे सुविधायें नहीं हैं। लोहा निकालने का खर्च ५ रु० टन पड़ता है और रेल तक पहुंचाते समय तक खर्च १७ रु० प्रति टन पड़ता है। जब कि अन्य गैर-सरकारी संस्थायें इससे कहीं अधिक सस्ता कोयला बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में निगम लाभदायक स्थिति में कैसे चल सकता है।

अभी तक उड़ीसा खनन निगम ४७,४५० टन लोहे की खनिज निकाल सका है। जब कि गैर-सरकारी संस्थायें १०,००० या १५,००० टन खनिज प्रति दिन निकालती हैं। अतः यदि सरकार धन तथा अन्य उपायों से इस निगम की मदद नहीं करेगी, तो निगम कभी भी अच्छी तरह काम नहीं कर पायेगा।

यदि इस आयोग को ठीक तरह से मदद की जाये और इसे अच्छे स्थानों के पट्टे दिये जायें, तो यह अच्छी आय कर सकता है। इसके पास धन की कमी है और अच्छे क्षेत्र भी इसके पास नहीं हैं। आशा है कि सरकार निगम की जरूरतों का ध्यान रख कर उसकी पूरी सहायता करेगी।

उड़ीसा सरकार इस निगम तथा राज्य व्यापार निगम के बीच बिचोलिये का काम करती है। वह निगम से लोहा खरीद कर राज्य व्यापार निगम के हाथ बेचती है और अपना कमीशन लेती है। मैं इस णाली को अच्छा नहीं समझता। निगम को चाहिए कि वह सीधे राज्य व्यापार निगम के हाथ खनिज बेचे इससे निगम को लाभ भी अधिक होगा।

अन्त में, मेरा निवेदन है कि निगम ने १३ स्थानों के पट्टे के लिए आवेदन पत्र दिये हैं। इन स्थानों के पट्टे निगम को अवश्य दिये जायें किसी गैर-सरकारी संस्था को नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री डी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस प्रतिवेदन को देखने से पता लगता है कि बड़े बड़े आई० ए० एस० व आई० सी० एस० इस बोर्ड में हैं। मेरा निवेदन है कि बोर्ड में इन पदाधिकारियों के अलावा टेकनिकल व व्यवसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति भी होने चाहिए। यदि ऐसा किया गया, तो निगम की टेकनिकल कठिनाइयां भी कम हो जायेंगी और निगम को तरक्की करने का अच्छा मौका मिलेगा।

इस निगम के मालिक दो हैं—एक राज्य सरकार व दूसरा केन्द्रीय सरकार। मैं समझता हूं कि यदि यह निगम सीधे केन्द्र के अधीन आ जाये, तो इसकी अधिक उन्नति हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इसे अपने अधीन ले ले।

इस निगम के सामने कई कठिनाइयां हैं। उसे पट्टे नहीं मिलते और वही पट्टे उसे मिल पाते हैं, जो गैर-सरकारी संस्थायें नहीं लेतीं। इस प्रकार निगम को वह विशेष सुविधायें नहीं मिल पातीं, जो उसे मिलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त निगम के साथ रेलवे का भी सहयोग नहीं है जिससे उसे काफी डिब्बे माल ढोने के लिये नहीं मिल पाते। यही कारण है कि निगम कठिनाई में है और वह सामान ढोने के लिए गैर-सरकारी ट्रकों आदि का प्रयोग करता है। इससे खर्च भी अधिक होता है।

†मूल अंग्रेजी में

खनिजों की दृष्टि से उड़ीसा बहुत धनी है। अगर पूरे खनिज साधन का ठीक उपयोग किया जाये, तो देश को बड़ी मदद मिल सकती है व राज्य को भी बहुत लाभ हो सकता है। रोजगार बढ़ाने की भी बड़ी संभावना है इस निगम के साथ। अतः निगम के साथ न्यायपूर्ण बर्ताव किया जाना चाहिए।

लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध में भी अनेक शिकायतें हैं, जिनकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान मैं आकृष्ट करवाना चाहता हूं।

अन्त में, मेरा कहना है कि निगम का काम असंतोषजनक नहीं रहा है। पर निगम के काम की पद्धति को तथा उसके स्वरूप को और अधिक सुधारने की जरूरत है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमों के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय:** : अब हम श्री नारायणन् कुट्टि मेनन तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमों के संशोधन को लेंगे।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा सिफारिश करती है कि २५ नवम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, १९५९ के नियम ८ में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये, अर्थात :—
>
> "परन्तु इस शर्त पर कि केन्द्रीय सरकार ऐसा करार तभी सम्पन्न करेगी, जब ऐसे करार की शर्तों का संसद की दोनों सभाओं द्वारा अनुमोदन हो जायेगा।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में २९, विपक्ष में १६९। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उड़ीसा खनन निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उड़ीसा खनन निगम के कार्य के बारे में चर्चा करने का अवसर प्रस्तुत किया गया है। इससे हमें यह बताने का भी अवसर मिलेगा कि खनन विकास योजनाओं तथा इससे सम्बन्धित उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की मूल नीति क्या है। मूल बातों के सम्बन्ध में सब एक मत हैं कि अयस्कों के निकालने और यथासंभव उन्हें तैयार करने का कार्य सरकारी क्षेत्रों में ही होना चाहिए। साथ ही मैं यह भी आश्वासन दूंगा कि सरकार की पूणतः परिवर्तित नीति के अनुसार इस कार्य को सरकारी क्षेत्र में हस्तान्तरण करते समय इस क्षेत्र में लगे हुए गैर सरकारी व्यक्तियों तथा उपक्रमों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। इस प्रकार के एकीकृत दृष्टिकोण ने खनन उद्योगों में भी मिश्रित अर्थ व्यवस्था की सी स्थिति पैदा कर दी है यहां तक कि ऐसे उद्योगों में भी जो पूर्ण रूप में सरकारी क्षेत्र में ही विकसित किये जाने हैं। हमारे विकास कार्यक्रमों की प्रगति के लिए निरन्तरता बनाये रखना बड़ा आवश्यक है। यह भी देखना है कि विकास योजनाओं को आगे ले जाने और आर्थिक प्रगति के माग में किसी भी प्रकार की रुकावट न आये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस निगम के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री पाणिग्रही ने ीक ही कहा है कि तीन वर्ष हुए उड़ीसा और केन्द्रीय सरकारों ने मिलकर इसे आरम्भ किया था। उद्देश्य यह था कि लोह अयस्क तथा अन्य खनिज पदार्थों को निकाल कर एकत्रित करके उन्हें बाहर भेजा जाये। इसके अतिरिक्त यह भी था कि प्रदीप पत्तन तक उपरोक्त पदार्थों के लाने ले जाने के सम्बन्ध में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाये। इसकी अधिकृत अंश पूंजी ५० लाख रुपया है और अंशदायी पूंजी १० लाख है। जिसमें ५ लाख उड़ीसा सरकार ने दिया है और ५ लाख केन्द्रीय सरकार का है। जो बातें श्री पाणि ही ने कही हैं मैं उनमें से कुछ के सम्बन्ध में बताने का यत्न करूंगा, परन्तु सारी आलोचना का सार यही है कि दोनों सरकारें समुचित ध्यान नहीं दे रहीं और न ही वे निगम के काय को उचित महत्व ही दे रही हैं।

एक पृष्ठभूमि के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार अपनी इस नीति पर दृढ़ता से कायम है, अतः जहां भी कोई आगे बढ़ने के अवसर आते हैं हम उनका लाभ उठाने का यत्न करते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अन्तर्गत अन्य परियोजनायें भी हैं जिनमें हम बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह भी हो सकता है कि सीमित लक्ष्य और सीमित साधन होने के कारण यह निगम अपेक्षित तथा संतोषजनक प्रगति नहीं कर सका। परन्तु इस सम्बन्ध में, हमारे सदुद्देश्य में कोई कमी नहीं है। जब से निगम बना है तब से हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा खनन निगम के खनन परियोजना के अधीन खनन कार्य को आगे बढ़ाया जाये। मेरा विश्वास है कि इस मामले में जो जो कठिनाइयां हैं उनकी ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान अवश्य गया होगा।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मित्रों का ध्यान वर्तमान नियमों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गैर सरकारी क्षेत्रों में खनन कार्य के लिये काफी रुचि दिखाई है और यह इच्छा प्रकट की है कि उन्हें लाइसेंस देने और खनन पट्टा देने में प्राथमिकता दी जाये। लेकिन हमारा सिद्धान्त यह है कि पहले आने वालों को प्राथमिकता दी जाये। और सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में लाईसंस देने अथवा पट्टा देने के लिये हमने इसी सिद्धान्त का पालन किया है। इस दौड़ में उड़ीसा खनन निगम पीछे रह गया इसका कारण यह था कि कुछ और लोग इससे पहले आ गये थे। हमारे दो पहलू हैं। एक तो यह कि हम खनन कार्य कर रहे हैं और दूसरे इस सभा द्वारा बनायी गई वि यों तथा नियमों को क्रियान्वित करने में स्वतन्त्र निर्णायक हैं अतः, ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि कहीं इन विधियों अथवा नियमों का दुरुपयोग न हो जाये। कई मामलों में हम चाहते हुये भी दूसरों को लाइसेंस आदि न दे सके। माननीय मित्र ने कई मामले बताये हैं। एक में कहा कि निगम के स्थान पर हमने एक सिराजुद्दीन को लाइसैन्स दे दिया। शायद वह मामला करोम अयस्क का था और इस सम्बन्ध में सम्पूर्णतः सरकारी नीति सभी दिशाओं में यह रही है कि लाइसेंस उस पार्टी को दिये जायें जो अयस्क निकाल कर उसे साफ करने का भी काम करे। और सयत्र की कुशलता तथा आर्थिक दृष्टि से बचत को भी बनाये रखे। इसी दृष्टि से ही हमने कई स्थानों पर लाइसेंस गैर सरकारी पार्टियों को दिये हैं हालांकि औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था। पिछले चार पांच वर्षों में हमारा यही विचार रहा है कि यदि कोई पार्टी इस कार्य तथा विकास योजनाओं के लिये काफी बड़ी राशि विनियोग करने को तैयार है तो कोई कारण नहीं कि हम उनको सुविधायें देने से इन्कार करें। लेकिन बहुत कम मामलों में ही ऐसा हुआ है। कच्चा माल तैयार करने तथा उससे माल बनाने के लिये यह सिद्धान्त सामने रखा है कि आर्थिक व्यवस्था का ढांचा एक ही प्रकार की व्यवस्था पर आधारित हो। खनिजों

को निकालना और फिर उनको साफ करना इस मामले में इसी नीति का पालन किया जाता है। यह रही बात फैरों कोरम संयंत्र की, और मेरे मित्र को यह भी पता होगा कि हमने यह सुविधायें 'टाटा' को भी दी है। अतः छोटे उपक्रमों को हम इन सुविधाओं से इन्कार नहीं कर सकते। एक बार सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर हम पार्टी के छोटे और बड़े होने का प्रश्न पैदा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे मामले भी अधिक नहीं हैं परन्तु व्यापक तौर पर हमारी नीति यही है कि खनन कार्य को सरकारी क्षेत्र में सीमित करने का ही अन्तिम लक्ष्य रखा जाये।

विरोधी पक्ष के मेरे एक माननीय मित्र ने कटक क्षेत्र के एक मामले का उल्लेख किया है। उसमें भी उड़ीसा खनन निगम की अपेक्षा गैर सरकारी पार्टी को प्राथमिकता मिली है। उसमें तथ्य की बात यह है कि सरकार ने उस पार्टी को पहले से ही आश्वासन दे दिया था। यह आश्वासन राज्य के विलय होने से पूर्व की सरकार द्वारा दिया गया था। सुस्थ प्रथाओं तथा स्वीकृत सिद्धान्त के अनुसार हमने उस आश्वासन का पालन किया। इसी प्रकार के कुछ मामले मद्रास में भी थे जिसमें पहले की सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों की हमने पूर्ति की। परिणामस्वरूप वह पार्टी मामला न्यायालय तक ले गई इसी प्रकार उड़ीसा सरकार ने भी उपरोक्त पार्टी की सिफारिश पहले दिये गये आश्वासनों के आधार पर कर दी। अतः इन सब हालात को देखते हुये मेरे माननीय मित्र श्री पाणिग्रही का यह कहना ठीक नहीं कि हम खनन उद्योग में सरकारी क्षेत्र के मुकाबले में गैर सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह सब ठीक होते हुये भी सत्य यह है कि उड़ीसा खनन निगम का कार्य सुचारू रूप से प्रगति नहीं कर रहा है। शायद इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इसमें दो सरकारों का हाथ है। पूंजी भी अवरुद्ध है और इसके कर्मचारी भी बहुत अधिक अनुभवी नहीं हैं। खनन इंजीनियरों के अभाव में वैसे भी उसकी परियोजनाओं के खनन कार्यक्रमों में देरी हो जाती है। सरकारी क्षेत्रों में इस काम को प्रोत्साहन देने का अधिकार भारतीय खनन ब्यूरो को है। उनको इस कार्य के लिये फीस दी जाती है। उनके पास काम भी बहुत अधिक है और सम्भालना कठिन हो रहा है। अतः इन परियोजनाओं में कुछ देर हो ही जाती है।

किरीबुरू में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, वहां हमने काफी मात्रा में खनिजों के उत्पादन का लक्ष्य अपने सामने रखा है। २० लाख ३० लाख टन उत्पादन करने का विचार है। और इन सब का जापान को निर्यात कर दिया जायेगा जिससे हमें काफी विदेशी विनिमय प्राप्त होने की आशा है। इसके लिये भारत सरकार और जापान सरकार ने परस्पर समझौता भी कर लिया है। और उसका काम काफी तेजी से हो रहा है। फिर क्यों न उड़ीसा खनन निगम भी काफी तेजी से काम करे। उसके मार्ग की प्रारम्भिक कठिनाइयां अब दूर हो गई हैं। केन्द्रीय सरकार और बिहा सरकार की इस बारे में परस्पर बातचीत हो रही है। आशा है इसके परिणामस्वरूप उत्पादन कार्यक्रम तीव्र हो जायेगी ।

श्री पाणिग्रही ने निर्यात के कार्य को उड़ीसा सरकार द्वारा ही किये जाने की बात भी की है। उड़ीसा सरकार का प्रदीप पत्तन को विकसित करने में अपना हित भी है इसी कारण वह वहां तक से जल साधनों को भी विकसित करने का पूरा प्रयत्न कर रही है। जल साधनों को भी कुछ काम मिलना चाहिये ताकि उनके खर्च की समुचित व्यवस्था हो सके। इसीलिये तो उड़ीसा सरकार चाहती है कि इन जल मार्गों द्वारा अधिक व्यापार हो। सम्भवतः इसी कारण उड़ीसा खनन निगम ने अयस्क का परिवहन भी प्रदीप पत्तन मार्ग से किया है। प्रदीप पर निर्यात व्यापार के लिये किसी भी गैर सरकारी सार्थ को प्राथमिकता नहीं दी गई। इस मामले में उड़ीसा खनन निगम के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। यह सत्य है कि महाराजपुर तथा तुंगा सोली क्षेत्रों में जो निगम के पास हैं अधिक अयस्क नहीं है। मेरी इच्छा थी और हम इस बात पर विचार

[श्री के० द० मालवीय]

भी कर रहे हैं कि निगम को अच्छे निक्षेपों वाले क्षेत्र मिलें। निगम ने २२, २८ स्थानों के पट्टे के लिये आवेदन किया था। जिसमें से १२ उनको उपलब्ध हो गये हैं। काम बढ़ रहा है और खर्च कोई बहुत अधिक नहीं।

निगम को अब तक १२ रियायतें ी जा चुकी हैं। कुछ आवेदन पत्र अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। उनमें से कुछ केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। कुछ को आवेदन पत्र की प्राथमिकता तथा एक ही स्थान को कई बार मांगने के आधार पर रद्द भी कर दिया गया है। कहने का मतलब यह कि जहां भी कोई और अड़चन नहीं थी तथा स्थान मिलने से कोई कठिनाई नहीं थी वहां राज्य सरकार ने निगम की बात मान ली है। आरम्भ में हमारी चाहे कुछ भी मन्द गति रही हो। परन्तु अब निगम की गतिविधियों को यथासंभव तीव्र किया जाना चाहिए। सके लिये केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार की प्रत्येक प्रस्थापना पर विचार करने को तत्पर है। कुछ समय हुआ हमारी इस पर चर्चा हुई है और हम निगम के हितों को बढ़ाने के लिये तैयार हैं। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमारी सरकार ही तो इसमें सारी पूंजी नहीं लगा सकती। निगम को अपने अन्य साधन भी तलाश करने चाहिए। अच्छे प्रविधिज्ञों की सेना तैयार कर काम को आगे बढ़ाना चाहिये। और इस विकास कार्य में पूरी चि लेनी चाहिए हम सका पूरी तरह स्वागत करेंगे। निगम को आगे बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार की पूरी तरह सहायता हमारे मंत्रालय द्वारा की जायेगी। और यह भी सबको समझ लेना चाहिए कि हमारी नीति इस दिशा में वही होगी जो कि औद्योगिक नीति संकल्प में निहित है। उड़ीसा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार उस प्रस्ताव की परिधि से बाहर नहीं जा सकती। उस नीति के साथ दोनों सरकारें पूरी तरह बन्धी हुई हैं उससे परे हम नहीं जा सकते।

इस दिशा में, यदि उड़ीसा सरकार ने विस्तार के कार्यक्रम में कोई प्रस्थापना प्रस्तुत की है तो धन से उनकी भी पूरी सहायता की जायेगी ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे कि निगम का काम बढ़े। मैं श्री दी० चं० शर्मा की इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि दोनों सरकारों के स्थान पर केवल एक ही सरकार इसको चलाती तो इसकी प्रगति पर अधिक ध्यान दिया जाता। परन्तु यदि उड़ीसा सरकार ही उसमें अपना अधिक अंश रखे तो भी हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं और इसके लिये हम और प्रकार की शर्तें रखते। ताकि वह उड़ीसा सरकार के हित में अच्छा का कर सके। इसके अतिरिक्त कि उड़ीसा सरकार तथा हम दोनों ही अपनी नीति का पालन कर रहे हैं। मुझे इस मामले में कुछ और नहीं कहना। । लेकिन यदि कुछ कमियां होंगी तो निश्चय ही उनकी जांच की जायेगी। हम यह भी मालूम करेंगे कुछ कार्य क्यों नहीं हुए हैं। हमने इनकी जांच की है और इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ऐसा करने में हम ठीक थे। भविष्य में भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे मामलों का निर्णय करने में हमारा पथ प्रदर्शन हमारी नीति तथा पहले किये गये आश्वासन ही रहेंगे। मैं इस बात पर जोर ूंगा कि उड़ीसा खनन निगम के निदेशक बोर्ड में ोनों सरकारों के समान प्रतिनिधि हों एवं उसमें कुछ प्रविधिज्ञों को भी लेना चाहिए। सरकार को सिद्धान्ततः इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उनका परामर्श योजनाबद्ध एवं प्राविधिक होगा। मुझे आशा है कि जो कुछ मैंने कहा है उससे मेरे माननीय मित्र श्री पाणिग्रही सन्तुष्ट हो जायेंगे। वह अनुभव करेंगे कि यह लक्ष्य दोनों सरकारों का तथा सदन का है कि वह इस बात को देखें कि पूर्व निर्धारित नीति का पूरा पूरा अनुसरण हो रहा है।

†**श्री पाणिग्रही** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस कार्य की ओर आगे से अधिक ध्यान देने का आश्वासन दिया है। मुझे आशा है कि उड़ीसा सरकार उनके इस दिशा में पैदा हुए उत्साह को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगी। मंत्री महोदय ने गैर-सरकारी सार्थ के साथ जिस करार का उल्लेख किया है वह १००० एकड़ के लिए था परन्तु इस सार्थ ने लगभग १२८३ एकड़ भूमि को दबाया हुआ है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ ?

मुझे माननीय मंत्री महोदय से यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई पट्टेदार भूमि लेकर खनन संयंत्र नहीं लगायेगा तो उसका पट्टा तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। उड़ीसा सरकार ने निगम के कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह तो इस मामले में गैर-सरकारी हितों को प्रोत्साहन देने की नीति पर अमल करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार को निगम का सारा काम अपने ही हाथ में ले लेने की व्यवस्था करनी चाहिए और इसकी गति विधियों का विस्तार करना चाहिये। माननीय मंत्री ने इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला कि प्रदीप पत्तन तक माल ले जाने के लिए निगम को क्या सुविधायें प्रदान की गयी ह। अतः इस बात की ओर उन्हें ध्यान देना चाहिये और समुचित अवसर पर सदन को यह बताना चाहिए कि स दिशा में क्या पग उठाया जा रहा है। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार यह देखे कि निगम का काम आगे बढ़े और जो पट्टे इसको मिलने वाले हैं वे किसी और को न मिल कर इसी को मिलें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा उड़ीसा खनन निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५७ और १९५७-५८ के प्रथम तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः १६ फरवरी और १९ नवम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

------

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला विषय हमें चार बजे लेना है।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : हम उसे शुरू कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक प्रधान मंत्री उपस्थित नहीं हैं, हम चर्चा शुरू नहीं कर सकते। सभा १५ मिनट के लिए स्थगित हो जायेगी।

[इसके पश्चात लोक-सभा चार बजे तक के लिए स्थगित हुई]

[लोक-सभा चार बजे पुनः समवेत हुई]

[अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए]

भारत-चीन संबंधों के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आचार्य कृपालानी प्रधान मंत्री के २६ नवम्बर, १९५९ के पत्र के उत्तर में श्री चाऊ-एन-लाई से प्राप्त पत्र के बारे में चर्चा उठायेंगे और सभा उस पर वाद-विवाद करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : प्रधान मंत्री शायद यह समझते हैं कि हम लोग उनकी नीति की निन्दा कर रहे हैं। पर ऐसी बात नहीं है। हम उनकी नीति के विरोधी नहीं हैं। मेरा कहना है कि व्यर्थ के प व्यवहार तथा युद्ध के बीच बहुत अन्तर है। अनेक अन्य उपाय अपनाये जा सकते हैं।

पिछले पांच वर्षों से हम पर आक्रमण होता आ रहा है। हम पत्र व्यवहार व बातचीत करते आ रहे हैं। पर क्या परिणाम रहा ? चीन उन सभी अंशों को मांग रहा है, जो उसने अपने नकशे में दिखाये हैं। चीन को हम समय दे रहे हैं कि वह अपनी स्थिति मजबूत करे और धीरे-धीरे हमारी शक्ति कमजोर होती जा रही है।

हम पर लगातार आक्रमण होते रहे हैं और हम अपनी सीमा के नकशे भी नहीं बना पाये हैं। स्थिति यह है कि जो लोग हमारा मदद करना चाहते हैं, उन्हें भी ठीक स्थिति का पता नहीं है। हम देखते हैं कि चीन के साथ आर्थिक कार्यवाही करने के बजाय हम जूट का निर्यात चीन को बढ़ा रहे हैं।

यदि हम कोई उचित कार्यवाही नहीं करेंगे, तो जनता यही समझती है कि हमारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है और हम शत्रु को पीछे नहीं हटा सकते।

मेरा कहना है कि हम बातचीत में समय बरबाद कर रहे हैं और उधर शत्रु अपनी शक्ति मजबूत कर रहा है। मैं मानता हूं कि बातचीत के रास्ते का विकल्प युद्ध नहीं है पर चीन ने हमारी ३३,००० किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है और आगे उसकी मांग भी है।

हम कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ चीन के प्रधान मंत्री ने यही लिया है कि चूंकि वर्षों तक हम सब कुछ चुपचाप देखते रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा उस क्षेत्र पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। यह है चुप बैठने का मतलब।

मैं समझता हूं कि चीन के आक्रमण को रोकना सभी की दृष्टि से युद्ध नहीं होगा। क्या आश्चर्य की बात है कि हम चीन के आक्रमण को केवल दुर्घटना नाम दे रहे हैं। चीन के आक्रमण को रोकने से कोई विश्व युद्ध नहीं पैदा होगा। कोरिया, हिन्दचीन, व स्वेज के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संसार स्वयं युद्ध का हामी नहीं है।

प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। पर ऐतिहासिक घटनायें हमें यही सिखाती हैं कि युद्ध में ही तैयारी होती है उससे पहले नहीं। गत महायुद्ध में अमरीका या ब्रिटेन ने क्या पहले से तैयारी की थी ?

यदि हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा देश भय से त्रस्त हो जायेगा और भय से आकुल हो कर कायरता दिखाने से अच्छा है, युद्ध का आह्वान करना (आक्रमण को बलपूर्वक रोकना)।

मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि हमारी जनता हमारे नेतृत्व में विश्वास खो देगी, तो फिर हम कभी भी खड़े नहीं हो सकेंगे। आज भी प्रधान मंत्री जनता को जागृत कर सकते हैं पर शब्दों से नहीं। जनता प्रधान मंत्री के साथ है वह समय का ठीक उपयोग करें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैं प्रधान मंत्री की नीति का समर्थन करता हूं। शान्तिपूर्ण समझौते की नीति सर्वोत्तम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री ने कल आचार्य कृपालानी की बात का उत्तर दिया था कि हम बातचीत अन्तिम समय तक करते रहेंगे ठीक भी यही है कि हम अन्त तक शान्तिपूर्ण ढंग से समस्या का हल करने का प्रयत्न करें। मैं नहीं चाहता कि लोग यह समझें कि प्रधान मंत्री की नीति का समर्थन इस संसद के प्रतिनिधि नहीं करते ।

चीन के हमारे उलझे हुए झगड़े हैं । पर हमें विवेक से काम लेना चाहिए । कल प्रधान मंत्री ने कहा था कि यद्यपि वह चीन के प्रधान मंत्री की अनेक बातों से सहमत नहीं हैं पर अन्त तक बातचीत करने के लिए वह तैयार हैं । उन्होंने कहा था कि चीन का इस बात से वह सहमत हैं कि हमें अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में दत्तचित्त होकर लगना है ।

आज संसार में एक महान परिवर्तन होने की संभावना है । विश्वशान्ति के लिए भारत ने जो प्रशंसनीय प्रयास किया है और आज भारत को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जो शान्ति के मार्ग में बाधक हो । अतः हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

अतः मैं प्रधान मंत्री की नीति का समर्थन करता हूं और उनकी शान्तिपूर्ण नीति को ठीक समझता हूं । मैं पंचशील की नीति के आधार पर भारत को सबल बनाने के लिए हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हूं ।

हमारी पंचशील व गुटबन्दी में न पड़ने की नीति है और हमें उस मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : चीन के प्रधान मंत्री के पत्र में एक धमकी सी है कि उसने जो भाग कब्जे में कर लिया है, वह उसका है और चीन उसे छोड़ने को तैयार नहीं है । ठीक है, ऐसी स्थिति हमारे सामने है । अतः बहुत समझ बूझकर कदम उठाने की आवश्यकता है । हमारी जो नीति रही है उसे सम्पूर्ण एशिया जानता है । आज चीन हमारी नीति को चुनौती दे रहा है ।

युद्ध की बात करना तो आसान है, जैसा कि आचार्य कृपालानी ने कहा । पर महाभारत के शान्तिपर्व में युद्ध की आशंका के सम्बन्ध में यह कहा गया है :

"अलम् शयेन तथा युद्धाय "

हम शान्ति के लिए तैयार हैं पर यदि सिर पर आ पड़ी, तो युद्ध भी करने को तैयार हैं । युद्ध के अतिरिक्त अन्य उपाय भी हो सकते हैं और हम उन्हीं उपायों का सहारा ले रहे हैं ।

चीन ने हमारे सैनिक बन्दियों के साथ जो व्यवहार किया है, वह बहुत निन्दनीय है । चीन और भारत के बीच इस प्रकार एक बड़ी खाई तैयार हो रही है । चीन को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम चीनी विस्तारवाद के शिकार बनने को तैयार नहीं हैं ।

युद्ध की बात करने से देश को कोई लाभ नहीं होगा । पर हमें बुरी से बुरी स्थिति के लिये तैयार हो जाना चाहियें । "युद्धस्य वार्ता रम्या" वाली बात छोड़ देनी चाहिये ।

चीन साम्यवादी विश्व का एक अंग है । यदि वह कोई अनर्थकारी काम करेगा, तो उस पर साम्यवादी विश्व रोक लगायेगा, उसे अनुशासन में रखेगा । यद्यपि हम शान्तिपूर्ण ढंग से मामले को तय करना चाहते हैं पर हम श्री चाऊ-एन-लाई के पत्र के आधार पर बातचीत करने को तैयार नहीं हैं, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री कल बता चुके हैं । हम देख रहे हैं कि आज चीन एक अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है, जो किसी भी रूप में ठीक नहीं कहा जा सकता । बातचीत का चीन पर

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री खाडिलकर]

कोई असर नहीं पड़ेगा यह हम उसके पूर्व इतिहास को देख कर भी जानते हैं । अतः हमें चीन के साथ सभी प्रकार का सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये ।

भारत ने एशिया के देशों को एक मार्ग बताया है । इन्डोनेशिया के लोग चीन से त्रस्त हैं, वर्मा के लोग भी भयभीत हैं ; यदि भारत ऐसे मौके पर कमजोरी दिखायेगा, तो सारे एशिया को बड़ी हानि होगी और चीन की विस्तारवादी चाल सफल हो जायेगी । अतः यह बड़े संकट का समय है और हमें भी लोगों का हौसला बढ़ाना है । हमें अपनी ओर से युद्ध की बात नहीं करनी है पर उसके लिये तैयार रहना है और इसी बात का ध्यान में रखते हुये हमें आगे भी बातचीत करते रहना चाहिये ।

†श्री कर्णीसिंह जी (बीकानेर) : श्री चाउ एन-लाई के पत्र ने हमें बहुत निराश कर दिया है । हमारे प्रधान मंत्री ने रंगून में मिलने की बात ठुकरा कर ठीक ही किया है । हमारा मार्ग ठीक है । राजनैतिक दृष्टिकोण तो दूरगामी है पर हम तब तक कोई बात नहीं करेंगे, जब तक कि चीन उन स्थानों पर से अपना कब्जा नहीं हटा लेता जिन पर उसने अनाधिकार कब्जा कर रखा है । यह हमारा वैध कदम है ।

युद्ध आज की स्थिति में कोई भी नहीं चाहता । हम युद्ध की भीषणता जानते हैं और हम जब चीन को पीछे हटाने की मांग करते हैं, तो उसका मतलब भी समझते हैं ।

आज हमारे सामने चीन का विस्तारवाद है । चीन ने हमारी सीमा में प्रवेश कर दिया है और किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं है ।

सवाल यह है कि समस्या को हल कैसे किया जाये । चीन के रवैये को देख कर ऐसा लगता है कि समझौते व बातचीत की कोई आशा नहीं है ।

हमारा रास्ता युद्ध का ही है । पर हम युद्ध में विश्वास नहीं करते । मौका आने पर तो हम देश की रक्षा अवश्य करेंगे । अतः हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम पहले अपना राज्य क्षेत्र खाली करा लें उसके बाद ही कोई बात चीत करना संभव होगा ।

चीन कवल शक्ति का भय मानता है । अतः मेरा निवेदन है कि भारत अपना कदम मजबूत बनाये और इस मामले में हम सब प्रधान मंत्री के साथ हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : चाऊ एन-लाई का जो अभी हाल में पत्र आया है उससे भी यह ज्ञात होता है कि चीनी हर तरह से इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं । उन्होंने तिब्बत के आकुपेशन के बाद इतनी सफाई से काम किया कि उन्होंने तिब्बत की सारी सरहद पर ही कब्जा नहीं किया बल्कि भारत की भूमि में प्रवेश करके भी उन्होंने सड़कें बनायीं और उन्होंने उस सड़क की चर्चा इस पत्र में की है । इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने कभी भी इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं किया कि वह आपकी भूमि में कहां और किस चीज का निर्माण कर रहे हैं । इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमने पहाड़ों को तोड़ा और बड़े बड़े पुलों तथा कलवर्ट्स का निर्माण किया लेकिन तो भी कोई आवाज नहीं उठाई गई ।

यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि सारा इनीशिएटिव हर वक्त चीनियों ने अपने हाथ में रखा, चाहे वह सरहद पर अपनी सेना को रखने का काम हो, चाहे भारत की सरहद में प्रवेश कर सड़कें

†मूल अंग्रेजी में

आदि के निर्माण करने का काम हो, चाहे हिन्दुस्तान के पुलिस के सिपाहियों को दबाने का काम हो, चाहे उनको मारने का काम हो, चाहे उनको जेल में सताने का काम हो, हर काम को उन्होंने अपनी दृष्टि से सफाई से किया और हम लोगों को तरह-तरह की तक्लीफें उठानी पड़ीं। और आज चाऊ एन लाई ने अपने पत्र में लिखा है कि करम सिंह के साथ बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट किया गया। नेगोसिएशन के मामले में भी मैं देखता हूं कि सारा इनीशिएटिव उनके ही हाथों में चला जा रहा है। पिछले वक्त जब इस विषय की यहां चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री को अब उन क्षेत्रों को खाली करवाने की मांग करनी चाहिये जो चीन ने हथिया रखे हैं। यह मैंने उस वक्त कहा था जब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का पत्र चीन में गया और उन्होंने उसका जवाब देने में विलम्ब किया और जब उन्होंने करम सिंह का वक्तव्य शाया करने में बिलम्ब किया। करम सिंह के वक्तव्य से सनसनी फैली थी। उस वक्तव्य को उन्होंने शाया करने में बिलम्ब किया। लेकिन उस वक्तव्य के बारे में तो मैं यह समझ सकता हूं कि इसलिये बिलम्ब हुआ कि उस स्थान पर उनको जाने में दिक्कत थी।

लेकिन अब इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिये। १२ सितम्बर को और २८ अगस्त को यहां लांग्जू की चर्चा हुई थी और २८ अगस्त को जिस चीज़ की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया था उसके बारे में तरह-तरह की गलतफहमियां फैलीं। अगर उसको कोई सच्ची दृष्टि से देखे तो उसमें कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी। आज हमारे सामने यह चीज है कि हमारे प्रधान मंत्री ने जो लद्दाख और लांग्जू के बारे में सुझाव दिया था उसको चाऊ एन लाई ने एक्सप्लाइट करना शुरू कर दिया है और इस सम्बन्ध में उन्होंने लांग्जू के अलावा हमारा ध्यान और दस चौकियों की ओर दिलाया है। उनके बारे में भी उनका कहना है कि वही सिद्धान्त लागू किया जाये जो लद्दाख के बारे में सुझाया गया है। इस चीज से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार चीनी इनीशिएटिव अपने हाथ में लेने के लिये लालायित हैं और वह चाहते हैं कि हमने जो पत्र लिखा है उससे उनको इनीशिएटिव अपने हाथ में लेने की थोड़ी और गुंजाइश हो जाये।

लद्दाख के बारे में उनका यह कहना है कि सन् १९५० से आज तक वह उनके कब्जे में रहा है। आज उनका कब्जा हाजी लंगड़ के सैकड़ों मील इधर पर है लेकिन हमारे सिपाही करम सिंह ने कहा है कि वह वहां तक गए थे। हमको अपने आदमियों को फिर उस स्थान तक भेजना चाहिये था। आज ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये कि जहां पर पहले हमारे सिपाही जाते थे वहां तक आज क्यों न जायें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तक हो सके मामला नेगोसिएशन से हल किया जाये लेकिन यह स्पष्ट है कि नेगोसिएशन का प्रवाह आज किस तरह से चल रहा है। हमको देखना चाहिये कि आज धारा का प्रवाह किधर है। जैसा मैंने पहले कहा है, चाऊ एन लाई ने हमारे इस पत्र को एक्सप्लाइट किया है। उन्होंने बतलाया है कि हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है कि दोनों प्राइम मिनिस्टरों में बातचीत हो सके। उन्होंने पापुलेशन के एक सेक्शन को और प्रैस को कहा है कि वह स्थिति को बिगाड़ने वाला है और चीन को उन्होंने बताया है कि वह इस काम के लिये स्वर्ग है। मैं उनको यह कहने के लिये बधाई देता हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि यहां पर कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्ध रखता हो जो कि स्थिति को खराब होने दे।

अब सवाल आता है कि क्या किया जाये। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो सके नेगोसिएशन चलाया जाये। लेकिन नेगोसिएशन से सफलता मिलना बड़ा दूर मालूम होता है। लद्दाख और लांग्जू का सवाल सीधा है। उनको हमें अपने अधिकार में लेना चाहिये। अच्छा है अगर यह काम नेगोसिएशन से हो सके लेकिन कम से कम मुझे यह सम्भव प्रतीत नहीं होता।

[डा० राम सुभग सिंह]

मैं चाहता हूं कि इस मामले में हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिये। इसके बारे में मैंने सुझाव दिया था कि हमको सैंकड़ों चैक पोस्टें स्थापित करनी चाहियें। मैं यह इसलिये नहीं कहता कि हम चीन की एक इंच भूमि पर भी अधिकार करना चाहते हैं, पर मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हमारी सीमा की सुरक्षा पूरी तरह होनी चाहिये। हमको अपनी सीमा की देखरेख करने का पूरा अधिकार है और इसके लिये हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिये। हमारी सीमा की सुरक्षा तभी हो सकेगी जब उन इलाकों के साधनों का पूरा एक्सप्लाइटेशन किया जाएगा। मैंने इस बारे में सुझाव दिये थे लेकिन यहां पर हमारे अखबार लिंक महाराज हैं और ब्लिट्ज़ हैं जिन्होंने उनको दूसरी तरह लिखा है। ब्लिट्ज में लिखा गया है कि डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि लद्दाख में भारी उद्योग स्थापित किये जायें।

२६ नवम्बर के मेरे भाषण में कहीं भी हैवी इंडस्ट्री का जिक्र नहीं है। लेकिन मैं ने औद्योगीकरण के बारे में कहा था कि वहां पर माइका है, बांस आदि और चीजें हैं जिनका सामान बना कर उस इलाके का विकास किया जा सकता है। वहां पर पानगोंग झील है उस में मछली मारने का काम किया जा सकता है। वहां पर नमक की झील है, जिस में नमक बनाने का काम किया जा सकता है। मैंने हैवी इंडस्ट्री की बात तक नहीं कही लेकिन उसको लिखा गया है।

दूसरी चीज यह लिखी गयी है कि हमारे लायक दोस्त श्री ए० एम० तारिक ने यह कहा था कि मेरे बिहार के माननीय मित्र लद्दाख में शिपयार्ड बनाने की मांग करना क्यों भूल गये। लेकिन मैं ने इस चीज को उनके भाषण में नहीं देखा। इस पत्र के सम्पादक जी ने उसी दिन एक इंटरव्यू लिया हमारे प्रधान मंत्री जी से और उनको धन्यबाद दिया। मुझे इस बात का गौरव है कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यबाद देने का कष्ट गंवारा किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मास्को एक शहर है जिसको कि पांच समुद्रों से जोड़ दिया गया है। आज विज्ञान के युग में साइबेरिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही हैं। डेजर्ट खेतों में परिणित किए जा रहे हैं। मैं इसमें अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी कोई जरनलिस्ट होता है उसके कुछ केनन्स आफ मारेलिटी और केनन्स आफ इथिक्स होने चाहिएं। उस को न्यूज स्टोरी को सत्य के आधार पर लिखना चाहिए वह व्यूज अपने दे सकता है, अपने विचार दे सकता है। जहां तक ईवेंटस का सवाल है वहां तक तो उसको सत्य का ही अनुसरण करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया है। मैं उरदू तो नहीं जानता लेकिन मैं ने अपने लायक दोस्त श्री ए० एम० तारीक को हिन्दी स्पीच को देखा है। उस में उन्होंने कहीं भी वह बात नहीं कही है जिसका हवाला इस अखबार में दिया गया है। इसी तरह हमारा यह लिंक अखबार भी ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लिखता है।

एक माननीय सदस्य : शेम।

डा० राम सुभग सिंह : और मैं हर किसी को दावत देता हूं कि जो चीज मैं ने कहीं भी कही है उस पर मैं अड़ने को तैयार हूं।

जहां तक हमारी पार्टी की मीटिंग का सम्बन्ध है, जिसकी चर्चा "लिक" में इन्होंने की है, वहां सोविज़ टेप-रिकार्डिड होती हैं—पार्टी के जो भी काम होते हैं, उन को टेप रिकार्ड किया जाता है। लीडर को दरख्वास्त दे कर वह टेप-रिकार्डिंग मांगें और मैं चैलेंज करता हूं कि जो

विवरण इस में है, वह सही है या पूरे तौर पर झूठ है। अगर झूठ है, तो इनको टिकने का हक नहीं है। जिसकी चार हज़ार कापीज़ ख़रीदी जाती हैं, ... (**अन्तर्बाधा**) मैं कहता हूं कि डिफ़ेंस मिनिस्ट्री में खरीदी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि इसको रेपुडिएट किया जाय। (**अन्तर्बाधा**) मैं चाहता हूं कि यह बताया जाय कि क्यों एक ऐसे अखबार को लिया जाता है, जोकि सफ़ेद झूठ बोलता है। इस में मेरा अपना मतलब कुछ नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि .... (**अन्तर्बाधा**)। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बारे में कोई कहे। मैं अपना सीधा इतिहास रखता हूं। मैं इनवाइट करता हूं कहने के लिए, लेकिन ये जो कहते हैं, वे चाइनीज़ स्लेव हो कर रहते हैं। वे चाहते हैं कि लाल किले में चीनियों का, करमसिंह को सताने वाले लोगों का अभिनंदन करें और इस लिहाज़ से जो अखबार वाले कहते हैं, चाहे उनकी मदद करने वाले कहते हैं, तो मैं उन सब को चेतावनी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोगों की चलने नहीं देंगे।

मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कड़ा कदम लिया था और चीन के प्राइम मिनिस्टर ने उसका जो जवाब दिया है, वह निहायत खतरे का जवाब है और यह अच्छा किया पंडित जी ने कि उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह उसी तरह से कड़ाई से चलते रहें। देश उनके नेतृत्व का इच्छुक है और वह उन के कदम से कदम मिला कर चाहेगा कि चीनियों से लद्दाख को खाली कराने में और लांग्जू पर पुनः अधिकार करने में उन के नेतृत्व में चल कर हम अपना भारतीय झंडा गाड़ें।

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, चीनी प्रधान मंत्री का अन्तिम पत्र कोई अकेली घटना नहीं है। चीनी प्रधान मंत्री अपने पत्र में इस की चर्चा करते हैं और इतिहास की घटनाओं ने भी साबित किया है कि जो कुछ आज हो रहा है, उसका प्रारम्भ १९५० में हुआ था। १९५० में तिब्बत को "स्वतंत्र" किया गया और उसके बाद चीनी लोग लद्दाख की तरफ़ घुसे और आज चीनी प्रधान मंत्री बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि उन्होंने लद्दाख में मार्च, १९५६ से लेकर अक्तूबर, १९५७ तक सड़क बनाई और हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ़ से कोई आपत्ति नहीं की गई। उस वक्त आपत्ति कहीं की गई और आज हम से कहा जाता है कि बात-चीत का दौर जारी रहे। कौन कहता है कि बात-चीत का दौर जारी नहीं रहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि हमारी परम्परा, हमारा इतिहास और हमारी पृष्ठभूमि बात-चीत की रही है। हम कभी किसी से लड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब अपने ही घर पर किसी दूसरे का कब्ज़ा हो जाये, तो वह कब्ज़ा हटाने के लिए बात-चीत की कहां आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे आपस में मतभेद हों, जो पारस्परिक समस्याएं हों, उन के विषय में तो बात-चीत की बात सोची जा सकती है, लेकिन आज हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना है कि देश की भूमि पर—पवित्र भूमि पर कोई विदेशी कब्ज़ा करता है और ज़िद्दपूर्वक हटने से इन्कार करता है। उसको वहां से हटाने में लड़ाई का प्रश्न नहीं उठता है — कहीं प्रश्न नहीं उठता है कि हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह पैदा कर दी गई है कि लांग्जू से हम ने अपनी चैक-पोस्ट को हटा लिया और अपने पैट्रोल को हटा लिया और अब हम से कहा जाता है कि लांग्जू ही नहीं, दस ऐसे स्थान हैं, जहां से हम को हटना चाहिए और पैंतीस हज़ार वर्ग मील के क्षेत्र पर दावा किया जाता है, सारे के सारे पूर्वी सीमान्त अंचल पर अधिकार करने की बात की जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शांतिप्रिय परम्परा है और हम बात-चीत से कभी पीछे नहीं हटे हैं। हम चाहेंगे कि प्रधान मंत्री अपनी इस बात पर दृढ़ रहें

[श्री ब्रज राज सिंह]

कि वह अंतिम हद तक बात-चीत जरूर करेंगे लेकिन बात-चीत खत्म करने के मायने यह कभी नहीं होते, या कोई यह सुझाव नहीं देना चाहता कि मुल्क में लड़ाई की भावना पैदा की जाये। लड़ाई की भावना पैदा करने का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ़ बात-चीत के जरिये जिस की परिभाषा आज प्रधान मंत्री के द्वारा की जा रही है और जिसका कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ़ से बार-बार समर्थन किया जा रहा है, हम अपने उद्देश्य में सफल हो जायेंगे उस बात-चीत का आज नतीजा क्या निकल रहा है। आज हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि सिक्किम और भूटान में क्या हो रहा है। अभी आस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने सिक्किम के महाराजा से इन्टरव्यू लिया और उसके बाद आस्ट्रेलिया में उस ने जो कुछ छापा, उसके बारे में जो समाचार दिया गया है, उस से पता लगता है कि सिक्किम की जनता आज यह महसूस करती है कि वह बहुत खतरे में है और उस को उस खतरे से अलग करने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ़ से जितना कुछ किया जाना चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है। भूटान का भी प्रश्न उठता है। जहां तक नेफ़ा का प्रश्न है, उस पर तो एक पर्दा डाल दिया गया है और हिन्दुस्तान के नागरिकों को वहां घुसने की इजाज़त नहीं है। कहा जाता है कि वे वहां पर व्यापार नहीं कर सकते हैं और वे वहां की जनता के रहने के तरीके में कोई दखल नहीं देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस में दखल देने का कोई सवाल नहीं है व्यापार के जरिये वहां की जनता का शोषण करने का भी कोई सवाल नहीं है। जब हिन्दुस्तान की आज़ादी के सिपाही वहां जाने की कोशिश करते हैं, वहां की अवस्था को देखने की कोशिश करते हैं, तो उन को ज़बर्दस्ती पकड़ कर बाहर फेंका जाता है। डा० राम मनोहर लोहिया के बारे में यह हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि हम अपनी सीमाओं---पूरे हिमालयन बार्डर---की रक्षा के लिये क्या कुछ कर रहे ह। मुल्क में बार बार यह भावना फैलाई जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो किसी के खिलाफ़ लड़ाई करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने कभी किसी के प्रति यह भावना नहीं दिखाई है। हमारे देश में गोआ का एक छोटा सा विदेशी पाकेट है, उस को भी हमने लड़ाई करके लेने का प्रयत्न नहीं किया। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग और कुछ अखबार कहते हैं कि हम ऐसी बातें करते ह कि, जिस से किसी दूसरे देश से लड़ाई हो सकती है। किसी दूसरे की आजादी का अपहरण करने की हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमारे मुल्क के किसी भाग पर जब विदेशियों का कब्ज़ा हो जाये और उसके बारे में हम शांतिपूर्वक बात करें तो कहा जाता है कि देश में वार-साइकासिस पैदा किया जा रहा है, लड़ाई की भावना पैदा की जा रही है। लेकिन यह बात साफ़ होनी चाहिये कि हमारी कई हज़ार किलोमीटर भूमि पर विदेशियों ने जो कब्जा किया है, वहां से उन को हटाने के लिये हम क्या करने जा रहे हैं। हमें खतरा है कि जिस तरह चीनी कहते हैं कि मार्च, १९५६ से अक्तूबर, १९५७ तक सड़क बनती रही और किसी ने आपत्ति नहीं की, उसी तरह अगर साल भर बात-चीत का दौर चलता रहा, तो उन की ओर से यह कहा जा सकता है कि यह भूमि हमेशा से उनकी रही है और उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और हम उस को वापस लेने की बात नहीं सोच सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम बातचीत की नीति के साथ साथ---बात-चीत हम ज़रूर करें---यह भी स्पष्ट रूप से निश्चित करें कि अपनी भूमि पर से विदेशियों का कब्जा हटाने के लिये हम क्या करें। उस कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात-चीत कैसे की जाती है? श्री चाऊ एन लाई साहब से १७ दिसम्बर को हमें पत्र मिलता है और प्रधान मंत्री से कहा जाता है कि २६ तारीख को रंगून में हाज़िर हो वहां पर बात-चीत होगी। नक्शों के बारे में चीनी प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि उन के बारे में हम बाद में पत्र

का उत्तर देंगे। कहीं कोई जमीन नहीं है, कोई इस्यूज़ तय नहीं हैं, कोई समस्यायें तय नहीं हैं, जिन पर बात-चीत हो, लेकिन कहा जाता है कि २६ तारीख को आइये। अच्छा किया प्रधान मंत्री ने कि उस प्रस्ताव को नामन्जूर किया और कहा कि वह जाने के लिये तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पालिसी से, हमारे अमल से चीनियों को साफ़ विदित हो जाना चाहिये कि हिन्दुस्तान किसी भी प्रकार आक्रमण को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। उन को इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि यदि यह आक्रमण जारी रहता है, तो हिन्दुस्तान का एक एक नागरिक अपनी एक एक इंच भूमि को लेने के लिये अपना सर्वस्व निछावर करेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि तब हम लोगों—लोक सभा के सदस्यों का यहां बैठने का काम नहीं होगा। यदि आवश्यकता पड़ी, तो सीमांत पर जा कर अपनी सीमा की हम रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम विदेशियों के कब्जे को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारी यह परम्परा रही है और आज भी हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, किसी पर हमला करना नहीं चाहते, लेकिन अपनी भूमि की रक्षा जरूर करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो सकते हैं, दूसरे तरीकों से कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन जहां तक हमारी आत्मा का सवाल है हमारी आत्मा कमज़ोर नहीं है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस पत्र की जो भाषा है, इस पत्र की जो भावना है वह सब यह ज़ाहिर करती है कि किसी एक दूसरी ही योजना को वह कार्यान्वित करना चाहते हैं। अब उनकी आंखें सिर्फ लद्दाख पर नहीं हैं, अब उनकी आंखें पूर्व में ३५,००० वर्ग मील के क्षेत्र पर भी, हैं, नेफा पर भी हैं, सिक्कम पर भी हो सकती हैं, भूटान पर हो सकती हैं। नेपाल हमारा मित्र देश है। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन हमारे और उनके जो सम्बन्ध हैं, उनके मुताबिक हमने कहा हुआ है कि नेपाल पर यदि आक्रमण होता है तो वह हम पर आक्रमण माना जाएगा। समाचार इस तरह के आ रहे हैं, नैपाल की सरकार के कुछ मंत्री महोदय भी इस तरह की बात कह रहे हैं कि सीमा पर अब वहां भी खतरा पैदा होता जा रहा है। हो सकता है इस तरह की कोई आदेशे की बात हो मगर मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि जब भी हमारे ऐसे मित्र देश पर कोई खतरे की बात होती है तो वह हमारे ऊपर खतरा है। हमारी परम्परायें, हमारी पृष्ठभूमियां, हमारा इतिहास एक रहा है, हमारी संस्कृति एक रही है, सब चीजें एक हैं और एक पर आक्रमण दूसरे पर आक्रमण माना जायेगा। आज का समाचार है कि चीनी नेपाल के हिस्से में आए, नेपाल की सीमा में आए और वहां पर उन्होंने कुछ लकड़ी काटी और उसे लेकर तिब्बत की ओर चले गये। यह समाचार सत्य है या असत्य, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि हमारी सारी की सारी जो सीमा है उत्तर की, सिक्किम उसमें आता है, भूटान आता है, नैपाल भी आता है—हालांकि हमारी उनकी संधि का जहां तक सम्बन्ध है, उससे हम अपने को बाध्य मानते हैं—उसकी तरफ हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये। सड़कों का निर्माण और दूसरी चीज़ें जो आज के यांत्रिक युग के लिये जरूरी हैं, चाहे वह नेपाल का सवाल हो, सिक्किम का सवाल हो, भूटान का सवाल हो, सब में फैलाने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उतनी सतर्क नहीं रही अपनी सीमाओं के बारे में जितना सतर्क कि उसको रहना चाहिये था और अगर सतर्क रही होती तो आज चीनी प्रधान मंत्री को कहना न पड़ता कि १९५६-५७ में उन्होंने सड़कें बना लीं और हिन्दुस्तान की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई है।

मुझे खतरा एक है—इसका मुझे खतरा नहीं है कि चीन क्या करेगा—खतरा यह है कि मुल्क में कुछ लोग हैं जो यह भावना फैलाना चाहते हैं कि चीन सम्भवतः कुछ नहीं करेगा। चीन कुछ

[श्री ब्रजराज सिंह]

नहीं करेगा, जो यह कहते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने चीन की वकालत की हुई है, उन्हें ही उसके दिमाग अच्छी तरह से मालूम हैं ? पिछले पांच छः सालों की घटनायें साफ प्रदर्शित करती हैं कि एक के बाद एक कदम उठा कर वे बढ़ते चले आ रहे हैं। चाहे तिब्बत की आज़ादी का सवाल पैदा हुआ हो, चाहे हमारी सीमा पर खतरा पैदा हो गया हो, एक के बाद एक घटना होती चली जा रही है। यह सब यह ज़ाहिर करता है कि चीनियों के दिमाग में एक कोई पहले से बनी हुई योजना है और उस योजना के मुताबिक वे काम कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि उसका मुकाबला करने के लिये हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिये। बातचीत का दर्वाजा खुला है और वह अन्त तक खुला रहना चाहिये। लेकिन उसके साथ साथ हमें पूरी तैयारी करनी चाहिये क्योंकि जो हमारी भूमि है उसको हमें विदेशियों के कब्ज़े से वापिस लेना है, उसको उनके कब्जे में नहीं छोड़ देना है।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जितनी भूमि है चाहे लद्दाख के इलाके में हो, चाहे लांग्जू की तरफ जो है, जितनी भी भूमि आज चीन के कब्जे में है उस भूमि को अपने कब्जे में तुरन्त लेने की कोशिश करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय जो मुल्क की भावना है उस भावना की ओर ध्यान देंगे और वही काम करेंगे जिस से देश की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है और जिससे देश की भावना का आदर हो सकता है।

†**श्री कमलनयन बजाज** (वर्धा) : आज देश के सामने एक बड़ा भारी संकट है। देश का प्रत्येक नागरिक इस भारी संकट का सामना करने को तैयार है।

अभी श्री विनोबा भावे ने कहा है कि हमारे देश में महात्मा गांधी के चार मुख्य शिष्य हैं:— प्रधान मंत्री, राजा जी, जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य कृपालानी। उन्होंने कहा कि इन चारों को मिल कर इस संकट को हल करने के लिये कोई उपाय निकालना चाहिये।

देश में जो फूट व भिन्नता है, वह राजनैतिक मतभेदों के कारण हैं। पर राष्ट्रीय समस्या पर विचार करते समय हमारे सामने यही भावना होनी चाहिये कि हम सभी भारतीय हैं।

एक बात और है कि हमें इन बातों पर चर्चा अलग करनी चाहिये इस प्रकार खुल्लमखुल्ला नहीं। अन्यथा किसी महत्वपूर्ण जानकारी के फैल जाने से काफी हानि भी हो सकती है। और इससे बड़ी कठिनाई पैदा हो जायेगी।

दुर्भाग्य से आज देश की स्थिति बड़ी खराब है। हमें बाहरी आक्रमण के साथ देश के भीतर भी सावधान रहने की जरूरत है।

हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना का हौसला ऊंचा है। ठीक है। पर इतना ही काफी नहीं है। हमारी सेना बहुत शक्तिशाली व अच्छी होनी चाहिये और उसका हौसला बहुत ऊंचा होना चाहिये।

आज देश के सामने जो संकट है उस का सामना हमें अवश्य करना है। हमें विरोधी दल के देशभक्त लोगों का भी सहयोग लेना है और सब के सहयोग से कोई न कोई रास्ता निकालना है।

देश के नेताओं तथा अन्य दलों के लोगों को इस मामले में रचनात्मक काम करना चाहिये यही सच्चा रास्ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, चीन के प्रधान मंत्री का जो नया पत्र आया है उससे हमारे सामने एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रधान मंत्री जी ने १६ नवम्बर को अपने पत्र में चीन के सामने कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव रखे थे जिन के अनुसार चीन को लद्दाख में भारत की भूमि को खाली करके बाहर जाना था और साथ ही यह भी सुझाव दिया गया था कि उस क्षेत्र में भारत भी अपने आदमी नहीं भेजेगा। प्रधान मंत्री जी के इस सुझाव की इस सदन में आलोचना हुई थी। हमने उसे आपत्तिजनक समझा था और कहा था कि इससे चीन को आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलेगा, उसे अपने पुराने दावों को पुष्ट करने का और नये दावे खड़े करने का एक मौका मिलेगा। चीन के प्रधान मंत्री का जो उत्तर प्राप्त हुआ है उससे इस बात की पुष्टि होती है।

हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के सम्मान को बनाए रखने के लिये यह सुझाव रखा था कि चीन भारतीय भूमि को छोड़ कर चला जाए, मगर उन्होंने इसका यह उत्तर दिया है कि यह प्रस्ताव केवल लद्दाख की सीमा तक लागू क्यों होना चाहिये, अगर हम भारत के नक्शों में बताई हुई भूमि से बाहर जाते हैं तो हमारे नक्शों में बताई हुई भूमि से भारतीयों को भी, नेफा के क्षेत्र में बाहर जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चीन के सम्मान को बनाये रखने का जो प्रयत्न किया गया उसका परिणाम हमें अपने अपमान में दिखाई दे रहा है। प्रधान मंत्री जी की सद्भावना को समझने के बजाय चीन ने अपने दावे को और भी बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल में और जो स्थान हमारे हैं, भूगोल से, इतिहास से, परम्परा से, संधि से उन स्थानों पर चीन अपने दावे कर रहा है और लद्दाख में हटने की कीमत मांग रहा है और दूसरे क्षेत्रों पर से हम अपने अधिकार को छोड़ दें, इस प्रकार की बात कह रहा है। मेरा संकेत इतना ही है कि जब चीन की मनोवृत्ति यह है तो फिर चीन के साथ समझौता सफल होगा इस आशा का आधार क्या है। समझौता होना चाहिये, देश में कोई युद्ध नहीं चाहता है मगर अगर भारत के हितों की बलि चढ़ाई जाती है, अगर हम चीन के साथ सौदा करते हैं, अगर भारत के सम्मान की हम रक्षा नहीं कर सकते तो वह शान्ति प्राप्त करने लायक शान्ति नहीं होगी, वह स्थायी शान्ति नहीं होगी।

चीन के प्रधान मं ी ने एक महीने बाद उत्तर दिया। मेरा निवेदन है वह समय चाहते हैं कि यह चिट् ी पत्री लम्बी चलती रहे जिससे जिस भूमि पर उन्होंने अधिकार किया है, उस पर वे सड़कें बना लें, हवाई अड्डे बना लें, अपने आक्रमण को पुष्ट कर ले और श्री करम सिंह ने अपने वक्तव्य में यह बताया भी है कि जहां पर उनको गिरफ्तार किया गया, वहां पर मोटरेबल रोड्स बनाई गई हैं। भारत की भूमि में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, चीन को इसके लिए समय चाहिए। इसलिए वह लम्बी चिट् ी पत्री कर रहा है। खुद तो उसने एक महीने में जवाब दिया है और हमारे प्रधान मंत्री से आशा करता है कि उनको चिट्ठी मिलते ही बोरिया बिस्तर बांध करके रंगून चले आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि चीन के प्रधान मंत्री यह आशा कैसे कर सकते हैं? मुझे सन्तोष है कि हमारे प्रधान मंत्री ने रंगून जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वह रंगून जाने का प्रस्ताव नहीं था, वह रंगून का ुलावा नहीं था, वह तो म्यूनिच का बुलावा था, चीन के प्रधान मंत्री रंगून में म्यूनिच का नाटक करना चाहते हैं। यह सन्नता की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री ने रंगून जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लेकिन उन्होंने राज्य सभा में आज दोपहर कहा कि चीन के प्रधान मंत्री के पत्र में मुझ से मिलने की जो उत्सुकता प्रकट की गई है मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि क्या सचमुच में चीन के प्रधान मंत्री समझौता चाहते हैं या हमारे प्रधान मंत्री से मिलने की बात उन्होंने प्रचार के रूप में कही है, एक प्रापेगेंडा स्टंट के रूप में कही है और दुनिया को यह दिखाना

[श्री वाजपेयी]

चाहते हैं कि चीन शान्ति चाहता है जब कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है और भारत शान्ति नहीं चाहता है क्योंकि हम मिलने के लिये तैयार नहीं हैं। चीन के प्रधान मंत्री ने जो सुझाव रखे हैं उनमें और हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जिस लाइन को अपना रही है उसमें एक बड़ा साम्य है। इन्होंने भी कलकत्ता में यही नारे लगाये हैं कि दोनों प्रधान मंत्रियों को मिलना चाहिए और चीन के प्रधान मंत्री भी कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। मिल के क्या करना चाहिए आखिर दोनों देशों के बीच की मीटिंग भूमि क्या है, समझौता वार्ता का आधार क्या है। दोनों प्रधान मंत्री मिलें और मिलें तो रंगून में क्यों मिलें और चीन में क्यों मिलें? मिलें तो दिल्ली में मिलें।

मुझे आपत्ति है चीन के प्रधान मंत्री के इस आक्षेप पर कि भारत में चीन की मित्रता के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत में मित्रता के विरुद्ध वातावरण नहीं है, भारत में आक्रमण के विरुद्ध वातावरण है। जबतक यह आक्रमण कायम रहेगा तब तक यह वातावरण रहेगा। हम एक जीवित जाति हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की कीमत रखते हैं, हम स्वाभिमान रखते हैं, और अगर हमारी भूमि का अतिक्रमण होगा तो हमारी प्रतिक्रिया आवश्यक है, उस को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चीन के प्रधान मंत्री प्रचार करना चाहते हैं, शान्ति के देवदूत बनना चाहते हैं, हमारे प्रधान मंत्री को गलत पोजीशन में डालना चाहते हैं। अब कम्युनिस्टों की ओर से कहा जायेगा कि चाऊ-एन-लाई साहब को मिलना चाहते हैं मगर पंडित जी नहीं मिलना चाहते। अगर पंडित जी मिलना नहीं चाहते तो ठीक नहीं मिलना चाहते। आखिर मिलने का आधार क्या है? जब तथ्यों के बारे में समझौता नहीं है, जब सिद्धान्तों के बारे में एक मत नहीं है तो हम मिल कर क्या करेंगे? और अगर मिलन हो गया और बाद में असफलता हुई तो उसका परिणाम और भी भयंकर होगा। इसलिये सरकार का यह दृष्टिकोण सही है। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के मिलने से पहले जो प्रारम्भिक बातें हैं उनका निश्चय हो जानी चाहिये, समझौते का आधार क्या होगा इसको तय किया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रारम्भिक बातों का सवाल है, चीनी समझौता चाहते हैं इसका उनके पत्र में तो कोई संकेत नहीं मिलता, सिवा इसके कि उन्हों ने पंचशील की दुहाई दी है, शान्ति का राग अलापा है।

श्री जाधव (मालेगांव): बगल में छुरी।

श्री वाजपेयी: हम एक पिछड़े हुए देश हैं, हमें आर्थिक निर्माण करना है, इसकी चर्चा की है मगर जो भारत की भूमि उनके कब्जे में है उसको वह छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारे प्रधान मंत्री कह चुके हैं कि भारत की उत्तरी सीमा तय है। भले ही वह नक्शे पर खींची न गई हो, और हम छोटे मोटे सीमा सम्बन्धी विवादों के बारे में बात कर सकते हैं, मगर भारत की पूरी सीमा विवाद का विषय नहीं बनाई जा सकती। मगर चीनी प्रधान मंत्री यह प्रयत्न कर रहे हैं कि सारी सीमा को विवाद का विषय बना दिया जाये। आप हमारी सीमा के निर्माता के रूप में हमारी छाती पर बैठना चाहते हैं। स्पष्ट है कि भारत सरकार और भारत की जनता इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती।

लेकिन आज कहा जाता है: हम क्या करें। प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा कि क्या किया जाय। क्या हम लड़ाई करें? कोई नहीं चाहता कि आप लड़ाई करें। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर कल चीन ने लोंग्जू में या लद्दाख में और आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो आप क्या करेंगे?

एक माननीय सदस्य: नेगोशिएशन्स।

श्री वाजपेयी : आधार के ऊपर समझौता नहीं हो सकता है, और इसलिये लड़ाई के लिये तो हमें तैयार ही रहना चाहिये। हम अपनी तरफ से लड़ाई शुरू न करें, मगर अगर दूसरा पक्ष लड़ाई पर उतारू होता है तो लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। लेकिन लड़ाई को छोड़ कर और भी रास्ते हैं। हमारा तिब्बत के साथ जो व्यापार था वह खत्म होता जा रहा है। चीन ने तिब्बत के भारतीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया, मगर अभी हमने नहीं लगाया। हमने केवल कालिंपोंग की चीनी ट्रेड एजेन्सी के सामने पहरा बैठाया है। अभी भारत में और चीनी ट्रेड एजेन्सियां हैं जिनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती थी। पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वह अभी नई दिल्ली के चीनी दूतावास पर नहीं लगाये गये। समय आ गया है यह कदम उठाने का।

एक माननीय सदस्य : भारत में लोकतंत्र है।

श्री वाजपेयी : आज चीनी आक्रमण के कारण हमारे सामने एक संकट है, और चीन के मित्र "भारत में लोकतंत्र है" यह नारा लगा कर उस संकट से हमारी आंखें बन्द नहीं कर सकते। मगर हम चाहें तो चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों को तोड़ भी सकते हैं, बिना लड़ाई को छेड़े हुए और भी रास्ते अपनाये जा सकते हैं, और जहां चाह है वहां राह भी मिल जाती है। मैं समझता हूं कि सारा देश इस बात पर सहमत है, कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़ कर, कि चीनी चुनौती का दृढ़ता के साथ सामना किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि लड़ाई लड़नी होगी लेकिन जब तक हम समय पर कदम नहीं उठायेंगे तब तक सारे देश में एकता कायम कर उस चुनौती का सामना करने का वातावरण तैयार नहीं किया जा सकता।

मुझे एक बात और कहनी है कि हमारा विदेश मंत्रालय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। राज्य सभा में हमारे प्रधान मंत्री ने बतलाया कि पुलिन समडो नाम का एक स्थान है। यह एक गलती हो गई और गलत छप गया। वह या तो चीन के हिस्से में, मगर उस पर हमने अपना दावा बता दिया। और उन्होंने खेद प्रकट किया है। ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि विदेश मंत्रालय जरा सावधानी से काम करे। चीनी ऐसी छोटी-छोटी बातें पकड़ते हैं और हमारे पक्ष को दुर्बल करते हैं। विदेश मंत्रालय इस संकट काल में जितना ऊंचा उठना चाहिए, उतना वह अभी तक नहीं उठ सका है। इस बात की आवश्यकता है।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं चाहता था कि आज के वाद विवाद में पुरानी बातों को दोहराने के बजाय प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत किये जायें। प्रधान मंत्री ने कल हम लोगों के साथ बच्चों का सा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि हम अन्तिम समय तक बातचीत करने को तैयार हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। मैं स्वयं चाहता हूं कि अन्तिम समय तक समझौते का रास्ता न छोड़ा जाये पर यदि बातचीत से कोई रास्ते न निकलें, तो हमें किसी और उपाय का सहारा लेना ही होगा।

बड़ी-बड़ी बातें करने में मेरा विश्वास नहीं है। हम युद्ध के हामी नहीं हैं। हमें अन्य साधनों का सहारा लेना चाहिए।

चीन ने आक्रमण किये और हमने बरदाश्त कर लिया। हमने उन्हें पत्र लिखे और उनके जवाब हमें मिले। पर क्या परिणाम निकला।

मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री संसद् को तथा देश को साथ लेकर चलें। यह ठीक नहीं है कि वह अपनी इच्छा से किसी देश को कुछ भूमि खण्ड दे दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

आज जरूरत इस बात की है कि हम चीन से मांग करें कि वह हमारे क्षेत्रों पर से कब्जा हटा ले। पत्र आदि लिखने व भेजने का काम भी साथ-साथ होता रहे क्योंकि यह राजनैतिक उपाय है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

यह हमारी इज्जत का सवाल है। चीन ने हमारे राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। हम भी अगर चाहें, तो नेफा के निकट उनके क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। पर यहां तो प्रश्न इज्जत का है। कुछ वर्षों पूर्व मैंने प्रधान मंत्री का ध्यान चीन के उन नक्शों की ओर आकृष्ट किया था, जिसमें उन लोगों ने भारतीय क्षेत्र को चीन का भाग दिखाया था। उस पर प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम किसी को नक्शे छापने से नहीं रोक सकते। पर हम अपनी भूमि नहीं छोड़ सकते। हमें सम्पूर्ण देश में जागृति पैदा करनी है लोगों को सावधान करना है।

मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री इस मामले को राष्ट्रीय इज्जत मान कर इसके लिये सारी शक्ति से प्रयत्न करेंगे।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने इस चीन के प्रधान मंत्री के निमंत्रण को अस्वीकार किया। चीन के प्रधान मंत्री का निमंत्रण था क्या ? "हम ने लद्दाख में हजारों मील आप की जमीन पर कब्जा कर लिया, वह तो हमारा है, लोंग्जू से आप कहते हैं कि हम हटें और आप वहां पर नहीं आयेंगे। उसी हिसाब से जितना जितना और इलाका है, हम कहते हैं वहां से आप हट जाइये।" यानी जहां वे नहीं आ सके वहां से हम तो हट जायें मगर जो इलाका उन्होंने ले लिया वह उन का हो गया। और इस के बाद आइये, और बातें कर लें बैठ कर कि बाकी की जो भी आप की टेरिटरी है उस को हम किस प्रकार शांति के तरीके से अपने कब्जे में कर सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री किसी प्रकार से नहीं स्वीकार कर सकते थे इस निमंत्रण को। जाहिर सी बात है कि कोई नहीं कर सकता। इज्जत और स्वाभिमान रखने वाला छोटे से छोटा इन्सान भी इस के सामने बिगड़ उठता है, उसका खून खौल जाता है, और हमारे प्रधान मंत्री आज कल इतनी शांति और धीरज से इस महान क्राइसिस का सामना कर रहे ह। उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, मगर साथ ही साथ शांति से, मजबूती से बता दिया चीन के प्रधान मंत्री को कि आप जो कहते हैं वह नहीं हो सकता। प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि अपनी जमीन का कोई एक इंच हिस्सा भी हम उन को नहीं देंगे। जाहिर बात है कि जो जमीन उन्होंने हथिया ली, जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वह खाली पड़ी हुई जमीन थी, वहां पर हम रोज रोज पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन चुपचाप उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया। जाहिर बात है कि तिब्बत के प्लेटू की ऊंचाई से वहां आना उन के लिये ज्यादा आसान है बनिस्बत हमारे जहां हमें ऊंचे पहाड़ लांघ कर पहुंचना होता है। मगर उन्होंने अगर चुपचाप कब्जा कर लिया तो इस का यह अर्थ नहीं है कि हम उस कब्जे को स्वीकार करें और उसको स्वीकार करके उन के साथ आगे नेगोशिएशन करने जायें। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे कम्यूनिस्ट भाई किस चीज के कारण नेगोशिएशन की बात करते हैं। बात तो तब हो सकती है जब वह कोई बात करने के लिये तैयार हों। मुझे तो चीन के प्रधान मंत्री के पत्र को पढ़ कर महाभारत की याद आ गई, जिस की चर्चा आज हो रही थी। मुझे उस स्थल का स्मरण हो आया जहां पर पांडवों ने भगवान कृष्ण के कहने पर बहुत नम्र बन कर कहा कि चलो, पांच गांव हमें दे दो। इतना तो दोगे ? हमारे प्रधान मंत्री ने करीब करीब उसी भावना से कहा कि जमीन हमारी है, आप ने कब्जा कर लिया है। आप यहां से हट जाइये। उन के स्वाभिमान को किसी प्रकार की चोट न लगे इस

लिये साथ में यह भी कह दिया कि हम भी अपने बार्डर की तरफ हट जायेंगे। जो आप अपना बार्डर कहते हैं, उस एरिया तक, जितनी आप की डिस्प्यूटेड टेरीटरी है, वहां कोई भी फौज नहीं रहेगी। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने जो इतना बड़ा कंसेशन दिया, उस कंशेशन को भी चीनियों ने ठुकरा दिया, अपने घमंड में आकर, अपनी ताकत के नशे में चूर होकर। इस प्रकार का नशा, इस प्रकार का घमंड, हमेशा इन्सान को आखिर में विनाश की तरफ ले जाता है। मैं इतना ही कह सकती हूं कि इस के बावजूद शांति और धीरज से जो जबाब दिया गया वह एक योग्य, जबाब, बहुत उचित जवाब है।

सवाल यह होता है कि अब हम करें क्या। जो एरिया उन्होंने ले लिया है, उस एरिया पर, एक साहब ने कहा कि पुलिस ऐक्शन किया जाये। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उन के दिमाग में क्या चीज थी। पुलिस ऐक्शन किस तरह से हो सकता है। अगर वह इस को पुलिस ऐक्शन समझते हैं कि वहां पर फौज ले जा कर लड़ाई लड़ी जाय, तो जाहिर है कि वह एक तरीका हो सकता है। अगर शांति के तरीके से, हम ने अब तक जो एक उसूल अपने सामने रख कर, तरीका अख्तयार किया है, उस के होते हुए हम लड़ने के लिये मजबूर होंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि **वी शैल बी ए नेशन इन आर्म्स**। मगर हम नहीं चाहते कि दुनिया में संघर्ष हो, दुनिया में लड़ाई हो। लड़ाई का रास्ता विनास का रास्ता है। मगर इस के साथ ही साथ हम अपने सिर के बाल चीनियों के पांवों के तले नहीं छोड़ सकते। आखिर उसे हम कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं? हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और न ही करेंगे? मैं समझती हूं कि अगर एक जोर दार तरीके से, एक एक कोने से, एक एक घर से, एक एक मुंह से यह आवाज हमारे देश से निकलती है तो चीनियों को हटना पड़ेगा। जितना एरिया हमारे पास आज है वहां पर हमने अपना इन्तजाम किया है। उस इन्तजाम को हम मजबूत रक्खें और एक इंच भी उनको आगे न बढ़ने दें और हमारे जिस एरिया पर उन्होंने काबू किया है उस ऐरिया को हम शीघ्रातिशीघ्र वापिस लें।

आखिर पुर्तगाल गोवा में हमारे सिर पर बैठा हुआ है और भारत अगर चाहे तो अपनी फौज भेज कर उन सब को धक्का दे कर समुद्र में डाल सकता है बशर्ते कि हम ऐसा करना चाहें मगर आज तक हम वहां फौज लेकर नहीं गये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गोवा हमारा नहीं है और गोवा को हम वापिस प्राप्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो हिस्सा चीन ने आज दबा लिया है वह हिस्सा हमारा है और उस अपने हिस्से को हमें जरूर प्राप्त करना है।

डा० राम सुभग सिंह ने हिमालय के ऐरिया को डेवलप करने की बात कही। अच्छी बात है, मुनासिब बात है, लेकिन डेबलपमेंट एक रात में नहीं हुआ करता है......

डा० राम सुभग सिंह : ८ वर्ष हो गये।

डा० सुशीला नायर : जाहिर है कि वहां डेवलपमेंट करना चाहिए। उसकी तरफ जितनी तवज्जह हो सके वह तवज्जह देनी चाहिये क्योंकि लोग अगर वहां बसे हुए होंगे, हमारे लोग बैठे होंगे, गांव बसे हुए होंगे जैसे कि तिब्बत के प्लेटो में बसे हुए हैं तो जाहिर है कि चीनियों ने वहां लद्दाख में जैसे चुप चाप कब्जा कर लिया, नहीं कर सकते थे और भविष्य में भी यह हमारा ऐरिया अगर बसा हुआ होगा, डेवलप्ड होगा तो वह उस पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। अब यह जो कह दिया जाता है कि वह प्रदेश काफी ऊंचाई पर है और वहां पर काफी सर्दी पड़ती है तो यह सर्दी और ऊंचाई क्या स्वीडन में नहीं है? सर्दी और ऊंचाई क्या आर्टिक में जहां कि एसकीमो रहते हैं और बर्फ के बीच में रहते हैं, वहां क्या वह सर्दी और ऊंचाई वाली बात नहीं है? लेकिन वहां पर भी

[डा० सुशीला नायर]

इन्सान रहते हैं और इंसान ने रहने का तरीका सोच लिया है। तो आज हमको भी तरीका सोचना है, रास्ता निकालना है कि कैसे वह जो हमारा ऐरिया है वह ठीक हो सकता है और वहां रहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज जब चीन हमारे साथ इतनी सिरजोरी कर रहा है तो मैं अपने प्रधान मंत्री महोदय से अत्यन्त नम्रता पूर्वक कहूंगी कि क्या समय नहीं आ गया कि हम ने इतना इतना साथ दिया और चीन की जो तिब्बत पर इतनी बरजोरी हुई थी उस बरजोरी को हमने बर्दाश्त किया, तिब्बत पर चीन की सुजरैनिटी को स्वीकार किया और उस से हमारा नार्दर्न बौर्डर बिलकुल एक्सपोज हो गया और हमारे देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो गया है तो आज क्या यह वक्त नहीं आ गया कि हम कहें कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए एक न्युटरल बफर स्टेट तिब्बत की जरूरत है और चीन ने उस पर जो कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को अब हम स्वीकार नहीं करते। हमने उस समय तिब्बत पर उनके कब्जे को चीन के साथ दोस्ती निभाने के लिए स्वीकार किया था मगर उन्होंने हमारी दोस्ती का दुरुपयोग किया। क्या हम आयन्दा आने वाली पुश्तों को यह लिगेसी देना चाहेंगे कि चीन के साथ जो हमारा २५०० मील का बॉर्डर लगता है उस में हम अपनी फौजें लगाये रक्खें? एक तरफ तो इतना बड़ा बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है और दूसरी तरफ २५०० मील का एक ऐसा बौर्डर हो जाय जहां पर एक एग्रेसिव और इस प्रकार की एक्सपेंशनिस्ट नेशन बैठ कर हमारा गला दबाने की हर वक्त कोशिश में रहे और हम फौजों से उसको रोकते रहें तो यह आने वाली जेनरेशन के साथ क्या अन्याय नहीं होगा? मैं तो समझती हूं अगर हम ने एक चीज किसी वक्त स्वीकार कर ली थी तो वह परिस्थिति जिस में कि हमने वह चीज मानी थी आज बदल गई है और इसलिए हमको चीन को कह देना चाहिये कि तिब्बत के बफर स्टेट को कायम किया जाय। न सिर्फ हमारे यहां से निकलिये बल्कि जो हमारी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा साधन और तरीका था और जिसको कि आपने नष्ट कर दिया है उसको आप पुनः कायम करिये। अब इसके लिए यह कहा जा सकता है कि यह महज कहने की बातें हैं और बड़ी बड़ी बातें हवा में करने से क्या फायदा होता है, ठीक है, यह बड़ी बात है लेकिन यही हमारे प्रधान मंत्री जी थे, मैं तो जब एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी जब १९२९ के साल में प्रधान मंत्री ने लाहौर में रावी के तट पर रात के बारह बजे भारत की पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया था। कम्पलीट इंडिपेंडेंस का वह रेजोलूशन था और क्या उस वक्त कोई सोच सकता था कि हम कम्पलीट इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। लोग कहते थे कि यह बेहूदा बातें हैं। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री महोदय रावी के किनारे रात के बारह बजे भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया करके वालियंटरों के साथ नाचे थे और सारा मुल्क उनके साथ नाचा था तो मैं कहना चाहती हूं कि वह जो हमारी स्प्रिट थी वह उस आजादी की लड़ाई के जमाने में, आज उस स्प्रिट को लाने की जरूरत है और मैं कहना चाहती हूं कि जहां एक तरफ से डिफेंस फोर्सेज को तो सरकार देखेगी, सुदृढ़ करगी और बढ़ायेगी लेकिन देश के अन्दर दूसरी तरफ से वह स्प्रिट पैदा हो हर हिन्दुस्तान के मर्द, औरत और बच्चे के दिल में जो स्प्रिट आजादी की लड़ाई के दिनों में थी और जिस स्प्रिट की वजह से बिना हथियारों के हम अपने देश की आजादी हासिल कर सके। उस समय जिस एक आवाज से हम बोल सकते थे और बोलते थे आज समय आगया है जब हम एक आवाज से बोलें और डिसीपिलिन से संगठित रूप से अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे रह कर इस बात का ऐलान करें कि हिन्दुस्तान की एक इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं रहेगी।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा): एक औचित्य प्रश्न है। बहुत से माननीय सदस्यों को तिब्बत के बारे में तथ्यों का पता नहीं है। मैं तिब्बत हो आया हूं। वहां इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि वहां बस्तियां

†मूल अंग्रेजी में

या उपनिवेश बनाना संभव नहीं है। चीन के दूसरी ओर अमरीका के १८० जंगी पोत हैं, उधर तैवान है और जापान है। अतः युद्ध का कोई भय नहीं है....

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** अध्यक्ष महोदय, मुझे ठीक ठीक तारीख याद नहीं कि इसके बारे में पिछली बार यहां कब बहस हुई थी। शायद नवम्बर में हुई थी, नवम्बर के आखिरी हफ्ते में। मैंने उस बहस से कुछ ही दिन पहले प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई को एक पत्र भेजा था। सभा को उसकी जानकारी है। उस पत्र में हमने कुछ सुझाव रखे थे और यहां उस के बारे में काफी लम्बी, पूरी बहस हुई थी। सभा के सामने वह पत्र भी था और पूरे हालात की जानकारी भी उसे थी। और हमने उस मामले में जो कार्यवाही की थी, इस सभा ने उसका समर्थन किया था। एक काफी जोशीले ढंग से उसका समर्थन किया था।

उसके बाद से हमें प्रधान मंत्री चाऊ एन-लाई का एक जवाब मिला है और मैंने उसका भी एक मुख्तसिर सा जवाब भेज दिया है। अब इस बहस में हमें जिन चीजों पर गौर करना है वे असल में दो ही हैं—श्री चाऊ-एन-लाई का पत्र और मेरा जवाब। जो भी हो, अगर कुल मिलाकर देखा जाये तो इस बार की बहस और पिछली बार की बहस में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक हो तौर पर चली हैं। हां, इस बार की बहस में श्री चाऊ-एन-लाई के पत्र का भी जिक्र हुआ है।

आचार्य कृपालानी ने एक शिकायत यह की है, या यों कहिये कि अपनी एक यह राय जाहिर की है कि मैं दूसरों के सुझावों और अपनी आलोचनाओं को नापसन्द करता हूं। मुझे तो उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं और मैं हमेशा दूसरों के सुझावों या उनकी आलोचनाओं पर गौर करने के लिये तैयार रहता हूं। यह जरूर है कि जब कोई ऐसी आलोचना करता है जिसका मतलब होता है कि मैं अपनी नीति को ही उलट दूं तो कुदरती बात है कि मुझे उसके मानने में कुछ मुश्किल महसूस होती है, जरूर होती है, क्योंकि उसका मतलब मेरी नीति में इधर-उधर कुछ छोटी-मोटी तब्दीलियां करना नहीं होता। पूरी नीति बदलने की बात मानने में जाहिर है कि कुछ मुश्किल पड़ती है।

अभी यहां जितने भी भाषण हुये मैंने उनको काफी गौर से सुना है और उनके बारे में मैंने कुछ लम्बे नोट भी तैयार किये हैं। बहुत सी ऐसी बातें भी कहीं गई जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसलिये कि वे, अपने एक खास नजरिये से ठीक होती हुइ भी, ऐसी नहीं हैं जिनसे इन हालात के समझने के बारे में हमें मदद मिल सके या आगे की जानेवाली कार्यवाही के बारे में कुछ रहनुमाई हो सके। स्वभाविक है कि उनमें चीनियों की हरकतों पर नाराजी और दुःख का इजहार किया गया है, और यह चीज समझ में आ सकती है। लेकिन उन बातों से हमें ऐसा कोई रास्ता ढूंढने में मदद नहीं मिलती जिसके जरिये हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकें।

मैं श्री जयपाल सिंह की यह बात बिलकुल मानता हूं कि इस मसले को किसी एक पार्टी का मसला न बनाया जाये। बिलकुल नहीं। किसी एक पार्टी का यह मसला है ही नहीं। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं जिनसे मुझे दिली इत्तिफाक है और दूसरी तरफ मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने कई ऐसी बातें कही हैं जिनसे मुझे दिली इख्तिलाफ है। इसलिये यह किसी पार्टी का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। वैसे तो यह उससे भी बड़ा मसला है, राष्ट्रीय मसले से भी बड़ा, एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला है, क्योंकि इसमें बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय बातें भी शामिल हैं। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हमारे लिये तो यह एक राष्ट्रीय मसला ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

अब हमें सबसे पहले कुछ बुनियादी चीजों के बारे में अपने दिमागों की सफाई कर लेनी चाहिये उनके बारे में किसी भी तरह के शकोशुबह हमारे दिमाग में नहीं रहने चाहियें। पहली चीज यह है कि हमारा नजरिया चाहे जो भी हो, हमें अपने देश की, देश के सभी इलाकों की, देश की इज्जत और उसकी शान की हिफ़ाजत करनी है। इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। हां, इसके बारे में जरूर लोगों की राये अलग अलग हो सकती हैं कि यह हिफ़ाजत किस ढंग से की जाये। यह तो एक दूसरी बात है। लेकिन एक बुनियादी चीज यह तो साफ है कि हम सबको हर कीमत पर अपने देश की हिफ़ाजत करनी है। देश की शान और इज्जत की हिफ़ाजत करना कोई लेन-देन का सौदा तो है नहीं, कोई बाजारू मोल-भाव तो नहीं है। यह चीज साफ है। अब इसके बाद दूसरा सवाल यह उठता है कि उसके लिये हमें करना क्या चाहिये? बातचीत चलाई जाये या लड़ाई छेड़ी जाये, या इन दोनों के बीच की कोई राह अपनाई जाये—इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैंने कहा भी था कि अगर आप बातचीत बिलकुल ही बन्द करदें, तब फिर दो ही रास्ते रह जाते हैं—या तो लड़ाई हो अथवा कुछ ऐसी कार्यवाही हो जिसका नतीजा लड़ाई ही हो, या फिर हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठा जाये, जो मेरी समझ में इस मुश्किल को हल करने के लिये बहुत कमजोर तरीका होगा।

श्री जयपाल सिंह ने इस रास्ते के अलावा कुछ और भी रास्ते सुझाये हैं, जो उनके ख्याल से जंग और बातचीत के बीच के रास्ते हैं। उनका कहना है कि कुछ ऐसे भी रास्ते हैं, जैसे हमने दक्षिण अफ़्रीका या पुर्तगाल के साथ अपनाये हैं। इस मिसाल से उनकी दलील का वजन नहीं बढ़ता। दक्षिण अफ़्रीका में जो भी कुछ हुआ है, उसके बावजूद हम हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके साथ बातचीत चलाने का प्रस्ताव रखते रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी बड़े बहुमत से उसे पास भी किया है। लेकिन दक्षिण अफ़्रीका ही बातचीत चलाने का प्रस्ताव ठुकराता रहा है जिसकी वजह से वहां इतनी कुछ गड़बड़ हो रही है।

हम पुर्तगाल से भी बातचीत करने के लिये हमेशा तैयार रहे हैं। जाहिर है कि बातचीत बुनियादी मामलों पर ही हो सकती है, छोटे मोटे गैर जरूरी मामलों पर नहीं। इसलिये इन मिसालों से उनकी दलील का वजन नहीं बढ़ता।

आचार्य कृपालानी ने चीन पर कुछ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की बात कही। एक दूसरे माननीय सदस्य ने पुलिस कार्यवाही की बात कही। मेरी समझ में नहीं आता कि आज हालात जिस तरह के हैं उनमें आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का किसी पर क्या असर पड़ सकता है। चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत ही थोड़ा सा है। हां, तिब्बत से कुछ व्यापार होता था, लेकिन वहां मुख्यतः चीन की कार्यवाहियों की वजह से अब वह भी नहीं सा रहा है। जो थोड़ा सा रह भी गया है, उसे जारी रखा जाये या नहीं, या उस सिलसिले में कोई और कदम उठाया जाये, इस पर हम गौर कर सकते हैं। उसे भी बन्द किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इतनी बात तो साफ है।

और पुलिस कार्यवाही की बात तो बड़ी अजीब सी लगती है, खास तौर से उन माननीय सदस्य के मुंह से जो जैसा कि उन्होंने हमें याद दिलाया है खुद भी, एक बड़े बहादुर फौजी रह चुके हैं। मैं ठीक-ठीक समझ नहीं पाया कि पुलिस कार्यवाही से उनका मतलब क्या है। पुलिस कार्यवाही तो एक किसी बड़े ही कमजोर दुश्मन के खिलाफ की जाती है। उसका पूरा मतलब ही यह होता है कि पुलिस कार्यवाही करके मसले को ठीक किया जा सकता है। वह तो किसी बड़े छोटे से विरोधी के लिये ही हो सकती है। अगर विरोधी की तरफ से एक बड़ी भारी तादाद में पुलिस जैसा आप उसे कहते हैं, भेजी जाये, तो उसके खिलाफ तो पुलिस कार्यवाही नहीं की जाती।

कई माननीय सदस्यों के भाषणों से इस बात का पता चला कि वह साफ कर देना चाहते हैं कि उन्हें लड़ाई नहीं चाहिये लेकिन उन्होंने कुछ और सुझाव रखे हैं। उनमें से कुछ का जिक्र मैं कर चुका हूं। आचार्य कृपालानी का सवाल था कि 'हम हमेशा विश्व युद्ध की बातें क्यों करते हैं? हो सकता है कि केवल स्थानीय युद्ध ही हो।' यह भी मुमकिन है। लेकिन आज जिस तरह की लड़ाई की मुमकिनात हैं, उनको देखने समझने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल वैसी लड़ाई होने की गुंजाइश नहीं। आज तो दो बड़े देशों के बीच होने वाली लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में, और बड़ी लड़ाई सारी दुनिया की लड़ाई में तबदील हुये बिना रह ही नहीं सकती। मैं इन चीजों को इतनी सफाई के साथ इसीलिये रख रहा हूं कि हमारे सोचने में शक या सन्देह की कोई गुंजाइश न रह पाये। अपनी बेहद नाराजी में हमें ऐसी हवाई बातें नहीं सोचनी चाहियें, जैसाकि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमें तिब्बत को ले लेना चाहियें, या तिब्बत का कुछ करना चाहिये। ऐसी हवाई बातों का असलियत से कोई नाता नहीं है।

यह मामला दो देशों का है। दो ऐसे देशों का मामला है जो अपने अपने ढंग से बड़े हैं। जिनका फैलाव बहुत ज्यादा है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पूरी तौर से फतह नहीं कर सकता। चीन में अगर कोई ऐसा सोचता है तो बेकार की बात है। चीन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, लड़ाई में वह भारत को बिलकुल हरा नहीं सकता। मैं इसे मानने को तैयार नहीं और मेरा ख्याल है कि चीन भी इसे जानता है। इसी तरह हम भी ऐसी हवाई बात नहीं सोच सकते कि किसी बड़ी लड़ाई में चीन को फतह किया जा सकता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : हमने कभी यह नहीं चाहा और न किसी ने ऐसा कहा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अगर आप वैसा चाहते नहीं हैं, तो फिर उसकी बातें क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि किसी ने ऐसा नहीं कहा। मैं कहता हूं कि तब फिर आप ऐसी बातें भी न कीजिये जिनका लाजिमी नतीजा यही निकलता हो। बात साफ है।

सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिये हर देश हर कीमत चुकाने के लिये तैयार रहता है। अपने देश की इज्जत, उसकी शान और उसकी आजादी—ये ऐसी ही चीजें हैं। इनके लिये हर कीमत बहुत थोड़ी होती है। हम इनकी कीमत के बारे में सोचते ही नहीं। इनकी हिफाजत करने की कोशिश में, मैदान में काम आजाना कहीं अच्छा है बनिस्पत झुकने या हथियार डालने के। हमारी बुनियादी बात यही है, हमारे सोचने का, और मुझे भरोसा है कि इस सभा और हमारी सारी जनता के सोचने का, यही बुनियादी तरीका है।

लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि इसके लिये हम जो भी कदम उठायें, उसे दुनियां की निगाहों में सही ठहराने की बात ही न सोचे, उसकी परवाह ही न करें। मान लीजिये कि हम लड़ाई की समस्याओं की बात सोचते हैं, तो उसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसके बारे में जानकार लोगों की क्या राय है। जानकार लोग मैं सिर्फ उनको ही नहीं मानता हूं जो फौजी वर्दियां पहिनते हैं। आचार्य कृपालानी जैसे गैर फौजी लोग भी फौजी मामलों के बड़े जानकार हो सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि वह भी यह राय तो दे ही सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिये। (**अन्तर्बाधा**)

आम बात है कि जब भी कोई लड़ाई या पुलिस कार्यवाही के बारे में बातें करता है तो पहले यह सोच लेता है कि किसके बाद क्या क़दम उ ाये जाने चाहिये। फौजी जनरलों को सबसे पहला काम यही करना पड़ता है कि वे अपने आपको बिलकुल भूल जायें, और अप -आपको दुश्मन की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फौजों के जनरल मानकर यह सोचना शुरू करें कि दुश्मन का जनरल क्या करेगा। और तब वह अपनी नीति बनायेंगे। इन मामलों पर सोचने और समझने का यही तरीका है। थोड़ा सा भी तजुर्बा रखने वाला, कोई भी फौजी जनरल ऐसी बात नहीं सोच सकता कि उसके सामने एक साफ मैदान पड़ा है और उसका दुश्मन बिलकुल बेवकूफ है जो खुद पीठ दिखा जायेगा। कहीं भी ऐसा नहीं होता। हर आदमी इन मामलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा अमली ढंग से सोचने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वह आदर्शवादी ढंग से भी सोच सकता है। मैं समझता हूं कि हम दोनों ही तरीकों से सोचते हैं--अमली भी और आदर्शवादी भी। इनमें से अगर एक को भी छोड़ दिया जाये तो नतीजा बुरा निकल सकता है। लेकिन अगर दोनों को छोड़ दिया जाये, तो फिर सोचिये हम कहां रहेंगे। तब तो हमें कोई सहारा तक नहीं मिलेगा।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहां सख्त शब्दों में अपनी कुछ रायें जरूर जाहिर की गई हैं, फिर भी एक मोटे तौर पर यह सभा इस मसले के बारे में एक राय है। हो सकता है कि कुछ सदस्य किसी एक बात पर जोर दें, और कुछ दूसरे सदस्य किसी दूसरे बात पर। हो सकता है कि छोटी-मोटी कुछ बातों के बारे में थोड़ा-बहुत कुछ मतभेद भी हो। लेकिन कुल मिला कर सभी इसके बारे में एकमत हैं।

आचार्य कृपालानी को इस बात का डर है कि वक्त हमारे खिलाफ़ पड़ रहा है, और चीन के अधिकारी शायद इस बीच में उन इलाकों में अपनी ताक़त मजबूत कर लेंगे। उन्होंने जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, उसका मतलब है कि वे उन इलाकों को अपनी बस्तियों में, उपनिवेशों में बदल लेंगे। चीनी लोग क्या कर सकते हैं या करेंगे। इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन जैसा कि राजा महेन्द्र प्रताप ने कहा है इन इलाकों को उपनिवेश बनाना, वहां बस्तियां बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं। उन्होंने इस इलाके को काफी देखा-भाला और तजुर्बा हासिल किया है। डा० राम सुभग सिंह ने जो यह कहा है कि इन इलाकों में कारखाने या उद्योग वगैरा स्थापित किये जाने चाहिये तो यह भी कोई आसान काम नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : लेकिन कोंगका दर्रे में उनके पास तीन-तीन टन वाले ट्रक मौजूद हैं।

†**श्री० जवाहरलाल नेहरू** : लेकिन उनसे तो उपनिशवे या बस्तियां नहीं बन जातीं। मैं आगे की बात तो नहीं जानता कि विज्ञान से क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक की बात जरूर कह सकता हूं कि पिछले दो-तीन हजार साल से अब तक कोई भी लद्दाख में वैसा कुछ नहीं कर पाया है। मैं इस वक्त सिर्फ लद्दाख की बात कर रहा हूं। अभी इस वक्त उस लम्बे-चौड़े इलाँके में इधर-उधर एक-दो छोटे-मोटे गांव ही हैं, या कुछ झोंपड़ियां नजर आती हैं। इसके अलावा वहा कोई आबादी नहीं है।

गर्मियों के दिनों में वहां कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को लेकर पहुंच जाते हैं और जाड़ो में वे भी वहां से चले आते हैं। आज कल सर्दी के दिन हैं, शायद इसकी याद दिलाने की तो कोई जरूरत नहीं। खोजबीन का काम करने वाले कुछ बड़े साहसी अनुसंधान कर्त्ताओं को छोड़ कर या इसी तरह के कुछ और लोगों को छोड़ कर, वहां उन इलाकों में कोई भी आसानी से नहीं रह सकता। वहां कोई रहता नहीं है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि काफ़ी बड़ी कोशिश के बाद उन

†मूल अंग्रेजी में

इलाकों में रहने के लायक हालात शायद पैदा किये जा सकते हैं। उन इलाकों में पैदावार तो बिल्कुल ही नहीं होती, हजारों साल से वे इलाके ऐसे ही पड़े हैं। और अगर विज्ञान की मदद से वहां के हालात बदले भी जायें तो उसमें काफी समय लग जायेगा। वह सब इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी): यह जो बार-बार कहा जाता है कि वहां कोई भी आबादी नहीं है, इसीसे चीनियों को प्रोत्साहन मिला है .... (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं उन इलाकों को उपनिवेश बनाने या वहां बस्तियां बसाने की बात का जिक्र कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं जो राजा महेन्द्र प्रताप कहना चाहते थे। हो सकता है कि कुछ लोग वहां ऐसा कर सकें, लेकिन असली तौर पर वह ठीक नहीं मालूम पड़ता। मैं समय की बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने यह बिल्कुल सही कहा है कि वहां एक सड़क बनाई गई है। श्री चाऊ एन-लाई ने अपने पत्र में इस सड़क का जिक्र किया है कि १९५५—५७ के अरसे में उसे ३,००० गैर-फौजी लोगों ने तैयार किया था। बिलकुल सही है। सभा को मालूम है कि एक सड़क बनाई गई थी। श्री चाऊ एन-लाई के पत्र में शायद अकसाई चिन इलाके की इस सड़क का जिक्र किया गया है। बात बिल्कुल सही है। लद्दाख के एक कोने में वह सड़क बनाई गई थी, और करीब दो साल तक हमें उसका कोई पता ही नहीं था। हो सकता है कि उसमें हमारी ग़लती रही हो, लेकिन यह बिलकुल सही बात है कि हमें दो साल तक उसका कोई पता नहीं था। जहां तक हमें मालूम है, अकसाई चिन इलाके में बनी उस सड़क के अलावा पूरे लद्दाख में पिछली गर्मियों तक कहीं कोई भी कार्यवाही चीनियों ने नहीं की थी। सबसे पहली बार पिछली गर्मियों में ही चीनी हमारे इन इलाकों में घुस आये थे, तिब्बत की बग़ावत को दबाने की कोशिशों के दौरान में। मैं आपको तथ्य ही बता रहा हूं, किसी दलील का जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। डा० राम सुभग सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उन लाक़ों में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने की बात नहीं कहते।

†**डा० राम सुभग सिंह**: यह ठीक है, लेकिन विज्ञान के इस युग में वह भी किया जा सकता है। इस युग में मास्को को पांच समुद्रों से सम्बन्धित किया गया है; अलास्का और साइबेरिया को समान रूप से विकसित किया जा चुका है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं साइबेरिया देख चुका हूं, इसलिये मुझे वहां की थोड़ी जानकारी है। पता नहीं एटम की शक्ति के इस ज़माने में क्या नहीं किया जा सकता। लेकिन नेफा की एक मिसाल हमारे सामने है। वहां ब्रिटिश शासकों ने दसियों साल में भी कुछ नहीं कर पाया था, जब कि हमने इस थोड़े से अर्से में वहां काफी कुछ कर दिखाया है। नेफा के लोग कुछ इस किस्म के हैं कि उनके बारे में कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने वहां अपने प्रशासन का काम फैलाया, और इन सबके अलावा वहां सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, खेती, वगैरह के मामलों में भी तरक्की करके दिखाई है। और, यह काम वहां जारी रहेगा।

हम चाहते हैं कि उन इलाकों की तरक्की हो, वे आगे बढ़ें, लेकिन वहां उद्योग कारखाने आदि स्थापित करना मुश्किल काम है। उद्योग कारखाने उन इलाकों में स्थापित करने चाहिये जहां आसानी से उनको आगे बढ़ाया जा सके, विकसित किया जा सके। इसके लिये पहाड़ों पर जाने से कोई फायदा नहीं। हां, अगर किसी पहाड़ी इलाके में खनिज पदार्थों की बहुतायत हो, तो जरूर उसका फायदा उठाया जाना चाहिये, उसका विकास करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर हम पिछली बातों को न लें, तो उस सूरत में आज, मौजूदा वक्त में हमें क्या करना चाहिये ? मैं फिर दोहराता हूं कि अब यह बात बिल्कुल साफ़ है, और इसके बारे में किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी तरह का सन्देह नहीं रह जाना चाहिये कि अगर अब चीनी लोग कहीं भी आगे क़दम बढ़ायेंगे तो उसका वहीं मुकाबला किया जायेगा, उसे रोका जायेगा, हम अपनी पूरी ताक़त उसे रोकने में लगा देंगे ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : जो इलाके चीन के क़ब्जे में हैं, उनके बारे में क्या होगा ?

पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो आ है उसके बारे में क्या कर रह हैं । आगे जो होगा, वह तो ठीक हैं ।

जवाहरलाल नेहरू : सारी बहस जो हो रही है वह उसी पर है जो अभी हुआ है और इसके बारे में क्या किया जाना चाहिये । अगर वह बात बिलकुल साफ़ होती तो आपको और मुझे तकलीफ उठाने की जरूरत न होती और यह बहस करने की जरूरत न होती । (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति । शान्ति ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्री वाजपेयी े मुझसे सीधा सवाल पूछा था, और इसीलिये मैं उसका सीधा जवाब दे रहा हूं कि असल में शुरू से हमारी यही नीति रही है—यह दूसरी बात है कि इस नीति को पूरी तरह या ठीक ढंग से अमल में लाया गया है या नहीं । नीति में कोई तब्दीली नहीं हुई है । और, नेफा के बारे में तो असलियत यही है कि वहां हमारी ताक़त की वहज से और मुकाबिला करने के हमारे इरादे की मजबूती की वजह से चीनी लोग, लौंग्ज् के तीन-चार मील के इलाक़े के अलावा, और कहीं भी नहीं घुस पाये हैं । उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या पंजाब, हमने हर कहीं सीमा के इन इलाकों में सभी जगह इनको आगे बढ़ने से रोका है, और रोकते रहेंगे ।

अब असल में सवाल यह है कि पूर्वी लद्दाख के इस काफी बड़े इलाके के बारे में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, जहां अकसाई-चिन के इलाके को छोड़ कर, चीनी लोग ज्यादातर पिछली गर्मियों में घुस आये थे । वह बात बिलकुल जायज है कि हमें उनको रोकना चाहिये था, उसका इन्तजाम उस इलाके में होना चाहिये था । काम मुश्किल जरुर था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम उसकी तरफ पूरी तवज्जह देते तो शायद रोक भी सकते थे । इस पर बहस करने से अब कोई फायदा नहीं । अब सवाल है कि इस मौजूदा परिस्थिति में इससे बाहर निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते रह गये हैं । या तो दोनों तरफ़ से इस ढंग की कोई बातचीत चलाई जाये जिसका कोई ठीक-ठीक नतीजा निकले, और शान्तिपूर्ण ढंग से इसका निबटारा हो जाये, या फिर एक-दूसरे पर ज़ोर जबरदस्ती से या दबाव से काम लिया जाये, जो हो सकता है कि पूरी लड़ाई की शक्ल न ले, या शायद ले भी ले । इन हालात में, आर्थिक प्रतिबन्ध कोई मायने नहीं रखते । और, इस ज़ोर जबरदस्ती को नाम जो भी दिया जाये, आप चाहे उसे लड़ाई न कह कर पुलिस कार्यवाही ही कहें, पर इसमें, हथियार बन्द लोगों का इस्तेमाल ही होगा । माननीय सदस्य जब ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि दूसरी तरफ भी हथियारों लोग हैं । इसलिये अगर हमें कोई ऐसी कार्यवाही करनी हो तो उसके लिये सबसे अच्छा मौका भी देखना पड़ेगा कि जब हमारी कार्यवाही का ज्यादा से ज्यादा असर हो सके । सिर्फ गुस्से में या बौखलाहट में तो ऐसी कार्यवाही नहीं की जाती । उसका नतीजा तो और भी उल्टा निकल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसीलिये, ऐसे मामलों में बातचीत के जरिये निबटारा करने की कोशिश के साथ ही अपनी ताकत भी मजबूत की जाती है ; इसलिये कि अगर कोई जरूरत पड़े तो अंचते ही न रहे । मैं इन ग्राम बातों को बार-बार दोहरा रहा हूं, इसीलिये कि इस मसले के बारे में कोई भी अस्पष्टता न रह जाये । हम भी इन्हीं नों नीतियों का पालन कर रहे हैं । हमने बातचीत के जरिये इसे निबटाने की कोशिश की है, क्योंकि यह तरीका सही ही नहीं, बिल्कुल जरूरी भी है । हर देश यही करता है । कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे देश का कट्टर से कट्टर दुश्मन होने पर भी पहले उसके साथ बातचीत करके अपना निबटारा करने की कोशिश न करे । दो देश एक-दूसरे के कट्टर से कट्टर दुश्मन होते हुए भी पहले बातचीत ही चलाते हैं । पिछले कुछ महीनों में, या शायद पिछले साल सोवियत यूनियन और अमरीका जैसे ताकतवर देशों के बीच कुछ बड़ी गम्भीर प्रकार की घटनायें देखने में आई थीं । कुछ बममार हवाई जहाजों को मार गिराया गया था और कई बातें हुई थीं। लेकिन उनको लेकर उन्होंने आपस में जंग शुरू भी नहीं की थी । दोनों ने उनके बारे में एक-दूसरे से बातचीत ही की थी और निबटारा कर लिया था । किसी मामले में कभी-कभी निबटारा नहीं भी हुआ, और कुछ के बारे में अभी तक कोई निबटारा नहीं हुआ है । कभी-कभी किसी ने हर्जाना भी भरा है । हालात जो भी हों, दोनों देश पहले बातचीत करके ही निबटारा करने की कोशिश करते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में यह एक जरूरी सी चीज़ हो जाती है । अगर यह न हो, तो कहीं कोई कानून ही न रहे। सभी देश अपनी मनमानी करने लगें । आप कह सकते हैं कि हमारे मामले में दूसरी तरफ से कुछ इसी तरह की कार्यवाही की जा रही है जैसे दुनिया का कोई भी का न उन पर लागू नहीं होता । हो सकता है कि यह बात सही भी हो । लेकिन यह बुरी चीज है और इसे रोकने के लिये सभी कुछ किया जाना चाहिए । तब भी पहले बातचीत तो करनी ही पड़ेगी । बातचीत का भी महत्व और असर तभी होता है जब उसके पीछे ताकत हो ; कमजोर देश या कमजोर आदमी बातचीत चला ही नहीं सकता । इसलिये, बातचीत के मामले में भी असल जरूरत यही है कि आपके पास ताकत होनी चाहिए । तब जाहिर है कि अपने बाजुओं को और मजबूत बनाना, अपनी ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है । यह करना ही होगा ।

माननीय सदस्य यह भी पूछ सकते हैं कि अगर बातचीत का कोई नतीजा न निकला तब उस सूरत में आप क्या करेंगे ? वह मैं अभी नहीं बता सकता, और अभी इस वक्त सब बताना ठीक भी नहीं है । लेकिन यह जरूर है, इतनी बात तो साफ है कि हमें हर हालत में अपनी ताकत बढ़ाना है जिससे कि हम हर स्थिति का पूरी तौर से सामना कर सकें, अगर उसकी नौबत आ पड़े । कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा कुछ इशारा किया कि हमें चीन से बात ही नहीं करनी चाहिये । यह एक ऐसी चीज़ होगी, जिसे दुनिया का कोई भी देश ठीक नहीं समझेगा ।

आचार्य कृपलानी का ख्याल शायद यह है कि इसमें सारी गलती हमारे प्रचार की है । ये कुछ इस किस्म के मामले हैं, जिनके बारे में सभी देश खुद अपने वैदेशिक कार्यालयों के जरिये पूरी जानकारी हासिल करते रहते हैं, हम उन्हें बतायें या चाहे न बतायें । हमारी अगर ग़लती कोई हो, तो भी दूसरे देश ऐसे मामलों की पूरी जानकारी अपने दफ्तरों के जरिये हासिल करते रहते हैं । ऐसे मामलों में सभी देश दिलचस्पी रखते हैं. इस मामले में भी सभी देशों को दिलचस्पी है इसलिये कि वे इसकी मुमकिनात को देखते हैं ; वे देखते हैं यह चीज और आगे बढ़ कर एक कितनी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकती है । हर देश ने इसे देखा-समझा है, और हमने भी अपनी तरफ से उनको इस समझने में कुछ मदद दी है । यदि वे देश, मान लीजिये आचार्य कृपलानी के नज़रिये को ठीक नहीं समझते, तो उससे यह नतीजा तो नहीं निकाला जा सकता कि हमारी कोई गलती हो गई है । यह भी तो हो सकता है कि आचार्य कृपलानी का नज़रिया ही गलत हो ।

†**आचार्य कृपालानी :** यदि आप अपने प्रचार कार्य से सन्तुष्ट हैं, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं, सवाल मेरे सन्तुष्ट होने का नहीं है । लोग शायद यह सोचते हैं कि अगर हम ज़ोर से चिल्ला कर अपनी बात कहें तो दूसरी तरफ या दूसरे देशों के लोग उसे सही मान लेंगे । ऐसे मामलों में प्रचार की कोई बड़ी अहमियत नहीं होती । ऐसे मामलों में प्रचार का मक़सद सिर्फ इतना होता है कि पूरी जानकारी लोगों के सामने रख दी जाये । अपने देश की ही बात लीजिये । हम अपने देश के बाहर के किसी भी मामले के बारे में उस देश के ज़रिये किये गये प्रचार को देख कर तो कोई फैसला नहीं करते । क्या बहुत अच्छे ढंग से किये गये प्रचार को देख कर ही हम किसी देश की तरफदारी करने लगते हैं ? यूरोप, या दक्षिण अमरीका, या अफ्रीका, या एशिया, या दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में जो कुछ भी होता है, उसके बारे में हम कोई भी राय उस देश के प्रचार को देख कर, उसकी बिना पर तो नहीं बनाते । हम उनके बारे में खुद अपने दफ्तरों के ज़रिये पूरी-पूरी जानकारी हासिल करते हैं, और फिर उसकी बिना पर हम अपना कोई फैसला करते हैं । हर देश के अपने राजदूत और प्रचार करने वाले लोग रहते हैं और उनके ही ज़रिये वे जानकारी हासिल करते हैं । छोटे-मोटे मामलों के बारे में शायद हम जानकारी हासिल नहीं भी कर पायें; दंगों वगैरह के मामलों मे ऐसा हो सकता है । लेकिन दो देशों से ताल्लुक रखने वाले बड़े-बड़े मामलों में सभी देशों की दिलचस्पी होती है और उन्हें पूरी-पूरी जानकारी रहती है । इसके बिना काम ही नहीं चल सकता । भारत और चीन जैसे बड़े-बड़े देशों से ताल्लुक रखने वाले इतने बड़े मामले के बारे में हर देश को पूरी-पूरी जानकारी रखनी पड़ती है । किसी की जानकारी ग़लत है, या सही, यह बिल्कुल ही दूसरी बात है । लेकिन सभी देश इसकी पूरी-पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और हम भी उनको पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं ।

यह मान लेना ग़लत होता है कि हम जो भी सोचते-समझते हैं वही सौ फीसदी सही है । हम भी कभी-कभी ग़लतियां कर सकते हैं । हम भी तो आखिर हैं इन्सान ही । हम भी दूसरों की तरह ग़लतियां कर सकते हैं । अगर हम कोई एक फैसला करके उसको ही सौ फीसदी सही मान बैठें, तो फिर आगे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती । किसी कड़ी कार्यवाही की जरूरत हुआ करती है । कार्यवाही करनी या कार्यवाही करने की ताकत होनी हमेशा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना खाली शब्दों, खाली नारों की कोई अहमियत नहीं होती । हां, लेकिन यह भी जरूरी है कि कोई भी कार्यवाही करने से पहले उसके परिणाम सोच लिये जायें, यह समझ लिया जाये उसका फल क्या निकलेगा, उससे हासिल क्या होगा । इसलिये कि हर कार्यवाही किसी उद्देश्य से ही की जाती है, ऐसी कार्यवाही तो बेमतलब होगी जिसका कोई नतीजा ही न निकले । इसलिये इन बातों पर भी ग़ौर करना ही पड़ेगा ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या लद्दाख के मामले में हम सौ फीसदी सही नहीं हैं ? यह कहना कि हम सौ फीसदी सही नहीं हैं, अपने पक्ष को कमजोर बनाना है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस मामले में मैं समझता हूं कि हमारी बात सही है, **बहुत सही है** । हमारी बात में काफी वजन है ।

†**श्री नाथपाई :** क्या वह सौ फीसदी सही नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ऐसे सवाल मुझसे नहीं पूछे जाने चाहिये । ऐसे हालात के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है । मैं माननीय सदस्य से निजी तौर पर इस मामले पर बात कर सकता हूं,

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये कि ये बड़े पेचीदा किस्म के मामले हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि तिब्बत की पिछली सरकार के साथ एक-दो इलाकों के बारे में हमारी लिखा पढ़ी चलती रही है। काफी अर्से से उन एक-दो इलाकों के बारे में कोई निबटारा नहीं हुआ।

इन मामलों में कई बातों पर ग़ौर करना पड़ता है। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं कि हमारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चीन सरकार का ख्याल है कि उनकी बात सही है। उनका तो यही यकीन है।

किसी देश की सीमा के बारे में चर्चा करते समय बहुत सी पिछली, बहुत पहले की बातें उखाड़ी जाती हैं और उन पर चर्चा की जाती है। मैं समझता हूं कि चीन का पक्ष बहुत कमज़ोर है। उन्होंने बहुत पहले के इतिहास के पन्नों को पलटा है और उसके बारे में सवाल उ ाये हैं। वैसे मेरा अपना ख्याल है कि यह बड़ी ग़लत बात है; लेकिन जो भी हो, हमें दूसरों के ेसे सवालों का जवाब तो देना पड़ता है। हम यह तो नहीं कह सकते कि उनके सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बात सही है, फिर भी इस तरह का जवाब ो नहीं दिया जाता। हमारी बात चाहे १०० फीसदी सही हो या ९९ फीसदी, फिर भी दूसरों के सवालों का जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कि हम अपने सवालों के जवाब उनसे चाहते हैं। ऐसा न हो, तो फिर कोई बातचीत चल ही नहीं सकती। और तब उस सूरत में हथियारों के ज़ोर पर ही उनका निबटारा किया जा सकता है और फिर जिसकी भी लाठी जितनी लम्बी होगी, उसको उतनी ही ज्यादा कामयाबी मिलेगी। ऐसे ो काम नहीं चल सकता कि हमें किसी के सवालों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं। हमें अपनी तरफ से दलीलें देनी पड़ेंगी और ऐसी दलीलें देनी पड़ेंगी कि उसे दूसरे देश भी सही मानें।

आचार्य कृपलानी ने भी कुछ दूसरे देशों का जिक्र किया था वे देश कोई बेवकूफ़ तो हैं नहीं। वे लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी उन देशों ने इस मामले को अपनी-अपनी तरह से देखा-समझा है।

मैकमोहन लाइन के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। हमने अपनी बात को काफ़ी जोर देकर कहा है। जहां तक मेरी बात है, मुझे तो इसमें जरा भी शक नहीं कि मैकमोहन लाइन की हमारी सीमा बिलकुल ठीक है। तना ही नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि मैकमोहन लाइन से पहले से जो हमारी सीमा बनी चली आई थी, उसी को मैकमोहन लाइन के जरिये पक्का कर दिया गया था। मैकमोहन लाइन में नया कुछ नहीं बनाया गया था। सिर्फ यह हुआ था कि संघर्ष के बाद सीमा को एक साफ़ तरीके से खींच दिया गया था। लद्दाख का इतिहास देखिये। १८४२ में ल ाख के शासक महाराजा गुलाब सिंह और तिब्बत के शासक के बीच एक जंग हुई थी। महाराजा गुलाबसिंह उस वक्त के पंजाब के शासक के एक सामंत थे, और उस वक्त के तिब्बत के शासक चीन के सम्राट के एक सामन्त थे। उस जंग में महाराजा गुलाबसिंह की फौजों ने फ़तह पाई थी, और उसके बाद दोनों में एक सन्धि हुई थी, जिसमें माना गया था कि लद्दाख काश्मीर राज्य का ही एक हिस्सा है। बाद में इस सीमा को दिखाने के लिये जमीन पर तो कोई निशान नहीं बनाये गये थे, लेकिन अंग्रेजों के सर्वे करने वाले लोगों (सर्वेक्षकों) ने नक्शों में उसे साफ़-साफ़ दिखा दिया था।

अब अगर उसके एक-दो इलाकों के बारे में कोई आपत्ति करे कि उनको ग़लत दिखाया गया था, तो वह बात तो समझ में आने वाली है। इस लिये कि वहां जमीन पर उसके कोई निशान नहीं बनाये गये थे और उन इलाक़ों में कोई आबादी भी नहीं है। वहां न कोई प्रशासन है और न कोई टैक्स ही लगता है। यानी कोई ठोस सबूत नहीं है। अब ऐसी हालत में अगर कोई ठोस

सबूत है तो यही कि वहां जाने वाले यात्रियों ने उन इलाकों के बारे में क्या लिखा था और नक्शों में उन इलाक़ों को कहां दिखाया गया है । इसीलिये मैं कहता हूं कि छोटे-मोटे इलाकों के बारे में कुछ सवालात उठ सकते हैं । लेकिन ११२ साल पहले हुई उस संधि में लद्दाख की जो बुनियादी सीमा मानी गई थी, उसको तो ग़लत नहीं कहा जा सकता । नक्शों में वह मौजूद है।

इस में शक नहीं कि कुछ नक्शो में भी फ़र्क़ है, और यात्रियों के ब्यौरे भी एक ही तरह के नहीं हैं । लेकिन उन के बारे में आपसी तौर पर बैठ कर बात चीत की जा सकती है । कोई यह तो नहीं कह सकता कि वह इन मामलो पर बात ही नहीं करेगा । इस मामले में बुनियादी चीज यह नहीं है कि सीमा पर कुछ भिड़ंतें हो गई हैं, बल्कि यह है कि वे लोग एक बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाके में घुस आये हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, अकसाई-चिन के अलावा लद्दाख के इलाके में इस तरह वे पिछली गर्मियों में ही आये थे ।

इस तरह के मामलों में यह दलील बिलकुल ग़लत है कि जिसने कब्ज़ा जमा लिया है, इलाका उसी का हो गया । देश के किसी एक कोने में किसी दूसरे देश के घुस-बैठने से उसकी सम्पूर्ण प्रभुता खत्म नहीं हो जाती । कोई भी देश अपनी फौजो को अपनी सारी सीमा पर फैलाये नहीं रखता । एकाध इलाके में कोई भी देश कभी भी घुस सकता है, लेकिन इस से वहां उसकी सम्पूर्ण प्रभुता तो खत्म नहीं होती ।

इसीलिये मैं कहता हूं कि इस मामले में अब इस वक्त बुनियादी बात यह नहीं है कि हमें उनके साथ बात चीत नहीं करनी चाहिये । बात चीत तो हमेशा करनी ही चाहिये । और यह कहना भी कोई मायने नहीं रखता कि इस मामले में बात चीत का कोई नतीजा निकलेगा। नतीजा न भी निकले तो भी बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वह एक तरीक़ा है, जो अपनाना होता है । जैसे ही आप यह कहना शुरू करेंगे कि हम बात चीत करने के लिये भी तैयार नहीं, वैसे तो सारी दुनिया के लोग यही सोचने लगेंगे कि आप बातचीत करने से इसीलिये डर रहे हैं कि आपकी बात ग़लत है। आपको उस से डर लगता है । लोग यही सोचेंगे।

लेकिन बात चीत की कीमत भी तभी होती है जब उस के पीछे कुछ ताक़त हो। इन सब चीजो को देखने के बाद, सोचने-समझने के बाद, आखिर में यही है कि हमें अपनी ताकत मजबूत करनी चाहिये । मैं ने पिछली बार भी यही कहा था। बहस इसकी जगह नहीं ले सकती। उस में कुछ महीने या साल भर या उस से भी कुछ ज्यादा अर्सा लग सकता है । कितना अर्सा लगेगा, यह मैं नहीं कह सकता । जितना भी लगे, लेकिन मैं जो कह रहा था वह यह है कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण से हमारी सीमाओं पर पैदा होने वाली इस परिस्थिति का एक बड़ा एतिहासिक महत्व है। भारत और चीन दोनों ही बहुत बड़े बड़े देश हैं। दोनों की बड़ी लम्बी-चौड़ी सीमायें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और पहली बार दोनों देशों में इन सीमाओं के बारे में ऐसा झगड़ा पैदा हुआ है । ये सीमायें बड़ा महत्व रखती हैं। अगर दोनों देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहें तो भी इन लम्बी चौड़ी सीमाओं से खतरा बना रहता है ? लेकिन अगर दोनों देशों के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण न रहें तब तो फिर बहुत ही बुरी बात होगी । इसीलिये सीमाओं के बारे में खड़े होने वाले इस झगड़े का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, सिर्फ भारत और चीन के लिये नहीं बलिक एशिया के सभी देशों के लिये। और दूसरी बातों को छोड़ भी दीजिए, तो भी हमारे लिये सब से जरूरी यही है कि हम सब से पहले अपनी ताकत मज़बूत करें । और उसके बाद हम सोच सकते हैं कि उस ताक़त का इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिये ।

ताक़त मजबूत करन का मतलब यह है ही कि फौजो को, प्रतिरक्षा की मशीन को मजबूत किया जाये, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिये कि आज की दुनिया में प्रतिरक्षा की ताक़त का मतलब होता है उद्योगों की ताक़त। उद्योग ही देश को रक्षा करने की ताक़त देते हैं। इसलिये अपनी फौजों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और हथियारों से ज्यादा से ज्यादा लैस रखने के साथ ही, हमें अपनी असल ताक़त को, औद्योगिक ताक़त को भी बढ़ाना चाहिये, जो तेज़ी के साथ औद्योगीकरण द्वारा ही हो सकता है।

और सिर्फ़ औद्योगीकरण ही नहीं बलिक पहले से बेहतर खेती भी होनी चाहिये ; बेहतर उद्योग भी होने चाहिये क्योंकि तभी देश में ताक़त पैदा होती है और संकट का मुकाबला करने लायक मजबूती पैदा होती है। दूसरे देश इसी तरह ताकतवर बने हैं। आजकल दुनिया में हम जिन्हें बड़ी-बड़ी ताकतें कहते हैं, या जिन्हें बीच के दर्जे की ताकतें मानते हैं, वे सब इसी तरह ताक़तवर बने हैं। आजकल उनकी पूछ इसीलिये होती है कि वे अपने यहां उत्पादन बढ़ाने के लिये मौजूदा जमाने के सब से अच्छे तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह की चीजों से उनकी ताक़त बनती है। इसलिये आज सब से बुनियादी बात, सब से बुनियादी जरूरत इसी बात की है कि हम आर्थिक और सामाजिक नतीजे से पिछड़े हुए न रह पायें, एक आधुनिक देश बनें।

हमें इन्हीं बुनियादी मसलों को हल करना है। हमारे देश के सामने आज यही एक बड़ी चुनौती है और यह चुनौती आगे आने वाले वक्त के लिये ज्यादा है। इसलिये कि अगर एशिया में, अगर एशिया के देशों में एक उच्चित संतुलन पैदा नहीं किया जायगा, तो हम वह सब कुछ नहीं कर पायेंगे जो हम करने को सोच रहे हैं।

इस लिये मेरा सभा से अनुरोध है कि वह इस मामले पर तात्कालिक खतरे के नजरिये के साथ ही, इस व्यापक नजरिये से भी गौर करे। सभा इस मामले को किसी एक पार्टी का मामला न समझे, बलिक अपने पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का एक बहुत महत्व पूर्ण मामला समझे।

†**श्री बृजराज सिंह** : आचार्य कृपालानी को उत्तर देना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस चर्चा की अनुमति नियम १९३ और १९५ के अन्तर्गत दी गई थी। नियम १९५ में स्पष्ट कहा गया है कि कोई प्रस्ताव नहीं होगा न कोई मतदान होगा, और न उत्तर देने का अधिकार होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई।

------

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५९ / १ पौष, १८८१ (शक)]

विषय | पृष्ठ

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३१४५—९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
११२५	युद्ध सामग्री कारखाना, खमरिया	३१४५—४८
११२६	दिल्ली में अध्यापक	३१४८—५०
११२७	जनौड़ी और बथुला में तेल की खोज	३१५०-५१
११२८	सैनिक गाड़ियों का निर्माण	३१५१—५३
११२९	नये विश्वविद्यालय	३१५३-५४
११३०	इंगलैंड में भारतीय क्रिकिट टीम	३१५४-५५
११३१	हिन्दुस्तान स्टील लि० में लेखा प्रणाली	३१५६
११३२	केरल शिक्षा अधिनियम	३१५७
११३३	भारत में संग्रहालयों की डाइरेक्टरी	३१५८-५९
११३४	केरल में भूमिहीन मजदूर	३८५९-६०
११३५	दिल्ली में यमुना को मोड़ना	३१६१-६२
११३६	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	३१६२—६४
११३७	बिहार-पश्चिमी बंगाल सीमा-विवाद	३१६४-६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३१६५-३२२९
तारांकित प्रश्न संख्या		
११३८	शिक्षा संस्थाओं में अनुशासनहीनता	३१६५-६६
११३९	चोरी छिपे माल लाना व ले जाना	३१६६
११४०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त	३१६६-६७
११४१	स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम का लागू होना	३१६७
११४२	रिहांड बांध परियोजन	३१६८
११४३	त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के लेखे	३१६८
११४४	विदेशी मुद्रा	३१६८
११४५	अन्दमान में धान के खेतों में रोग	३१६८-६९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

११४६	पिंटो और रौटरी तेल मिल . . .	३१६९
११४७	शुद्ध माप-यंत्रों का निर्माण	३१६९–७०
११४८	उड़ीसा में खनिजों की खोज	३१७०
११४९	रद्दी लोहे का निर्यात	३१७०
११५०	हिन्दी असिस्टेंट	३१७०-७१
११५१	तीन-वर्षीय स्नातक पाठ्य-क्रम . . .	३१७१
११५२	खान्डसारी पर उत्पादन-शुल्क	३१७२
११५३	अमरीका से ऋण	३१७२
११५४	नागा विद्रोही	३१७२–७३
११५५	शिवसागर में तेल की खोज	३१७३
११५६	विदेशी राष्ट्रजनों के निवास के लिये परमिट . . .	३१७३
११५७	बम्बई राज्य का विभाजन	३१७३–७४
११५८	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण . . .	३१७४
११५९	निवेली में उर्वरक कारखाना	३१७४–७५
११६०	पुरातत्व विभाग	३१७५
११६२	संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि में भारत का अंशदान .	३१७५
११६३	विशेष प्रकार का इस्पात	३१७६
११६४	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	३१७६
११६४-क	सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति	३१७६–७७
११६४-ख	भारत को अमरीकी सहायता	३१७७
११६५	बिना पार-पत्र के विदेशी राष्ट्रजन	३१७७
११६६	भारत-पाक वित्त वार्ता	३१७८
११६७	दिल्ली में पकड़े गये चाकू	३१७८
११६८	नवयुवकों के लिए सैनिक शिक्षण	३१७८–७९
११६८-क	सोने का तस्कर व्यापार	३१७९
११६८-ख	नेशनल एटलस आर्गेनाइजेशन आफ इंडिया का मुख्य कार्यालय .	३१७९
११६९	बोकारो में इस्पात का कारखाना	३१८०
११७०	सोने का तस्कर व्यापार	३१८०
११७१	केरल में हरिजन कल्याण विभाग	३१८१
११७२	आय-कर जांच आयोग के भूतपूर्व सदस्य . . .	३१८१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

११७३	तेल का उत्पादन	३१८२
११७४	अपंगों के लिये निःशुल्क शिक्षा	३१८२
११७५	देशीयकरण के लिये चीनी राष्ट्रजनों के प्रार्थना-पत्र . .	३१८२
११७५–क	नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण	३१८३

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८९९	भारत के राज्य बैंक की शाखाएं	३१८३
१९००	अनुसूाचत तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का बम्बई का दौरा	३१८३–८४
१९०१	पंजाब में पौलीटेक्निक	३१८४
१९०२	इलाहाबाद उच्चन्यायालय	३१८४
१९०३	कैदियों की सजाओं में छूट	३१८४–८५
१९०४	दिल्ली में करों की वसूली	३१८५
१९०५	उड़ीसा में हाल तथा आडिटोरियम . . .	३१८५
१९०६	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का पंजाब का दौरा	३१८५–८६
१९०७	पंजाब में बालिकाओं को शिक्षा	३१८६
१९०८	पंजाब में कल्याण विस्तार परियोजनायें . .	३१८६
१९०९	पंजाब में आदिम जाति विकास	३१८६–८७
१९१०	पंजाब में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	३१८७–८८
१९११	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	३१८८
१९१२	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का उत्तर प्रदेश का दौरा	३१८८
१९१३	दिल्ली की सामान्य शिक्षा योजनायें	३१८८
१९१४	भारत में अनधिकृत प्रवेश.	३१८९
१९१५	दिल्ली में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन मामले .	३१८९
१९१६	पंजाब में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां .	३१८९
१९१७	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	३१८९–९०
१९१८	भारत में प्रतिबन्धित पाकिस्तानी पुस्तकें . . .	३१९०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१९१९	नालीदार लोहे की चादरों का आयात	३१९०
१९२०	वित्त मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	३१९०–९१
१९२१	भारत में पाकिस्तानीयों की गिरफ्तारी	३१९१
१९२२	पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि-बस्तियां	३१९१
१९२३	विदेशों में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का प्रशिक्षण	३१९१
१९२४	विश्वविद्यालयों में गांधी भवन	३१९२
१९२५	अन्दमान द्वीप समूह में विकास कार्य	३१९२
१९२६	संगीत नाटक अकादमी	३१९२–९३
१९२७	दिल्ली में तम्बुओं में सरकारी स्कूल	३१९३
१९२८	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी	३१९३
१९२९	सामुदायिक विकास मंत्रालय और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में समन्वय	३१९३–९४
१९३०	कर्मचारियों की सेवा की अवधि में वृद्धि	३१९४
१९३१	राज्य संग्रहालय	३१९४–९५
१९३२	अखिल भारत सर्व सेवा संघ को अनुदान	३१९५
१९३३	इस्पात संयंत्रों पर व्यय	३१९५
१९३४	दिल्ली में भूमि की कीमतों में वृद्धि	३१९५
१९३५	पन्ना में हीरे की खानें	३१९५–९६
१९३६	सफेद सीमेन्ट	३१९६
१९३७	इंजीनियरिंग संस्थाओं में वेतन ढांचा	३१९६
१९३८	फिल्म वित्त निगम	३१९६–९७
१९३९	निकोबार द्वीप समूह में व्यापार के लिये लाइसेंस	३१९७
१९४०	मैट्रिक के बाद की पढाई के लिये छात्रवृत्तियां	३१९८
१९४१	युद्ध-सामग्री कारखानों में निर्मित सामान के लिये प्रदर्शन-कक्ष	३१९८
१९४२	भ्रष्टाचार	३१९८
१९४३	संस्थाओं को शिक्षा अनुदान	३१९८
१९४४	भारतीय वनस्पति उद्यान, शिबपुर (हावड़ा)	३१९९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९४५	कसौली में मकान	३१९९
१९४६	उच्चतर शिक्षा पर व्यय	३१९९–३२००
१९४७	नागपुर में सुरमा अयस्क	३२००
१९४८	केरल का सरकारी रबड़ कारखाना	३२००
१९४९	लाल किला, दिल्ली	३२०१
१९५०	औद्योगिक परियोजनायें	३२०१
१९५१	दिल्ली नगर निगम द्वारा किराये का भुगतान	३२०२
१९५२	केरल में हड़ताल	३२०२
१९५३	बम्बई में खनिज तेल	३२०२–०३
१९५४	चांदी	३२०३
१९५५	असिस्टेंटों की नियमित अस्थायी कर्मचारी सूची	३२०३
१९५६	विदेशी मुद्रा	३२०४
१९५७	निवेली में इस्पात संयंत्र	३२०४
१९५८	अस्पताल	३२०५
१९५९	केरल में अध्यापकों का तबादला	३२०५
१९६०	केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन	३२०५–०६
१९६१	भ्रष्टाचार के मामले	३२०६
१९६२	केरल राज्य परिवहन निकाय	३२०६–०७
१९६३	तेल के विकास के लिये रूसी सहयोग	३२०७
१९६४	पंजाब में खनिज सर्वेक्षण	३२०७
१९६५	त्रिवेन्द्रम में सरकारी वकील की नियुक्ति	३२०७–०८
१९६६	तेल समकारी निधि	३२०८
१९६७	रायल इण्डियन नेवी के विद्रोही	३२०८
१९६८	नेपाली भाषा	३२०८–०९
१९६९	त्रिपुरा की झूमिया आदिम जाति	३२०९
१९७०	मारकोनी वायरलेस टेलीग्राफ कम्पनी के साथ करार	३२०९
१९७१	बनिखेल में बढ़ई गीरी का केन्द्र	३२०९–१०
१९७२	इस्पात की चादरों का आयात	३२१०
१९७३	अन्दमान में तकावी ऋण	३२१०
१९७४	अन्दमान से नारियल का निर्यात	३२१०–११

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९७५	सरायकेला और खारस्वान . .	३२११
१९७६	दिल्ली दरवाजा, अर्काट . . .	३२११-१२
१९७७	केरल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति .	३२१२
१९७८	पोर्ट ब्लेयर के नारियल बागान	३२१२
१९७९	हरिजन कल्याण विभाग, केरल . . .	३२१३
१९८०	सीमा शुल्क	३२१३
१९८१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अध्ययन दल	३२१३
१९८२	भारतीय संस्कृति पर पुस्तिकायें	३२१४
१९८३	उड़ीसा राज्य को अनुदान	३२१४
१९८४	बम्बई में खनिज पदार्थ . . .	३२१४-१५
१९८५	लौह कचरा	३२१५
१९८६	पैट्रोल की कीमत	३२१५
१९८७	पुलिस कर्मचारियों के लिये गृह-निर्माण . . .	३२१६
१९८८	घाना को भेजे गये भारतीय विमान . . .	३२१६
१९८९	देर तक काम करने के लिये झूठे प्रमाण-पत्र . .	३२१६-१७
१९९०	लोहे के कबाड़ का निर्यात	३२१७
१९९१	ग्वालियर में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि . . .	३२१७-१८
१९९२	मनीपुर में भूमि का अधिग्रहण	३२१८
१९९३	मनीपुर में मछली मारने और बन महालों के ठेके . .	३२१८
१९९४	त्रिपुरा के मुसलमानों को ऋण	३२१८-१९
१९९५	त्रिपुरा में तकाबी ऋण	३२१९
१९९६	रियांग लोगों का प्रव्रजन	३२१९-२०
१९९७	सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते . . .	३२२०
१९९८	भूतपूर्व इण्डो-मरकेंटाइल बैंक, केरल के कर्मचारी . .	३२२०
१९९९	प्रतिरक्षा मंत्रालय में पत्रकार	३२२०-२१
२०००	वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज	३२२१-२२
२००१	बाढ़ सहायता	३२२२
२००२	स्वयंसेवक दल	३२२२
२००३	जम्मू और कश्मीर में प्राचीन स्मारक . . .	३२२२-२३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२००४ मकान किराया और प्रतिकरात्मक भत्ते . . .	३२२३
२००५ उत्तर प्रदेश का खान सम्बन्धी सर्वेक्षण . . .	३२२३
२००६ उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	३२२४
२००७ छावनी बोर्डों को अनुदान	३२२४
२००८ कमलपुर में संग्रहालय . . .	३२२४
२००९ इस्पात कारखाना	३२२५
२०१० केन्द्रीय सचिवालय सेवा	३२२५
२०११ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना	३२२६
२०१२ सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना . .	३२२६
२०१३ उत्तर प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण .	३२२६–२७
२०१४ हिन्दी असिस्टेंट	३२२७–२८
२०१५ जालसाज़ी विरोधी दस्ता	३२२८
२०१६ लोधी रोड, नई दिल्ली में हायर सेकेन्डरी स्कूल . .	३२२८
२०१७ सीता राम मिल, केरल में अग्नि-काण्ड . .	३२२८–२९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२२९–३१

(१) केन्द्रीय, बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकासी) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२१ की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) २९ नवम्बर, १९५९ को जमुरिया बाजार, आसनसोल में हुये विस्फोट की जांच का प्रतिवेदन।

(दो) १३ दिसम्बर, १९५९ को बेगम बाजार, हैदराबाद में एक तिमंज़ले मकान में हुये विस्फोट के बारे में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर का दिनांक १६ दिसम्बर, १९५९ का प्रतिवेदन।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत (केन्द्रीय सरकार के) समवायों के सामान्य नियम तथा प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६४ की एक प्रति।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(४) राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में निकाली गई दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ को उदघोषणा के खंड (ख) के साथ पठित केरल साहूकार अधिनियम, १९५८ की धारा २१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित दिनांक १३ अक्तूबर, १९५९ की अधिसूचना संख्या ८०४५ (५९) आईए४ की एक प्रति, जिसमें केरल साहूकार नियम, १९५९ दिये हुये हैं।

(५) राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में निकाली गई दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ की उद्घोषणा के खंड (ख) के साथ पठित वेतन तथा भत्तों का भुगतान अधिनियम, १९५१ की धारा १० की उपधारा (२) के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित दिनांक २ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पी) ५५२ की एक प्रति, जिसमें केरल के मंत्रियों के तथा अध्यक्ष के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते सम्बन्धी नियम, १९५९ दिये हुये हैं।

(६) औषधि परियोजनाओं तथा मध्यवर्ती परियोजना के स्थानों के बारे में वक्तव्य की एक प्रति।

(७) संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५८–५९ के प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति।

(८) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६३ की एक प्रति।

संसदीय समितियों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखे गये ३२३१

(१) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की नवें सत्र में हुई सोलहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश।

(२) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की नवें सत्र में हुई सत्रहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश।

राज्य सभा से सन्देश ३२३१

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त तीन सन्देशों की सूचना दी कि राज्य सभा को निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(एक) चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५९, जो लोक-सभा द्वारा १७ दिसम्बर, १९५९ को पारित किया गया था।

विषय पृष्ठ

राज्य-सभा से सन्देश—(क्रमशः)

(दो) खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक, १६५६, जो लोक-सभा द्वारा १८ दिसम्बर, १६५६ को पारित किया गया ।

(तीन) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १६५६, जो लोक-सभा द्वारा १७ दिसम्बर, १६५६ को पारित किया गया ।

अधीनस्थ विधान-सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३२३१

सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित ३२३२

अड़सठवें, उनहत्तरवें तथा सत्तरवें प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . . ३२३२—३४

वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने वित्तीय और हिसाब सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में ४ दिसम्बर, १६५६ को तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ पर श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित ३२३४—३६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) ने प्रस्ताव किया कि मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १६५६ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ ।

नियमों में रूप-भेद करने के बारे में प्रस्ताव ३२३६—४६

(१) श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्री त० ब० विट्ठल राव तथा श्री आबिद अली द्वारा कोयला खान बचाव नियम, १६५६ में रूप-भेद करने के बारे में पन्द्रह प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । श्री सतीश चन्द्र सामन्त और श्री आबिद अली द्वारा प्रस्तुत तीन प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

(२) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन द्वारा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, १६५६ में रूप-भेद करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उड़ीसा खनन निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ३२४६—५५

श्री पाणिग्रही ने प्रस्ताव किया कि यह सभा उड़ीसा खनन निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १६५७ और १६५७–५८ के पहले और दूसरे वार्षिक

विषय पृष्ठ

उड़ीसा खनन निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—(क्रमशः)

प्रतिवेदनों पर विचार करती है । चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[लोक-सभा ३–४५ म० बजे स्थगित हुई और ४ म० प० बजे पुनः समवेत हुई ।]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा ३२५५—८१

आचार्य कृपालानी ने भारत के प्रधान मंत्री के दिनांक १६ नवम्बर, १९५९ के पत्र के उत्तर में चीन के प्रधान मंत्री से प्राप्त पत्र पर चर्चा आरम्भ की । प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

[लोक-सभा ६–३२ म० प० बजे अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई ।]

दूसरी लोक-सभा के नवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	१६ नवम्बर, से २२ दिसम्बर, १९५९ २५ कार्तिक से १ पौष, १८८१ (शक)
२. बैठकों की संख्या	२७
३. बैठकों के कुल घण्टों की संख्या	१६६ घंटे १७ मिनट
४. मत-विभाजनों की संख्या	११
५. सरकारी विधेयक—	
(१) सत्र के प्रारम्भ में विचाराधीन	८
(२) पुरःस्थापित किये गये	१७
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	१
(४) प्रवर समिति को सौंपा गया	कोई नहीं
(५) संयुक्त समिति को सौंपे गये	४
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	कोई नहीं
(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	१
(८) पारित किये गये . . .	१८
(९) राज्य सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के वापस किये गये . .	५
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित वापस किया गया	१
(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन .	९
६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक :—	
(१) सत्र के प्रारम्भ में विचाराधीन	९९
(२) पुरःस्थापित किये गये . .	६
(३) वापस लिया गया . . .	कोई नहीं
(४) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१०४
(५) अस्वीकृत हुआ . . .	कोई नहीं
७. सरकारी संकल्प:—	
प्रस्तुत किया गया . . .	कोई नहीं

सरकारी सदस्यों के संकल्प—

(१) प्राप्त हुये	७८१
(२) स्वीकृत हुआ	कोई नहीं
(३) कार्य-सूची में सम्मिलित किये गये	३८५
(४) वापस लिया गया	कोई नहीं
(५) अस्वीकृत हु	३

सरकारी प्रस्ताव—

(१) प्रस्तुत किये गये	२
(२) स्वीकृत हुआ	१

१०. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुये	६२
(२) गृहीत किये ग	३१
(३) प्रस्तुत किये गये	१०
(४) स्वीकृत हुये . .	८

११. संविहित नियमों में रूप-भेद करने सम्बन्धी प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुये	१६
(२) गृहीत किये गये .	१६
(३) प्रस्तुत किये गये . .	१६
(४) स्वीकृत हुये . . .	३

२. अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा १

१३. आधे घण्टे की चर्चा . . . ४

१४. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की संख्या जिनकी ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा जिन पर मंत्रियों ने वक्तव्य दिया या वक्तव्य को सभा-पटल पर रखा १४

१५. स्थगन प्रस्ताव—

(१) प्राप्त हुये . . .	२४
(२) गृहीत किया गया .	कोई नहीं
(३) अध्यक्ष ने अनमति नहीं दी	२४

१६. पूछे गये प्रश्न—

(१) तारांकित . .	११६०
(२) अतारांकित—(उन तारांकित प्रश्नों समेत, जिनको अतारांकित बना दिया गया)	२०१५
(३) अल्प-सूचना प्रश्न . .	८

१७. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित—

(१) कार्य-मंत्रणा समिति . . .	३
(२) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	१
(३) याचिका समिति . . .	१
(४) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	४
(५) प्राक्कलन समिति . . .	**१०**
(६) लोक-लेखा समिति	**१**
(७) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	**१**